



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032026-271232
CG-DL-E-24032026-271232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 78]

NEW DELHI FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

मामला संख्या: एडी(एसएसआर)-08/2025

विषय: चीन जन.गण. से पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थैलेट (पीईटी) रेजिन के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा.सं. 07/15/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. जबकि, इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थैलेट (पीईटी) रेजिन (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध

वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया।

2. चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना 6/24/2019-डीजीटीआर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/24/2019 - डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर 2020 के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिसे सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 18/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मार्च 2021 के माध्यम से लागू किया गया था।
3. शुल्क लगाने के अनुसरण में, वानकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए जाने पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में एक पाटनरोधी जांच 4 मार्च 2024 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 7/27/2023 डीजीटीआर दिनांक 28 अगस्त 2024 जारी की, जिसमें लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना 25/2024 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 22 नवंबर 2024 जारी की, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन किया गया।
4. और जबकि, आवेदकों द्वारा दायर किए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1ख) के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयात में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 07/15/ 2025-डीजीटीआर दिनांक 23 सितंबर 2025 जारी की थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन निरंतर होने या बार बार होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है। संबद्ध जांच की शुरुआत के बाद, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 39/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 दिसंबर 2025 जारी की, जिसमें 26 जून 2026 तक और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू शुल्क का विस्तार किया गया था।

ख. प्रक्रिया

5. वर्तमान समीक्षा का क्षेत्र अंतिम जांच परिणाम संख्या 6/24/ 2019-डीजीटीआर दिनांक 28 दिसंबर 2020 में सभी पहलू शामिल है, जिसे जांच परिणाम फा. संख्या 7/27/2023 डीजीटीआर दिनांक 28 अगस्त 2024 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके द्वारा प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और क्रमशः शुल्क की मात्रा में वृद्धि की थी।
6. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने 23 सितंबर 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक आम सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी।
 - ii. प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए पते के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी है और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएं।
 - iii. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहां भी अनुरोध किया गया था, उपलब्ध कराई गई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने इस नियमावली नियम 6(4) के अनुसार संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:
 1. एक्क्लेबटोरी साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड
 2. अल शसाज़े इंटरनेशनल ट्रेड लिंक

3. एन थान बिकसोल जॉइंट स्टॉक कंपनी
4. एंटन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी
5. एंथन बिस्कॉल जॉइंट स्टॉक कंपनी
6. अपेलोआ हांगकांग लिमिटेड
7. अरेवा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
8. ऑस्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड
9. अवंती एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
10. ब्रिज पॉलीमर्स नीदरलैंड्स बीवी
11. सीजीआर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
12. जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
13. चाइना रिसोर्सेज केमिकल इनोवेटिव मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
14. कॉमर्स हार्वर एफजेडई
15. कॉसमॉस वीयू लिमिटेड
16. फुजियान बिलियन पॉलीमराइजेशन फाइबर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
17. ग्रैंड डिग्रीटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
18. ग्वांगडोंग आईवीएल पेट पॉलीमर कंपनी लिमिटेड
19. हांगजोई जेनरुई केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
20. हेनान लिहाओ केम प्लांट लिमिटेड
21. होस्को फार्माकेम लिमिटेड
22. हुबेई डेकॉन पॉलिएस्टर कंपनी लिमिटेड
23. इंडस बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
24. जियांगसू कंपनी सिनोपेक केमिकल कमर्शियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
25. जियांगसू जीटीआईजी हुआताई कंपनी लिमिटेड
26. जियांगसू किंगफा साइंस टेक एडवांस्ड
27. जियांगसू शुआंगक्सिंग कलर प्लास्टिक न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
28. जियांगयिन शिंग्यू न्यू मैटेरियल कंपनी लिमिटेड
29. केट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड
30. केमो इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड
31. किंगफा साइंस टेक कंपनी लिमिटेड
32. एम जी पॉलीमर्स एफजेडई
33. एम एस एएन थान बिकसोल जेएससी
34. एम एस मिमोसा एशिया एस प्राइवेट लिमिटेड
35. मैथेसन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
36. मिमोसा एशिया एस प्राइवेट लिमिटेड

37. नक्षत्र ट्रेडिंग डीएमसीसी
38. नानजिंग लीडिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड
39. नॉर्थईस्ट फार्म ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
40. ओजी ट्रेडिंग हांगकांग कंपनी लिमिटेड
41. पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजेडई
42. एसबीआर ग्रुप लिमिटेड
43. शंघाई केमस्पेस कंपनी लिमिटेड
44. सिनो क्राउन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
45. सिनो होवर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
46. सिनोकेम फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
47. स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
48. एसपीके कंसल्टिंग एलएलसी
49. एसजन.गण. एल ट्रेडिंग एफजेडई
50. सुझोऊ सेलप्रो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
51. सूजौ हेंगली केमिकल फाइबर न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
52. ताईझोउ सानकुलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
53. टैस कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
54. टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड
55. टीएलडी वियतनाम जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड
56. तोंगकुन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
57. तोयोशिमा एंड कंपनी लिमिटेड
58. ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स एलएलसी
59. यूनिग्लोबस ट्रेडिंग एफजेडई
60. यूनाइटेड रॉ मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड
61. वासुन एंटरप्राइजेज ट्रेडिंग एफजेडई
62. वेलार इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड
63. वानकाई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
64. वानकाई न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
65. ज़ियामेन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
66. वूशी यूबेस्ट न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
67. ज़ियामेन सीडी केमिकल कंपनी लिमिटेड
68. ज़ियामेन आईटीजी बाओदारुन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
69. ज़ियामेन झोंगहोंगफा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
70. यांगझोउ रिलायंस केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

71. यांगझोउ तियामत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी
 72. यू ज़ियू टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड
 73. झेजियांग हेलाइड न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 74. झेजियांग हेंगुई पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 75. झेजियांग यूसेंग इंडस्ट्री ट्रेड कंपनी लिमिटेड
 76. झेजियांग झोंगटुओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- vi. संबद्ध जांच की शुरुआत के प्रत्युत्तर में, केवल वानकाई न्यू मैटेरियल्स कं. लिमिटेड ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया। मौखिक सुनवाई के बाद, वानकाई न्यू मैटेरियल्स कं. लिमिटेड के एक संबद्ध व्यापारी, अर्थात् वानकाई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर यह दावा करते हुए प्रस्तुत किया कि उसने विचाराधीन उत्पाद को भारत में निर्यात किया है। यह अनुरोध किया गया है कि ऐसी देरी एक चूक के कारण हुई है और चूंकि संबद्ध व्यापारी के माध्यम से वानकाई का निर्यात नगण्य है, इसलिए इसका मार्जिन के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- vii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी।
1. एसीए पॉलीमर्स
 2. एके ट्रेडर्स
 3. एएनआई एंटरप्राइजेज
 4. एक वी पॉलीमर
 5. ऐजी पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
 6. अभिलाषा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
 7. एक्टिव इंटरनेशनल
 8. एग्लो एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
 9. एग्लो पैकेजिंग्स लिमिटेड
 10. एग्लो पैकेजिंग्स लिमिटेड
 11. एग्लो पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
 12. अहिंसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 13. एयरकिंग इंडस्ट्रीज
 14. आकांक्षा शिप ब्रेकिंग प्राइवेट लिमिटेड
 15. अंबिका कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 16. एएमडी पेट्रो एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड
 17. अमृत पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
 18. अमूल्यम पॉली एक्विजम
 19. अन्नपूर्णा पेट प्राइवेट लिमिटेड
 20. एक्का पॉलीमर्स

21. एक्काफ्रेस पॉलीप्लास्ट
22. आराध्या ओवरसीज
23. एरोमा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
24. एसेंड इंटरनेशनल
25. आशु एंटरप्राइजेज
26. एस्पायर पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
27. ऑसेन ग्लोबल एलएलपी
28. अवंती एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
29. एवी ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
30. आयम सिंटेक्स लिमिटेड
31. आयुष टेक्सलीन लिमिटेड
32. बाफना पॉलिमर्स इंडिया
33. बाफना पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34. बंडारू पॉलिमर्स
35. भारत मोनोफिलामेंट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
36. भव्य पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड
37. भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
38. ब्लू स्टार पैक क्राफ्ट
39. बोहरा एसोसिएट्स
40. बोल्टन पेटफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड
41. कैबिस्को प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
42. कैबिस्को प्लास्टिक एलएलपी
43. केम इंटरनेशनल
44. कॉस्मोप्लास्ट
45. क्रिएटिव प्रोपैक लिमिटेड
46. क्रिएटिव प्रोप्लास्ट लिमिटेड
47. डी पी एंटरप्राइजेज
48. धनंजय प्लास्ट
49. धौलागिरी पॉलीओलेफिन्स प्राइवेट लिमिटेड
50. डायमंड पॉलीकोट्स
51. डॉश फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
52. दुर्जय एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
53. दिव्या पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
54. इंजीनियर्ड पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

55. एपिटोम पेट्रोपैक लिमिटेड
56. फ्लेक्सलिस प्राइवेट लिमिटेड
57. फॉर्च्यून कंटेनर्स
58. जी प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
59. जी आर पेट प्रीफॉर्म्स
60. गणपति फिशिंग लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
61. जीबीसी पैकेजिंग
62. ग्लोरी इंडस्ट्रीज
63. गुडवे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
64. ग्रेस ट्रेडिंग
65. ग्रीन पेट स्ट्रैप प्राइवेट लिमिटेड
66. ग्रीनस्ट्रैप LLP
67. एचपी पेट
68. हैप्पी पॉली कोट्स
69. एचबी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
70. हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
71. इम्पार्क
72. इंटरप्लेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73. ईशा प्लास्ट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
74. ईशान प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
75. आयरा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
76. जे जे प्लास्टलॉय प्राइवेट लिमिटेड
77. जेके पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज
78. जगदंबा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
79. जय गोपाल इंटरनेशनल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
80. जयमारुति पॉलीकेम एलएलपी
81. जैनसन केबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82. जयराम स्ट्रैप प्राइवेट लिमिटेड
83. जय अम्बे फिलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड
84. जय मुल्टी टेक
85. जेसी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
86. जेबी पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
87. जेब्रुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
88. जेब्रुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

89. जेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
90. जॉन पॉलीमर्स
91. केसी प्रीफॉर्म्स
92. केएस प्लास्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
93. कांति बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
94. केडीएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
95. किंगफा साइंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
96. किरण पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
97. कोमल पॉलीमर्स
98. कोस्मोस पेट्रोकेम
99. कृपा पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
100. कृति चेम्प्लास्ट एलएलपी
101. क्रिस्टल्स इम्पेक्स
102. लक्ष्य प्रोपैक एलएलपी
103. लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी
104. लाइट वाॅक प्राइवेट लिमिटेड
105. लीला पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
106. एलपीबी प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
107. एमएस इम्पेक्स
108. एमएस प्लास्ट
109. माधव इंटरनेशनल
110. मधु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
111. मधु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
112. महावीर इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स वर्क्स
113. मरुधर पेट्रोकेम
114. मारुति ओवरसीज
115. मार्वल पॉलीएक्जिम एलएलपी
116. मास्कारा इम्पेक्स एलएलपी
117. मयूर स्ट्रैप पैकेजिंग उद्योग
118. मेघा फ्रूट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
119. मेरिट स्ट्रैप्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज
120. मित्रल लैमिनेशन
121. मिक्स मीडिया साइनेजेस एलएलपी
122. एमएम9 पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

123. मुरलीधर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
124. एन आर इंडस्ट्रीज
125. नेशनल प्लास्टो कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
126. नेशनल पॉलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
127. नीलगिरी पॉली प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
128. नेस्कोपेट प्राइवेट लिमिटेड
129. नेक्सस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
130. निर्मल पॉली प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
131. निशांत मोल्लिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
132. नितिन प्लास्टिक
133. महान एक्जिम
134. नोबल पैकेजिंग
135. नोवा पॉलीमर्स
136. एनएसवी इंडिया ओवरसीज एलएलपी
137. ओशन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
138. ओम इम्पेक्स
139. ओमकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड
140. ओरेकल पॉलीप्लास्ट
141. ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
142. ओरियोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
143. ओसवाल इंटरनेशनल
144. पैन सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड
145. परमेश्वर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
146. परमेश्वर ओवरसीज ट्रेड
147. पवन केमिकल्स
148. पेंटा पैक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
149. परफेक्ट फिलामेंट्स लिमिटेड
150. पलॉन गोवा प्राइवेट लिमिटेड
151. पीईटी एक्जुपमेंट रिसेल्स प्राइवेट लिमिटेड
152. पेट इंडिया इंडस्ट्रीज
153. पेट्रोटेक केमिका प्राइवेट लिमिटेड
154. पेट्रोटेक प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
155. प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड
156. प्लास्टस्केप्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

157. पोद्दार पिगमेंट लिमिटेड
158. पॉलस्टार
159. पॉलिसिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
160. पॉलिसिट्स प्राइवेट लिमिटेड
161. प्रकृत इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
162. प्रवीण पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
163. पुरी पॉलीमर्स
164. पीवीसी रंग मिश्रण प्रसंस्करण
165. क्यूबर पेट्रोकेम
166. राग पेट
167. राज पॉलीमर्स
168. राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड
169. रामचम पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
170. रेपिट पैट इंडस्ट्रीज
171. आरसीके इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
172. रेडी पैकेज
173. आरजीपी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
174. आरजीएस पेट स्ट्रैप एलएलपी
175. रिडैम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
176. ऋषभ ट्रिएक्सिम एलएलपी
177. रिवांश पॉलीमर्स
178. आरकेजी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
179. रुद्र इंटरनेशनल
180. रंगटा मोल्लिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
181. रूपटेक्स मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड
182. एस जी पॉलीमर्स
183. एस एल वी पेट इंडस्ट्रीज
184. एस एस पॉलीमर्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
185. सावी ट्रेडिंग कंपनी
186. साजो पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
187. संजय केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
188. सारा एंटरप्राइजेज
189. सतीश अग्रवाल
190. एसई टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड

191. एसजी एक्जिम
192. शेठ पेट एंड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
193. शिव एंटरप्राइजेज
194. शिव पेट
195. श्लोक केमिकल्स
196. श्री गणेश एंटरप्राइजेज
197. श्री नाकोडा पॉलीमर्स
198. श्रीनाथ रोटोपैक एमपी प्राइवेट लिमिटेड
199. श्रीनाथ रोटोपैक प्राइवेट लिमिटेड
200. सिबी पॉलीमर्स
201. सिद्धान ट्रेडर्स
202. सिद्धार्थ प्लास्ट
203. सिम पॉलिमर एलएलपी
204. सिम ट्रेड लिंक्स
205. एसजेआर प्लास्ट
206. स्काईडोम इंडस्ट्रीज
207. स्काईओन इंटरनेशनल
208. एसएनजे सिंथेटिक्स लिमिटेड
209. स्पैटलस एंटरप्राइज एलएलपी
210. श्री गोविंद पॉलीमर्स
211. श्री वेंकटेश्वर पॉलीमर्स
212. स्टारचेम पॉलीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
213. स्टारलोन एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
214. स्टील कंटेनर्स एलएलपी
215. सन पॉलीट्रेड एलएलपी
216. सनलार्ज फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
217. सनलार्ज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
218. सुपरफिल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
219. सूर्य इम्पेक्स
220. स्वस्थयाना रसायन विज्ञान
221. स्वशापेट पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
222. ताराज्योत एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
223. टॉपसैक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
224. ट्राइकोन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

225. ट्राइकोन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
226. ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड एलएलपी
227. ट्रस्ट पॉलीमर
228. तुराखिया पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
229. यू डी कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
230. यूफ्लेक्स लिमिटेड
231. यूनिफ़ाई टेक्सचराइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
232. यूनिवर्सल कॉर्पोरेशन
233. वैकमेट इंडिया लिमिटेड
234. वरुण बेवरेजेस लिमिटेड
235. वरुण बेवरेजेस लिमिटेड
236. वेरपैक प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
237. विजिलेंट स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
238. विनय प्लास्टिक
239. विनायक बेवरेजेस
240. विनी अग्रवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
241. विराट इम्पेक्स
242. विशाल बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
243. वोल्स्टन इंडिया
244. वृद्धि पेट्रोकेमिकल्स
245. व्रीओन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
246. वीटन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
247. वाटरप्रूफ कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
248. वाइसचॉइस एंटरप्राइजेज
249. यशपेट कंटेनर
- viii. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक या प्रयोक्ता प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके उत्तर नहीं दिया है।
- ix. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति निम्नलिखित प्रयोक्ता संघों को भेजी है। किसी भी प्रयोक्ता संघ ने प्रतिक्रिया अथवा अनुरोध दायर नहीं किया है।
1. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज
 2. ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 3. ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
 4. फेडरेशन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
 5. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)
 6. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)

- x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।
- xi. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों जांच में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल थी।
- xii. क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xiii. संबद्ध जांच की शुरुआत के बाद, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 39/ 2025 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26 दिसंबर 2025 जारी की, जिसमें 26 जून 2026 को शामिल करते हुए उस अवधि में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू शुल्कों का विस्तार किया गया।
- xiv. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 7 जनवरी 2026 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उन पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में और उसके बाद प्रत्युत्तर संबंधी अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे।
- xv. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को, उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है, जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य था और उसे वर्तमान जांच में संगत माना गया था।
- xvi. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी जो वर्तमान प्रकटन विवरण का आधार बनता है, की सटीकता के बारे में संभव सीमा तक अपने आप को संतुष्ट किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन संगत, व्यावहारिक और आवश्यक मानी गई सीमा तक किया।
- xvii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता आधार पर दी गई जानकारी की जांच गोपनीयता की पर्याप्तता के बारे में की गई संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के इन दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने के निदेश दिए गए थे।
- xviii. आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की इष्टतम लागत और बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- xx. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी जो वर्तमान जांच परिणाम का आधार बनता है, की सटीकता संबंध में संभव सीमा तक अपने आप को संतुष्ट किया और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों को संगत, व्यवहार्य और आवश्यक माने जाने की सीमा तक सत्यापित किया।

- xxi. प्राधिकारी ने विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण 24 फरवरी 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति थी, और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- xxii. इन अंतिम जांच परिणामों में '****' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी और प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत वैसी मानी गई जानकारी का द्योतक है।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए उत्पाद दायरे को वर्तमान जांच के दायरे के लिए माना जा सकता है।
 - घरेलू उद्योग ने विभिन्न चिपचिपाहट, रंग और पिघलने वाले बिंदुओं वाले उत्पाद के विभिन्न ग्रेड बेचे हैं। हालाँकि, ग्रेड में इस तरह के बदलाव से उत्पादन की लागत में कोई अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है और पीसीएन पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है।
 - मूल जांच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई थी।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना था।

"विचाराधीन उत्पाद वर्जिन बोतल-ग्रेड पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थालेट (पीईटी) रेजिन है, जिसे "0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक चिपचिपाहट वाला पॉलीइथाइलीन टेरैफ्थालेट रेजिन" के रूप में परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में पुनःचक्रित पीईटी रेजिन शामिल नहीं है। पीईटी रेजिन का उपयोग प्रीफॉर्म के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन्हें बाद में खनिज जल, कार्बोनेटेड शीतल पेय, खाद्य तेल, दवा उत्पादों आदि के भंडारण के लिए पीईटी बोतलों और जार में परिवर्तित किया जाता है।"

10. यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा पहले की गई जांच में यथा-परिभाषित क्षेत्र ही है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए जाने को देखते हुए, प्राधिकारी ने समीक्षा के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद पर विचार किया है, जैसा कि मूल जांच में किया गया था।
11. पीसीएन पद्धति पर अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में कोई पीसीएन नहीं अपनाया गया था। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसने अलग-अलग चिपचिपाहट, रंग और पिघलने के बिंदुओं वाली समान वस्तुओं की अलग-अलग बेचे हैं। हालाँकि, ग्रेड में परिवर्तन के फलस्वरूप लागत में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसका खंडन नहीं किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई है।
12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से निर्यात की गई वस्तु के समान वस्तु हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में

तुलनीय हैं। संबद्ध देशों से आयातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा इनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। इसे देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद की समान वस्तु के रूप में माना जाता है।

13. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के उपशीर्ष 3907 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुएं एचएस कोड 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30 और 3907 69 90 के तहत आयात की जा रही हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदक, आवेदन प्रोफार्मा और परिचालन प्रथाओं के मैनुअल द्वारा यथा-अपेक्षित क्षति अवधि में सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात का विवरण प्रदान करने में विफल रहे हैं।
 - आईवीएल धुनसेरी और इंडोरामा ने अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और उसी की जांच की जा सकती है।
 - संबद्ध देश से आईवीएल धुनसेरी द्वारा किए गए आयात के संबंध में हस्ताक्षरित घोषणा प्रदान नहीं की गई है।
 - इंडोरामा और आईवीएल धुनसेरी को घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में शामिल करना अनुचित है क्योंकि वे चीन में एक निर्माता से संबद्ध हैं।
 - जबकि मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को एक घरेलू उत्पादक के रूप में पहचाना गया है, इसके उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन की गणना के लिए नहीं माना गया है।
 - एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक घरेलू उत्पादक है, जिसने अमेरिका में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित जांच में भाग लिया है, को आवेदकों द्वारा घरेलू उत्पादक के रूप में नहीं माना गया है।

घ.2. घरेलू उद्योग के विचार

15. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और इसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात संबद्ध देश से नहीं किया है।
 - आवेदकों ने प्रोफार्मा IV क में सभी स्रोतों से आयात का विवरण दिया है, जिससे पता चलता है कि किसी भी देश से कोई आयात नहीं होता है। इस संबंध में किसी विशिष्ट घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।
 - नियम 2 (ख) केवल कथित की गई वस्तु के आयातक की पात्रता पर सवाल उठाता है। इस प्रकार, अन्य देशों से आयात जांच के लिए असंगत है।
 - आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडोरामा यार्न प्राइवेट लिमिटेड, गुआंझोंग आईवीएल पीईटी पॉलिमर कंपनी लिमिटेड, , जो संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/निर्यातक है, से संबंधित है। हालाँकि, इसने जांच की अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।
 - ग्वानझोंग आईवीएल पीईटी पॉलिमर कंपनी लिमिटेड से कोई निर्यात नहीं होने के कारण, यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत एक निर्यातक नहीं होता है और आईवीएल धुनसेरी और इंडोरामा को अयोग्य नहीं माना जा सकता है।
 - पाटनरोधी नियमावली का नियम 5 नियम 23 के तहत निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता है और वर्तमान मामले में आधार सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे नुकसान पहुंचाए बिना भारतीय उत्पादन की गणना उपयुक्त रूप से की गई है।

- vii. एस्टर इंडस्ट्रीज भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक नहीं है। इस संबंध में कंपनी द्वारा घोषणा उपलब्ध कराई गई है।
- viii. टंकण संबंधी त्रुटि के कारण, एमईपीएल का आवेदन में गलत तरीके से मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में उल्लेख किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि एमईपीएल मेडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने जांच का समर्थन किया है, और इसके उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन में माना गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के लिए आवेदन आईवीएल पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ("आईवीएल पेट्रोकेम"), इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड ("इंडोरामा") और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("आरआईएल") द्वारा दायर किया गया था। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादक हैं, अर्थात् चिरीपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ("एमईपीएल"), सुमिलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूफ्लेक्स लिमिटेड। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त में से, एमईपीएल ने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। इसके अलावा, एमईपीएल और चिरीपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के उत्पादन की जानकारी बाजार अनुमानों के अनुसार आवेदन में प्रदान की गई थी। हालांकि, एमईपीएल ने जांच शुरू होने के बाद अपना समर्थन पत्र प्रदान किया। प्राधिकारी ने कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए एमईपीएल के उत्पादन को उसके वास्तविक उत्पादन के रूप में माना है।
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आईवीएल पेट्रोकेम और इंडोरामा ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे आयात के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। आवेदकों ने हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का खंडन किया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि आईवीएल पेट्रोकेम और इंडोरामा ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, आवेदक कथित रूप से पाटित वस्तु के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं है।
19. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आईवीएल पेट्रोकेम और इंडोरामा चीन में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक, अर्थात् गुआंडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कंपनी लिमिटेड से संबद्ध हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात नहीं किया है। इस तथ्य पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा खंडन नहीं किया गया है, यद्यपि उनका दावा है कि आईवीएल पेट्रोकेम और इंडोरामा को घरेलू उद्योग होने के लिए अपात्र माना जाए। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों की भी जांच की है और नोट किया है कि गुआंडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कंपनी लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात नहीं हुआ है। इसलिए, आईवीएल पेट्रोकेम और इंडोरामा को पाटन की गई वस्तु के निर्यातक से संबद्ध नहीं माना जा सकता है। आगे यह भी नोट किया जाता है कि मूल जांच में प्राधिकारी ने आईवीएल पेट्रोकेम को घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र माना था, भले ही संबद्ध निर्यातक ने बहुत कम मात्रा में निर्यात किया था। उपर्युक्त को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक घरेलू उद्योग होने लिए पात्र हैं।
20. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदकों ने एस्टर इंडस्ट्रीज और मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादन पर विचार नहीं किया है। इस संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि आवेदकों ने स्वयं मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादक के रूप में पहचाना लेकिन इसके उत्पादन को कुल उत्पादन में नहीं माना। आवेदकों ने स्पष्ट किया है कि त्रुटि के कारण, अनुबंध 1.7 में घरेलू उत्पादकों की सूची में

मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) को मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के रूप में लिखा गया था। हालाँकि, भारतीय उत्पादन के निर्धारण में एमईपीएल के उत्पादन पर विचार किया गया था। इसके अलावा, एमईपीएल, यानी मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी समीक्षा के अनुरोध का समर्थन करते हुए पत्र दायर किया है।

21. जहाँ तक एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने अमेरिकी जांच प्राधिकारी द्वारा की गई जांच पर भरोसा किया है, जिसमें उत्पादक को शुल्क की अलग अलग दर दी गई थी। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड से एक प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे वर्तमान उत्पाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, अर्थात् 0.72 डेसीलीटर से अधिक आंतरिक चिपचिपाहट वाला बोटल-ग्रेड पीईटी रेजिन। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच का दायरा बहुत व्यापक था, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है।

“इन आदेशों में शामिल मर्कन्डाइज कम से कम 0.70 और अधिकतम 0.88 डेसीलीटर प्रति ग्राम के अंतरनिहित चिपचिपाहट वाला पीईटी रेजिन है। इस क्षेत्र में वजन से 50 प्रतिशत या उससे अधिक वर्जिन पीईटी रेजिन मात्रा वाले वर्जिन पीईटी रेजिन और पुनःचक्रित पीईसी रेजिन के मिश्रण शामिल हैं, बशर्ते ऐसे मिश्रण उपरोक्त आंतरिक चिपचिपाहट आवश्यकताओं को पूरा करते हों। क्षेत्र में विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए गए योजकों की परवाह किए बिना उपरोक्त विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी पीईटी रेजिन शामिल हैं।”

22. इस प्रकार, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जांच का दायरा बोटल-ग्रेड पीईटी रेजिन तक ही सीमित नहीं था। इसके अलावा, इसमें वर्जिन और पुनःचक्र पीईटी रेजिन के मिश्रण भी शामिल थे, जबकि वर्तमान समीक्षा केवल वर्जिन पीईटी रेजिन से संबंधित है। इसलिए, एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्वयं स्पष्टीकरण दिए जाने के कारण, अमेरिकी जांच में भागीदारी से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
23. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों के अलावा, संबद्ध वस्तुएं चिरिपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, सुमिलोन इंडस्ट्रीज और यूफ्लेक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित की जा रही हैं। कुल उत्पादन में आवेदकों की हिस्सेदारी नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	उत्पादन (पीओआई)	कुल उत्पादन में हिस्सा
आवेदक	एमटी	***	80-90%
अन्य उत्पादक	एमटी	***	10-20%
चिरिपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड	एमटी	***	**%
मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	एमटी	***	**%
सुमिलोन इंडस्ट्रीज	एमटी	***	**%
यूफ्लेक्स लिमिटेड	एमटी	***	**%
कुल भारतीय उत्पादन	एमटी	19,33,103	

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा, अर्थात् 80-90% है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

i. घरेलू उद्योग ने उपयोग की गई आयात सूचना के स्रोत के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

- ii. अन्य घरेलू उत्पादकों के विवरण और उत्पादन का विवरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, इसके उत्पादन के लिए सूचना के स्रोत को प्रकट नहीं किया गया है।
- iii. निर्यात कीमत के लिए दावा किए गए समायोजन के साक्ष्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट नहीं किए गए हैं।
- iv. सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का विवरण गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- v. कर्मचारियों की संख्या; लाभ/हानि, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और निवल बिक्री कीमत का दायरा, लागत के तत्व और कच्चे माल का नाम और वार्षिक रिपोर्ट जैसी लागत संबंधी जानकारी घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट नहीं की गई है।
- vi. अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति नहीं है, जैसा कि विशेष रूप से पृष्ठों की समान संख्या होने के संबंध में व्यापार नोटिस 1/2013 के तहत आवश्यक है।
- vii. आवेदन के भाग के रूप में सही प्रमाण पत्र और कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा प्रदान नहीं की गई है।
- viii. जांच जारी है और जांच की प्रक्रिया के दौरान पक्षकार गोपनीयता सहित सभी पहलुओं पर अपने अनुरोध करने के हकदार हैं। घरेलू उद्योग समय की समाप्ति के बहाने सार्थक प्रकटीकरण प्रदान करने के अपने दायित्व से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है।
- ix. घरेलू उद्योग ने कई दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतरों का पूरा विवरण नहीं दिया है और वास्तविक जानकारी नहीं है, जिससे वानकाई को प्रभावी टिप्पणियां करने से रोका गया है।
- x. जो जानकारी सार्थक तरीके से प्रकट नहीं की गई है, उसके आधार पर वानकाई के खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ड.2. घरेलू उद्योग के विचार

26. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वानकाई ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II में 2018 से 2024 तक क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री, निर्यात और मालसूची के विवरण के लिए अनुक्रमित आंकड़े प्रदान नहीं किए हैं।
- ii. अत्यधिक गोपनीयता के दावे केवल मौखिक सुनवाई के समय ही किए गए हैं। जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्रदान की गई 7 दिनों की समय सीमा पर विचार करते हुए ऐसे दावे बहुत देर से किए गए हैं।
- iii. विचार की गई बाजार आसूचना जानकारी के स्रोत को व्यापार सूचना 10/2018 के तहत प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है। घरेलू उद्योग ने आयात का सारांश प्रकट किया है।
- iv. अन्य घरेलू उत्पादकों का विवरण अनुलग्नक 1.7 में दिया गया है।
- v. अन्य उत्पादकों के उत्पादन विवरण और समुद्री माल भाड़े के साक्ष्य पर विचार किया जाता है, जो तीसरे पक्षकार की जानकारी है, जिसे घरेलू उद्योग प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने वास्तविक कुल भारतीय उत्पादन और घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी की सीमा के बारे में बताया है।
- vi. विचाराधीन समुद्री माल का प्रकटन किया गया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि दावा किया गया समुद्री माल भाड़ा अत्यधिक है।
- vii. निर्यात कीमत में अन्य समायोजन प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार किए गए हैं।
- viii. व्यापार सूचना की आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का प्रकटन सीमा में किया गया है। चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, इसलिए वास्तविक आंकड़े प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। गोपनीयता के दावे को आवेदन में उचित रूप से सही ठहराया गया है।
- ix. कर्मचारियों की संख्या प्रवृत्ति में बताई गई थी, और गोपनीयता के कारणों को विधिवत उचित ठहराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि उनका कोई भी तर्क कर्मचारियों की संख्या पर आधारित नहीं है।

- x. लाभ और हानि, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और बिक्री कीमत को अनुक्रमित रूप में उपलब्ध कराया गया है, जैसा कि व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार आवश्यक है। उसे प्रवृत्ति के रूप में दिया जाना उचित नहीं है।
- xi. लागत संबंधी जानकारी पर गोपनीयता के दावों को उचित ठहराया गया है और यह प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप है। वांकाई ने स्वयं अपने परिशिष्टों को गोपनीय बताया है।
- xii. कच्चे माल के नाम आवेदन में दिए गए हैं।
- xiii. इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट लिंक के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में उत्पादकों की व्यवसाय संबंधी संवेदनशील जानकारी है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में दावा की गई गोपनीयता को आवेदन में उचित ठहराया गया है।
- xiv. वांकाई समय पर अनुरोध करने में विफल रहा है कि अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय रूपांतर के समान पृष्ठों की संख्या नहीं है। यदि अनुरोध समय पर किए गए होते, तो घरेलू उद्योग ने अगोपनीय रूपांतर को उचित रूप से संशोधित किया होता। इस स्तर पर उठाई गई टिप्पणियां केवल जांच में देरी करने के लिए हैं और वानकाई गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर के विभिन्न पृष्ठ संख्याओं के कारण पूर्वाग्रह दिखाने में विफल रहे हैं।
- xv. घरेलू उद्योग अनजाने में आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में फॉर्मेट-एक्स और फॉर्मेट-वाई को शामिल करने से चूक गया है। वांकाई ने ऐसी चूक के कारण उसे कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया है और उसने देर से ऐसा दावा किया है। अगर यह बहस समय पर उठाई गई होती तो घरेलू उद्योग ने इसे हल कर लिया होता।
- xvi. यह पुष्टि की गई है कि अगोपनीय रूपांतर प्रमाणीकरण और पृष्ठ संख्या को छोड़कर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“नियम 7. गोपनीय सूचना: “(1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

28. दिनांक 27 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को देखते हुए, पक्षकारों को उचित प्रकटन करने या अपने गोपनीयता के दावों को सही ठहराने का निदेश दिया गया था। जांच में दोनों हितबद्ध पक्षकारों ने इन निदेशों की प्रतिक्रिया में आगे प्रकटन किया है। वान्काई ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के भाग-II में 2018 से 2024 तक क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री, निर्यात और मालसूची के विवरण के लिए अनुक्रमित आंकड़े प्रदान किए हैं। घरेलू उद्योग ने निदेशों के उत्तर में समुद्री माल भाड़े के समायोजन के लिए भरोसा किए गए साक्ष्य का प्रकटन किया है। इसके अलावा, पृष्ठों की संख्या, सटीकता के प्रमाण पत्र और कानूनी प्रतिनिधि से प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदन के अगोपनीय रूपांतर के गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति नहीं होने के

संबंध में विसंगति को हल किया गया था। घरेलू उद्योग ने भी पुष्टि की है कि भारतीय उत्पादकों के नाम और कच्चे माल के नाम पहले ही बताए जा चुके हैं। विरोधी पक्षकारों के शेष आरोपों के संबंध में गोपनीयता का दावा करने के संबंध में घरेलू उद्योग ने आगे औचित्य प्रदान किया है।

29. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि उपयोग किए गए आयात आंकड़ों के स्रोत का प्रकटन किया ही जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने स्रोत को बाजार आसूचना के रूप में पहचाना है। हालाँकि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के चरण में या अपने निर्धारण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया है। प्राधिकारी ने वर्तमान समीक्षा में अपने निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों पर भरोसा किया है।
30. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि कुल भारतीय उत्पादन के लिए विचार किए गए अलग अलग उत्पादकों का उत्पादन नहीं बताया गया है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने गोपनीयता को उचित ठहराने के लिए सही कारण दिखाया है। आवेदकों ने स्पष्ट किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन का प्रकटन के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन का प्रकटन हो जाएगा। इसके बजाय, संपूर्ण भारतीय उद्योग के उत्पादन का प्रकटन किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों और अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन में हिस्सेदारी की सीमा प्रदान की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग में केवल दो उत्पादक शामिल थे। इसके अलावा, बाद के दो वर्षों के लिए भी, घरेलू उद्योग का बनने वाले तीन में से दो उत्पादक संबद्ध उत्पादक हैं। इस प्रकार, यदि वास्तविक आंकड़े बताए जाते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से घरेलू उद्योग के घटकों के भीतर गोपनीय जानकारी के पारस्परिक प्रकटन का कारण बनेगा। हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि क्यों प्रदान की गई जानकारी उन्हें अपने हितों का बचाव करने की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है, या इससे व्यवसाय की संवेदनशील सूचना का प्रकटन नहीं होगा। इसे देखते हुए, इस संबंध में गोपनीयता का दावा स्वीकार किया जाता है।
31. प्राधिकारी ने आवेदकों में से एक आवेदक आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की बिक्री कीमत, कर्मचारियों की संख्या, लाभ/हानि, नकद लाभ, निवेश पर प्रतिफल, लागत के तत्वों के साथ लागत संबंधी सूचना, बंद करने का विवरण और वित्तीय विवरणी, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, जैसे जानकारी के संबंध में घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के तत्वों पर आधारित सामान्य मूल्य और उस पर व्युत्पन्न पाटन मार्जिन को वास्तविक आधार पर प्रकट नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने बिक्री कीमत, कर्मचारियों की संख्या, लाभ/हानि, नकद लाभ, अनुक्रमित आधार पर निवेश पर प्रतिफल के संबंध में जानकारी का प्रकटन किया है; और सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को सीमा में प्रकट किया गया है। प्राधिकारी का मानना है कि यह जानकारी गोपनीय प्रकृति की है और वास्तविक आधार पर ऐसी जानकारी और दस्तावेज़ के प्रकटन से संबंधित पक्षकार पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और प्रतिस्पर्धियों और विरोधी हितों वाले पक्षकारों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य पक्षकारों द्वारा गैर-प्रकटन के कारण अपने हितों को हुए नुकान को नहीं दर्शाया है।
32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसे दावे की पर्याप्तता के संबंध की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार करते हैं, और ऐसी जानकारी गोपनीय मानी गई है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है और इसे उचित माना जाता है।

च. विविध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने अनुरोध किया है कि याचिका में कमी है और अगोपनीय रूपांतर में आवश्यक साक्ष्य का अभाव है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

34. घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है कि वानकाई आवेदन में किसी भी कमी को उजागर करने में विफल रहा है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी की पर्याप्तता और सटीकता से संतुष्ट होने के बाद समीक्षा शुरू की गई थी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

35. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूतों के बिना शुरू की गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने शुल्कों के अभाव में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना का दावा करते हुए एक विधिवत प्रमाणित आवेदन उपलब्ध कराया है। जांच शुरू करने के समय, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की आवश्यकता के बारे में प्रथम दृष्टया स्वयं को संतुष्ट किया, जिसमें वर्तमान शुल्कों को समाप्त होने दिए जाने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना सिद्ध की गई थी। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत के चरण में, प्रथम दृष्टया टिप्पणियों को विसिद्ध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि चीन के लिए अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए हैं। चीन में प्रचलित घरेलू कीमतों और लागतों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया ही जाना चाहिए।
- ii. भले ही चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाए, लेकिन घरेलू उद्योग द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत प्रदान की गई वैकल्पिक विधियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
- iii. घरेलू उद्योग को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की पहचान करना अपेक्षित है, और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- iv. शेनयांग मात्सुशिता 2005 (181) ईएलटी 320 (एससी) में निर्णय के मद्देनजर भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- v. वांकाई ने प्राधिकारी द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार समय पर उत्तर दाखिल किया है।
- vi. वांकाई ने अपनी लगभग सभी निर्यात बिक्री सीधे भारत को की है और केवल एक नगण्य मात्रा संबंधित व्यापारी/निर्यातक, अर्थात् वांकाई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात की गई है। वांकाई ने किसी असंबद्ध व्यापारी/निर्यातक के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।
- vii. वांकाई इंटरनेशनल द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली कुछ नगण्य मात्राओं को पहले वांकाई कर्मियों की ओर से की गई चूक के कारण भारत को निर्यात करने के बजाय अन्य देशों को निर्यात माना जाता था। यह मार्च 2023 में वानकाई इंटरनेशनल के हालिया निगमन और चूंकि व्यापारी सिंगापुर में स्थित है, के कारण था।
- viii. संबंधित व्यापारी/निर्यातक, वानकाई इंटरनेशनल का उत्तर, उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण उसे अस्वीकार करना पड़े।
- ix. ट्रेलरों के लिए पेंटाएरिथ्रिटोल और एक्सल के घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए जांच पिरणाम अलग-अलग तथ्यों पर आधारित हैं, और एक ऐसी स्थिति से संबंधित हैं जहां प्राथमिक निर्यातक ने समय पर भाग नहीं लिया था।
- x. चूंकि प्राधिकारी ने 7 महीने की देरी के बाद आमेलन विरोधी जांच को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उत्तर दाखिल करने में केवल 2 महीने की वर्तमान देरी को माफ किया जाना चाहिए।

- xi. उत्तर दाखिल करने में देरी न तो इरादातन और न ही सोची-समझी थी, और यह कि ऐसी नगण्य मात्रा को शामिल करने और शामिल नहीं करने का निर्यात की कीमतों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xii. चूंकि जांच चल रही है और संगत तथ्य सामने आ रहे हैं, इसलिए सुनवाई के बाद वानकाई इंटरनेशनल द्वारा दायर किए गए उत्तर से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- xiii. वांकाई द्वारा कुल निर्यात की तुलना में भारत को निर्यात नगण्य हैं और गैर-प्रकटीकरण न तो इरादातन है और न ही जानबूझकर किया गया है। सूचित न किए गए निर्यात लेनदेन नगण्य हैं और निर्धारण को बाधित नहीं करते हैं, जैसा कि कैप्रोलेक्टम, ब्लैक टोनर, फेनोल, पॉलीप्रोपाइलीन और विट्रिफाइड टाइल्स के मामले में प्राधिकारी के पिछले जांच परिणामों में माना गया है।
- xiv. वांकाई पर लागू शुल्क का निर्धारण उसके पाटन मार्जिन के अनुसार किया जाएगा, न कि यह कि शुल्क कमतर है या नहीं।
- xv. पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित अनुमान लगाने का अभ्यास है और गणितीय सटीकता पर आधारित नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग के अनुरोध से पता चलता है कि वानकाई द्वारा सभी तरीकों से निर्यात को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विपरीत, पाटनरोधी जांच का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है।
- xvii. असंबद्ध व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के संबंध में इसी तरह के आरोप पहले के आमेलन विरोधी जांच में लगाए गए थे, और प्राधिकारी द्वारा जांच की गई और खारिज कर दी गई थी। वर्तमान समीक्षा में फिर से वही मुद्दे उठाने का कोई औचित्य नहीं है।
- xviii. प्राधिकारी वानकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का ऑन-साइट सत्यापन कर सकते हैं।
- xix. घरेलू उद्योग ने अप्रत्यक्ष आयात के स्रोत या पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया है। इस प्रकार, वानकाई को सार्थक टिप्पणियां करने से रोका जाता है, और जब तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जानकारी का प्रकटन नहीं किया जाता है, तब तक कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।
- xx. घरेलू उद्योग ने ऐसे आंकड़ों के स्रोत या संबंधित कीमतों का खुलासा किए बिना, संबद्ध व्यापारियों के माध्यम से कथित निर्यात के बारे में केवल चुनिंदा जानकारी प्रदान की है। चूंकि पाटन निर्धारण कीमतों पर और न कि केवल मात्रा पर आधारित है, कीमत की जानकारी के प्रकटन के अभाव में, घरेलू उद्योग के आरोप अप्रमाणित हैं।
- xxi. घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों का प्रकटन नहीं करने का तथ्य यह दर्शाता है कि कथित अप्रत्यक्ष निर्यात की कीमतें वांकाई के निर्यात कीमत के बराबर या उससे अधिक हैं।
- xxii. वांकाई का अनुरोध है कि यह व्यापारियों के माध्यम से निर्यात को छिपाना इसके हित में नहीं होगा, क्योंकि ऐसे आचरण के फलस्वरूप अलग अलग माना जाना स्वीकार नहीं किया जा सकेगा और उच्चतर अथवा अवशिष्ट शुल्क माना जा सकता है और लगाया जा सकता है।
- xxiii. चूंकि आमेलन-विरोधी जांच में इस मुद्दे की पहले ही पहचान हो चुकी थी, इसलिए यह सुझाव देना अतार्किक है कि वानकाई वर्तमान निर्णायक समीक्षा के लंबित रहने के दौरान व्यापारियों के माध्यम से कथित निर्यात में फिर से शामिल होंगे।
- xxiv. राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा असंबद्ध नहीं होने वाले व्यापारियों के माध्यम से कथित आयात की जांच पहले ही शुरू कर दी गई है, जिससे उचित समय पर वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा।
- xxv. वांकाई इस आरोप से इनकार करता है कि आयात की मात्रा और लागू शुल्क के विश्लेषण से पता चलेगा कि आयात का प्रमुख हिस्सा वांकाई पर लागू शुल्क के आधार पर मंजूरी दी गई है।
- xxvi. घरेलू उद्योग द्वारा ग्रेड विवरण और नमूना आंकड़ों पर रखी गई निर्भरता के संबंध में, वानकाई का कहना है कि ग्रेड जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र में है और केवल ग्रेड का वर्णन निर्माता की पहचान को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं करता है।

- xxvii. वांकाई का भारतीय सीमा शुल्क को तीसरे पक्षकार के आयातकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसमें मूलता का प्रमाण पत्र या पैकेजिंग विवरण शामिल हैं।
- xxviii. फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य, और मूलता का प्रमाण पत्र वानकाई के साथ साझा नहीं किए गए हैं।
- xxix. चूंकि मूलता का प्रमाण पत्र वानकाई द्वारा जारी नहीं किया गया है, इसलिए इसमें दी गई जानकारी के लिए इसे जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।
- xxx. चूंकि भारत को निर्यात के 100% को कवर करने वाली प्रतिक्रियाएं प्रदान की गई हैं, इसलिए ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस के मैनुअल की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है, और घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए मामले लागू नहीं हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

37. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं।
- i. चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। 11 दिसंबर 2016 को, केवल अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, और अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान लागू बने हुए हैं, जो चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जा सकता है।
 - ii. प्राधिकारी ने 2016 के बाद हाल के सभी जांच परिणामों में चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में निरंतर रूप से माना है,
 - iii. विदेशी उत्पादकों की यह प्रदर्शित करने में विफलता को देखते हुए कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं, सामान्य मूल्य पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - iv. हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का प्रस्ताव करने की आवश्यकता है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी समान रूप से प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र हैं।
 - v. घरेलू उद्योग ने उचित रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तीसरे देशों में कीमतों और लागतों के संबंध में जानकारी इसके लिए उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, उत्पाद का कोई विशिष्ट प्रशुल्क कोड नहीं है।
 - vi. हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध थी, जो घरेलू उद्योग प्रदान कर सकता था।
 - vii. शेनयांग मात्सुशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज के निर्णय पर निर्भरता उचित नहीं है, क्योंकि यह पाटनरोधी नियमावली के पैरा 8 के तहत बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के निर्धारण से संबंधित है।
 - viii. वांकाई को दिया गया अलग अलग शुल्क मात्रा वापस लिया ही जाना चाहिए। इसने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है जिससे अपूर्ण मूल्य श्रृंखला उपलब्ध नहीं है।
 - ix. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के तहत निर्धारित 30 दिनों की समय सीमा को देखते हुए वानकाई द्वारा दायर किया उत्तर विलंबित है।
 - x. वानकाई इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड द्वारा दायर प्रतिक्रिया समय सीमा के 68 दिन बाद दायर की गई है। जानकारी में देरी हुई है और इसे नजरअंदाज किया ही जाना चाहिए, जैसा कि ट्रेलर के लिए पेंटेएरिथ्रिटोल और एक्सल की जांच में किया गया था।
 - xi. वांकाई इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर स्वेच्छा से नहीं किया गया था और मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के बाद ही दायर किए गए थे। वांकाई इंटरनेशनल द्वारा दायर उत्तर के बाद भी, अधिकांश निर्यात के लिए व्यापारियों ने कोई उत्तर दायर नहीं

किए है। इस प्रकार, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है।

- xii. सिर्फ इसलिए कि वानकाई इंटरनेशनल एक नई कंपनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि इकाई द्वारा किए गए निर्यात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।
- xiii. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित अनुमान का अभ्यास नहीं है। इस तरह का बयान पक्षकार द्वारा अपनी ही चूक की गंभीरता को कम आंकने का प्रयास है। इसके अलावा, इस तरह के बयान से पता चलता है कि कोई भी उत्पादक सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित सटीकता के अत्यंत निम्न मानक का पालन करके अलग अलग शुल्क दर का दावा कर सकता है। यह प्राधिकारी को सटीक और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए घरेलू उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रयासों को कमजोर करता है।
- xiv. भले ही घरेलू उद्योग ने 4 दिसंबर 2025 के अनुरोधों के माध्यम से वानकाई इंटरनेशनल द्वारा निर्यात के तथ्य पर प्रकाश डाला, लेकिन निर्यातक ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय, वानकाई ने दावा करना जारी रखा कि उसने केवल सीधे निर्यात किया था।
- xv. चूंकि एक संबद्ध निर्यातक ने समय पर उत्तर दाखिल नहीं किया था, इसलिए वानकाई पर अलग अलग शुल्क दर नहीं दी जा सकती है। यह परिचालन परिपाटियों के मैनुअल में बताए गए रख और मेट कोक के मामले में हाल के प्रारंभिक जांच परिणाम में लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- xvi. वांकाई के दावों के विपरीत, संबंधित निर्यातक के माध्यम से एक छोटी मात्रा का निर्यात किए जाने पर भी उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक वानकाई द्वारा भरोसा किए गए जांच परिणामों का संबंध है, वहीं असंबद्ध निर्यातकों द्वारा असहयोग की स्थिति से संबंधित हैं, न कि संबंधित निर्यातकों से।
- xvii. वांकाई उत्पादों के निर्यात का केवल 36% प्रत्यक्ष निर्यात है। शेष 66% निर्यात असंबद्ध व्यापारियों द्वारा किया गया है, जिन्होंने भाग नहीं लिया है। इस प्रकार, वानकाई की प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- xviii. आयात के उत्पाद विवरण में न केवल वानकाई के ग्रेड नाम का उल्लेख किया गया है, बल्कि उत्पादों के निर्माता के रूप में वानकाई की स्पष्ट पहचान भी की गई है।
- xix. सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऐसे आयातित उत्पादों को वानकाई द्वारा उत्पादित के रूप में मान्यता दी है और उसके बाद, कम पाटनरोधी शुल्क स्वीकार किया है।
- xx. सीमा शुल्क मैनुअल में माल के आयात पर निर्माता का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करने की आवश्यकता होती है, यदि उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगता है।
- xxi. संबद्ध वस्तुओं पर पैकेजिंग मैटिरियल संबंधी निर्माता का नाम होता है।
- xxii. ऐसे उत्पादों को कमतर पाटनरोधी शुल्क पर आयात किया गया है, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद कि उनका उत्पादन वानकाई द्वारा किया गया है।
- xxiii. निर्यात के लिए मूलता प्रमाण पत्र निर्माता की पहचान करता है, जैसा कि रिकॉर्ड पर साक्ष्य के रूप में प्रदान किए गए नमूना मूलता प्रमाण पत्र से देखा जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी को असहयोगी निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए लेनदेन के लिए मूलता प्रमाण पत्र की मांग करनी ही चाहिए, जिन्हें वानकाई पर लागू कमतर शुल्क पर मंजूरी दी गई है।
- xxiv. चीन में मूलता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में चीनी अधिकारियों द्वारा निर्माता के रिकॉर्ड का सत्यापन शामिल है, जिसमें उनकी क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल की उत्पत्ति, तैयार उत्पाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा, चीन में मूलता प्रमाण पत्र के लिए हालिया उपायों में निर्यातकों और निर्माताओं को प्रमाण पत्र जारी करने से तीन साल तक निर्यात वस्तुओं की उत्पत्ति साबित करने वाली सहायक सामग्री को बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है।
- xxv. दोनों देशों में सिद्ध प्रक्रियाओं और विनियमावली में निर्माताओं के विवरण को सत्यापित करने का आदेश दिया गया है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि माल वांकाई द्वारा उत्पादित किया गया था।

- xxvi. वान्काई को अच्छी तरह से पता था कि इसके द्वारा उत्पादित सामान भारत को निर्यात किया जा रहा है।
- xxvii. सामान्य व्यवसाय के दौरान भी, उत्पादों को कारखाने के परिसर में कंटेनरों में भर दिया जाता है और उत्पादक के संयंत्र से बंदरगाह तक ले जाया जाता है। इस प्रकार, वानकाई के लिए भारत को इसके निर्यातों के बारे में जानकारी न होना संभव नहीं है।
- xxviii. चूंकि वान्काई को भारत को अपने सभी निर्यात की रिपोर्ट करना आवश्यक है, और उसको यह पता था कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को मूलता प्रमाण पत्र के तहत निर्यात किया गया है, इसलिए उसे आयात के देश की पहचान करने और प्राधिकारी को पर्याप्त रूप से जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए था।
- xxix. वान्काई ने संबंधित निर्यातक के माध्यम से भी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था, लेकिन समय सीमा के 2 महीने बाद तक इस संबंध में जानकारी प्रदान करने में विफल रहा।
- xxx. चूंकि असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से निर्यात, जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई है, वान्काई से कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए वान्काई को सहयोगी नहीं ही माना जाना चाहिए। यह प्रचालन परिपाटियों मैनुअल के अनुसार प्राधिकारी की स्थापित कार्य-पद्धति के अनुरूप है, और इंडोनेशिया और सिंगापुर से अनकोटेड कॉपियर पेपर, और बसों और ट्रकों के लिए रबडू के नए न्यूमेटिक रेडियल टायर, ट्यूब और/या फ्लैप के साथ या बिना विभिन्न जांच परिणामों में देखा गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

"i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल वानकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (वानकाई) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उत्तर समय सीमा के बाद दायर किया गया था। हालाँकि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विस्तारित समय के भीतर, 10 नवंबर 2025 को उत्तर दायर किया गया है। इसके अलावा, 13 जनवरी 2026 को, जो उत्तर प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद है, वानकाई ने अपने संबद्ध व्यापारी, वानकाई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए उत्तर प्रस्तुत किया है।

छ.4 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.4.1 सामान्य मूल्य

40. विश्व व्यापार संगठन में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का

उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के तहत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के तहत उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा या एक ऐसी पद्धति जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

एससीएम करार के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के संगत प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

41. घरेलू उद्योग ने चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) को उद्धृत किया और उस पर विश्वास किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जन.गण. में उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा ही जाना चाहिए कि उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में सदृश्य उत्पाद का उत्पादन करते हुए, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार से प्रेरित है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए। आवेदकों ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
42. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण चीन के लिए पैरा 7 के अनुसार किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान की समय सीमा समाप्त हो गई है। यह नोट किया जाता है कि जबकि ऐसे प्रावधानों की समय सीमा समाप्त हो गई है, अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने

संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षित होती है। इसके अलावा, एकमात्र भाग लेने वाला उत्पादक, वान्काई ने बाजार अर्थव्यवस्था माने जाने का दावा नहीं किया है। अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड, इसकी पूर्ति न किए जाने और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने में निर्यातक की असफलता के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की अनुमति वर्तमान मामले में नहीं दी जा सकती है।

43. तदनुसार, इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

“ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबद्ध पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक तर्कसंगत समयावधि प्रदान की जाएगी।”

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह कहा है कि पैरा 7 के तहत दिए गए विकल्पों के अनुसार, सामान्य मूल्य निर्धारित किया ही जाना चाहिए। इस संबंध में यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग ने वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं और सामान्य मूल्य की गणना के लिए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की अन्य पक्षकारों की पहचान करना और उसे अधिसूचित करना अपेक्षित है।
45. यह नोट किया जाता है कि पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से किसी अन्य देश में कीमत, जिसमें भारत भी शामिल है, या जहां यह संभव नहीं है, किसी भी उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक रूप से समायोजित किया गया, भारत में समान वस्तु के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसके पास सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए वैकल्पिक आधार तक पहुंच नहीं थी, क्योंकि अन्य देशों में कीमतों और लागतों के बारे में जानकारी गोपनीय है। यह नोट किया जाता है कि जहां हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को वैकल्पिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए थी, वहीं उन्होंने स्वयं सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई वैकल्पिक साधन नहीं सुझाया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि वैकल्पिक जानकारी उपलब्ध थी जो घरेलू उद्योग प्रदान कर सकता था। चूंकि घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों ने रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं दी है जो किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति देगी, या भारत सहित अन्य देशों को तीसरे देश से निर्यात की कीमत का निर्धारण करेगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभों के लिए समायोजित किया गया है।

छ.4.2 निर्यात कीमत

वान्काई न्यू मैटेरियल्स कं. लि. के लिए निर्यात कीमत

46. प्रस्तुत किए गए उत्तर में, वान्काई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (वान्काई) ने दावा किया कि उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात केवल प्रत्यक्ष रूप से किया है। प्राधिकारी ने उसे एक अनुपूरक प्रश्नावली जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके वितरण चैनल से संबंधित जानकारी मांगी गई। 29 दिसम्बर 2025 की अनुपूरक प्रश्नावली के उत्तर में, वान्काई ने यह बताया कि उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात केवल

प्रत्यक्ष रूप से ही किया है। तथापि, इसके बाद मौखिक सुनवाई के पश्चात्, और जब घरेलू उद्योग द्वारा इस ओर संकेत किया गया, तब 13 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से वानकाई ने वानकाई इंटरनेशनल प्रा. लि. (वानकाई इंटरनेशनल पीटीई लि.) के संबंध में एक उत्तर प्रस्तुत किया। वानकाई ने दावा किया कि वानकाई के कार्मिकों ने कुछ भ्रम और अनदेखी के कारण वानकाई इंटरनेशनल को किए गए निर्यात की नगण्य मात्रा पर ध्यान नहीं दिया, विशेषकर इसलिए कि यह व्यापारी सिंगापुर में स्थित है और यह मार्च 2023 में ही निगमित हुआ था।

47. घरेलू उद्योग ने 4 दिसम्बर 2025 के पत्र के माध्यम से यह रेखांकित किया कि वानकाई अपनी सहायक कंपनी वानकाई इंटरनेशनल प्रा. लि. के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जो वानकाई द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को भारत को निर्यात करने में शामिल है। अतः घरेलू उद्योग ने वानकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। इसके पश्चात्, अपने लिखित अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया कि वानकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत को किए गए निर्यात का लगभग 66% हिस्सा ऐसे व्यापारियों के माध्यम से है जिन्होंने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है। अपने तर्क के समर्थन में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।

क. आयात आंकड़े जिनमें लेन-देन के विवरण हैं विशेष रूप से यह अभिज्ञात करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का विविनिर्माता वानकाई है। जैसा कि घरेलू उद्योग ने रेखांकित किया, आयात विवरण केवल ग्रेड नाम तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि वानकाई ने दावा किया है, बल्कि विशेष रूप से यह संकेत करते हैं कि वानकाई ही विनिर्माता है।

ख. चीन काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) द्वारा जारी मूलता प्रमाण-पत्रों के नमूने, जो चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन प्रमाण-पत्रों में दर्शाया गया है कि भारत को निर्यात की गई वस्तुओं का विनिर्माता वानकाई है। तथापि, इन वस्तुओं का निर्यात ऐसे निर्यातकों द्वारा किया गया है जिन्होंने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है।

ग. भारतीय सीमाशुल्क मैनुअल, जो यह दर्शाता है कि जहां ऐसे आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होता है, वहां भारतीय सीमाशुल्क आयातित वस्तुओं के विनिर्माता का सत्यापन करता है।

घ. चीन में लागू वे विनियम (उपाय) जो मूलता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन उपायों में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी "उत्पादन उपकरण, प्रक्रियाओं, सामग्री, पैकेजिंग, चिह्नों और अन्य मूलता-संबंधी जानकारी का स्थल निरीक्षण करके" मूलता का सत्यापन कर सकते हैं।

48. प्राधिकारी ने भारत में विभिन्न निर्यातक पक्षकारों से किए गए आयातों पर प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क की भी जांच की है। यह पाया गया है कि भारत में आयातित संबद्ध वस्तुओं को वानकाई पर लागू व्यक्तिगत शुल्क दर पर ही स्वीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में प्राधिकारी ने भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों से उपयुक्त पुष्टि भी मांगी है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की भी जांच की है। यह पाया गया है कि जांच अवधि के दौरान वानकाई के नाम या वानकाई के ग्रेड नाम वाले अनेक सौदे मौजूद हैं। वास्तव में, जांच अवधि के दौरान कुल 1,447 सौदों में से 1,229 सौदे ऐसे हैं जिनमें वानकाई का ग्रेड नाम है या विशेष रूप से वानकाई का उल्लेख है अथवा वानकाई को विनिर्माता के रूप में पहचाना गया है। यह भी नोट किया गया है कि वानकाई के नाम या ग्रेड नाम वाले, किंतु असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किए गए आयातों की मात्रा, वानकाई द्वारा किए गए कुल निर्यात का 65-75% बनती है।

49. वानकाई ने इन आरोपों से इनकार किया है और यह आग्रह किया है कि उसने संबद्ध वस्तु का निर्यात केवल प्रत्यक्ष रूप से तथा वानकाई इंटरनेशनल के माध्यम से ही किया है। इसके अतिरिक्त, वानकाई ने यह भी दावा किया कि चूंकि घरेलू उद्योग ने उपयोग किए गए आयात आंकड़ों तथा मूलता प्रमाण-पत्रों के स्रोत का खुलासा नहीं किया, इसलिए वह उन पर टिप्पणी करने से वंचित रहा है। वानकाई इस बात पर जोर देता रहा है कि व्यापारियों द्वारा उसके ग्रेड नाम के उपयोग पर, या उसके नाम पर मूलता प्रमाण-पत्र जारी कराने की मांग करने वाले पक्षकारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वानकाई ने पूर्व समामेलन रोधी जांच तथा इस तथ्य पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई है कि आयातों के संबंध में डीआरआई द्वारा जांच प्रारंभ की गई है। तथापि, वानकाई ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उसे इन सौदे की जानकारी नहीं थी। उदाहरणार्थ, वानकाई ने भारतीय सीमाशुल्क कानून तथा चीन के उपायों के अंतर्गत लागू प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का खंडन नहीं किया है, जिन दोनों में यह आवश्यक है कि आयात सौदों में विनिर्माता की पहचान की जाए। वानकाई यह भी प्रदर्शित नहीं कर

पाया है कि उसने उक्त सौदे के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया, ताकि सही तथ्यों को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वानकाई ने यह दावा किया है कि असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से किए गए सौदे वर्तमान समीक्षा में उसके द्वारा निर्मित उत्पादों से संबंधित नहीं थे। तथापि, सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष इन सौदों को वानकाई द्वारा निर्मित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि वानकाई और व्यापारी भारत में दो अलग-अलग प्राधिकारियों के समक्ष परस्पर विपरीत दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। चूंकि आयात के समय वस्तुओं को वानकाई द्वारा उत्पादित बताया गया था, और भारतीय सीमाशुल्क ने मूलता प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए विधिवत सत्यापन के बाद वस्तुओं की निकासी की है, इसलिए वर्तमान मामले में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वानकाई को इस मामले में विपरीत दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी जाती है, तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पक्षकार अपने अधिकतम लाभ के आधार पर भारत के विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अलग-अलग दृष्टिकोण अपना सकेंगे।
51. प्राधिकारी विशेष रूप से यह नोट करते हैं कि मूलता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उत्पाद के स्रोत या विनिर्माता की पहचान आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माता के रिकार्डों का सत्यापन भी किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन वस्तुओं को निर्यातक देश के मूल का बताया जा रहा है वे वास्तव में वहीं निर्मित हुई हैं, न कि केवल व्यापार या ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से भेजी गई हैं। घरेलू उद्योग द्वारा रिकार्ड में रखे गए विनियम यह दर्शाते हैं कि चीन में जारी करने वाले प्राधिकारी विनिर्माता के परिसर का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, मूलता प्रमाण-पत्र चीन काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) द्वारा जारी किए गए हैं, जो चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। चूंकि जारी करने वाले प्राधिकारी सीसीपीआईटी ने यह प्रमाण-पत्र जारी किया है जिसमें यह पुष्टि की गई है कि निर्यातित उत्पाद का विनिर्माता वानकाई है, इसलिए प्राधिकारी को वानकाई का यह तर्क कि उसने इन वस्तुओं का विनिर्माण नहीं किया, स्वीकार्य नहीं लगता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस संबंध में वह चीन के नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों पर भरोसा करेंगे, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि वानकाई द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात वास्तव में अन्य पक्षकारों द्वारा भारत को किया गया है।
52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए मूलता प्रमाण-पत्रों का डीजी सिस्टम्स के साथ भी मिलान किया। यह पाया गया कि प्रमाण-पत्र संख्या *** बीजक संख्या *** दिनांक *** के संबंध में जारी किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे बीजक को एचएस कोड 39076990 के अंतर्गत, बिल ऑफ एंट्री संख्या *** दिनांक *** के माध्यम से क्लीयर किया गया है। आयातित उत्पाद का विवरण "****" के रूप में दर्ज है। प्राधिकारी ने ऐसे आयात सौदों पर चुकाए गए पाटनरोधी शुल्क की भी जांच की और पाया कि आयात के चरण पर वानकाई पर लागू पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार, प्रमाण-पत्र संख्या *** बीजक संख्या *** दिनांक *** के संबंध में जारी किया गया था। ऐसे बीजक को एचएस कोड 39076990 के अंतर्गत, बिल ऑफ एंट्री *** दिनांक *** के माध्यम से निकासी की गई है, जिस पर वानकाई पर लागू पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया गया। आयातित उत्पाद का विवरण "****" के रूप में दर्ज है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि वानकाई के नाम पर जारी मूलता प्रमाण-पत्रों के अंतर्गत आयातित वस्तुएं वास्तव में भारत में आयात की गई हैं, और उनकी वानकाई पर लागू कम शुल्क दर के अंतर्गत निकासी की गई है।
53. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वानकाई ने प्रारंभ में किसी भी व्यापारी के माध्यम से निर्यात करने से पूर्णतः इनकार किया था। तथापि, जब मौखिक सुनवाई के दौरान निर्यात का तथ्य उजागर किया गया, तब उसने संबद्ध व्यापारी वानकाई इंटरनेशनल के लिए एक उत्तर प्रस्तुत किया। वानकाई इस विलंब को यह बताते हुए महत्वहीन बताता है कि यह एक चल रही जांच है और जांच की प्रगति के साथ संगत तथ्य सामने आते हैं। तथापि, घरेलू उद्योग पहले ही 4 दिसम्बर 2025 के पत्र के माध्यम से वानकाई इंटरनेशनल के माध्यम से निर्यात के तथ्य को रेखांकित कर चुका था। वानकाई द्वारा प्रस्तुत अनुरोध यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोध का अवलोकन करने के बाद उसने वानकाई इंटरनेशनल के लिए उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति प्राधिकारी से क्यों नहीं मांगी। इसके विपरीत, 29 दिसम्बर 2025 की अनुपूरक प्रश्नावली के उत्तर में भी वानकाई ने यह बनाए रखा कि उसने किसी तीसरे पक्षकार को निर्यात नहीं किया है। दो महीने से अधिक की अतिरिक्त देरी के लिए वानकाई ने कहीं भी कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अभी भी वानकाई ने इस विलंबित चरण पर उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया है, बल्कि केवल उत्तर प्रस्तुत कर दिया है।

54. वानकाई यह भी दावा करता है कि व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यात को छिपाने के लिए उसके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है। वह यह भी दावा करता है कि यदि उसने व्यापारियों के माध्यम से ऐसे निर्यात किए होते, तो समामेलन रोधी जांच में इस मुद्दे के उजागर होने के बाद वह ऐसे निर्यातों में शामिल होने का परिहार करता। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापारियों के माध्यम से किए गए निर्यातों का खुलासा न करने से वानकाई को यह लाभ मिलता है कि वह व्यक्तिगत शुल्क दर का दावा कर सके, बिना यह सुनिश्चित किए कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातक आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सहयोग करें। इसके अतिरिक्त, समामेलन रोधी जांच में प्राधिकारी ने वानकाई के इस तर्क को स्वीकार किया था कि उसके ग्रेड नाम के अंतर्गत आयातित उत्पाद वानकाई द्वारा विनिर्मित नहीं थे। तथापि, वानकाई यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए कि वस्तुएं उसके नाम के अंतर्गत व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात नहीं की जा रही थीं। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि व्यापारियों के माध्यम से निर्यात जारी है, क्योंकि संभव है कि वानकाई ने यह मान लिया हो कि प्राधिकारी समामेलन रोधी जांच में अपनाए गए दृष्टिकोण को ही जारी रखेंगे।
55. वानकाई के तर्क इस तथ्य पर भी अत्यधिक बल देते हैं कि घरेलू उद्योग ने कथित अप्रत्यक्ष निर्यातों की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे कीमतें अधिक होंगी। तथापि, यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मुद्दा यह नहीं है कि मार्जिन अधिक होना चाहिए या कम, बल्कि यह है कि मूल्य शृंखला पूर्ण है या नहीं।
56. जहां तक डीआरआई जांच का संबंध है, प्राधिकारी का मत है कि वह अभी केवल जांच के चरण में है, और यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं है कि डीआरआई यह पाएंगे कि आयातित वस्तुएं वानकाई द्वारा विनिर्मित नहीं थीं।
57. अतः उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वानकाई प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है। प्रस्तुत की गई जानकारी महत्वपूर्ण पहलुओं में अपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नावली में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहां निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किए जाते हैं, वहां उस निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का भी उत्तर प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकारी की सतत प्रथा यह रही है कि असंबद्ध व्यापारियों को जांच में सहयोग करना आवश्यक होता है, अन्यथा अलग-अलग शुल्क की अनुमति नहीं दी जाती। वर्तमान मामले में, भारत को किए गए निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा रखने वाले व्यापारी प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं कर पाए हैं। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में वानकाई को असहयोगी माना जाएगा।

चीन जन. गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

58. चीन के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है, और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

59. उपर्युक्त अनुसार परिकलित सामान्य मूल्य तथा यथा निर्धारित निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	(अम.डा./एमटी)	(%)	(रेंज)
1	कोई	***	809	***	***	20-30%

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

60. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वानकाई से आयात उसके उत्पादों की मांग के कारण बढ़े हैं।

- ख. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रही हैं, जबकि पीटीए और एमईजी की कीमतों में गिरावट आई है।
- ग. कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री समान हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि बिक्री कीमत क्षतिरहित कीमत के बराबर या उससे अधिक है, जो यह दर्शाता है कि कोई क्षति नहीं हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता और बिक्री बढ़ी है। क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, जो क्षमता में वृद्धि के कारण है।
- ड. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मूल्यहास और ब्याज में वृद्धि के कारण हुई है।
- च. संयंत्र बंद होने के विस्तृत कारण प्रदान नहीं किए गए हैं। यह समझा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए बंद अनियोजित और असामान्य हैं, जिससे घाटा हुआ है।

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

61. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. वानकाई पर लागू कम शुल्क ने उसे भारत में महत्वपूर्ण मात्रा में निर्यात जारी रखने की सक्षमता दी है, जो मूल जांच की जांच अवधि में लगाए गए आयात की मात्रा के बराबर है।
- ख. पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध देश से होने वाले पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकने में सफलता मिली है। तथापि, पाटन के जारी रहने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को संभावित क्षति की संभावना की जांच करना आवश्यक है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में किसी क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद होने से संबंधित जानकारी प्रदान की है और उसी की जांच की जा सकती है।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, क्षति अवधि के दौरान पीटीए और एमईजी की कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत कम हुई है।
- ड. वर्तमान मामले में कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती से कहीं अधिक है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को क्षतिरहित कीमत के स्तर पर बेचने में सक्षम नहीं रहा है।
- च. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण नहीं हुई है, क्योंकि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए भी घटा है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

- 62. प्राधिकारी ने क्षति, कारणात्मक संबंध तथा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने की संभावना के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुरोधों को संबोधित करता है।
- 63. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को हुए घाटे संयंत्र के अनियोजित रूप से बंद होने के कारण हुए हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग को कोई हानि नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए बंद से संबंधित जानकारी की जांच की है और यह नहीं पाया कि उत्पादन लागत में समायोजन की आवश्यकता वाले कोई असामान्य बंद हुए हों।
- 64. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण जांच अवधि के दौरान किसी क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इसलिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

65. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार अनुमानित मांग नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित की गई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	133	141
आवद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	57	55
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	103	158
संबद्ध देश से आयात	एमटी	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
अन्य देशों से आयात	एमटी	69,309	59,958	80,692	95,701
आवद्ध सहित मांग	एमटी	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748
आवद्ध छोड़कर मांग	एमटी	12,23,372	14,75,654	17,47,017	19,21,578

66. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग क्षति अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में 57% की वृद्धि हुई है।

ख) संबद्ध देश से आयात की मात्रा

67. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में, समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा निम्नानुसार रही है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध देश से आयात	एमटी	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
अन्य देशों से आयात	एमटी	69,309	59,958	80,692	95,701
कुल आयात	एमटी	92,451	1,10,171	2,94,476	2,95,405
भारतीय उत्पादन	एमटी	17,97,465	18,25,971	17,50,498	19,32,656
भारतीय खपत	एमटी	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
भारतीय उत्पादन	%	1.29%	2.75%	12.21%	10.33%
खपत/मांग	%	1.89%	3.40%	12.24%	10.39%
कुल आयात	%	25.03%	45.58%	72.60%	67.60%

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- संबद्ध देश से आयात की मात्रा क्षति अवधि के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ी है।
- यद्यपि जांच अवधि में आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है, फिर भी यह 2020-21 की मात्रा से 9 गुना अधिक है। यह भी नोट किया गया है कि वर्तमान जांच अवधि में उत्पादक वानकाई पर लागू

शुल्क की राशि में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप आयात में मामूली गिरावट हो सकती है। तथापि, आयात की मात्रा अभी भी काफी अधिक बनी हुई है।

- iii. घरेलू उद्योग ने यह भी रेखांकित किया है कि वर्तमान आयात मात्रा मूल जांच अवधि की आयात मात्रा से वास्तविक रूप से कम नहीं है, जो 2,42,638 मीट्रिक टन थी।
- iv. भारत में उत्पादन और खपत के सापेक्ष आयात भी क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हैं, तथापि जांच अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।
- v. ऐसी स्थिति में जब भारतीय उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पहले से पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है, संबद्ध आयात अभी भी कुल खपत के 10% से अधिक का हिस्सा बने हुए हैं।
- vi. यद्यपि 2020-21 में भारत में कुल आयातों में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी 24% थी, तथापि संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और वे अब कुल आयातों में अधिकांश हिस्सा रखते हैं।

ज.3.2. पाटित आयातों की कीमत प्रभाव

69. संबद्ध देश से आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या कथित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा बढ़ गई होती। संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क) कीमत कटौती

70. कीमत कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पंहुच मूल्य से की गई है। इस संबंध में, उत्पाद के पंहुच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है, जिसमें सभी छूटों और करों को हटाकर व्यापार के समान स्तर पर औसत बिक्री कीमत का आकलन किया गया है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
पंहुच कीमत	₹/एमटी	84,473
कीमत कटौती	₹/एमटी	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	0-10%

71. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। चूंकि वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लागू है, इसलिए यह संभावना कम है कि इस प्रकार के कीमत अंतर ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई दबाव डाला हो, क्योंकि शुल्क सहित आयात कीमत घरेलू उद्योग की कीमत से अधिक था। तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ऐसे आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करने की संभावना रखते हैं।

ख) कीमत ह्रास/कीमत न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कम कर रहे हैं या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है अथवा ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	107	105
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	93	93
पंहुच कीमत	₹/एमटी	84,830	88,189	85,247	84,473
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	100	100

73. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, वहीं क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग अपनी लागत के आधार पर अपने उत्पाद की कीमत निर्धारण करने में सक्षम नहीं रहा है। यह क्षति अवधि के दौरान कम कीमतों पर आयात में वृद्धि का परिणाम है। अतः आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और ऐसी कीमत वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती।

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार यह अपेक्षा करता है, क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होगा, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि तथा पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

75. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	115	118
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	96	102
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	84	86
घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	133	141
निर्यात बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	45	45
आबद्ध खपत	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	57	55
-----------	----------	-----	----	----	----

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता, उत्पादन तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, फिर भी घरेलू उद्योग अपेक्षाकृत उच्च क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य कर रहा है।

च) बाजार हिस्सा

77. आयातों तथा घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	93	90
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	72	100
संबद्ध आयात	%	2%	3%	12%	10%
अन्य आयात	%	6%	4%	5%	5%

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इसके विपरीत, संबद्ध आयातों ने क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी प्राप्त की है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तथापि, समग्र रूप से देखा जाए तो क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग ने संबद्ध आयातों के पक्ष में अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवाई है।

ग) मालसूची

79. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	97	105

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में मामूली वृद्धि हुई है, किन्तु वे संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगभग स्थिर बनी रही हैं।

घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

81. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	107	105
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	93	93
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	56	-0	9
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	70	-1	13
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	72	7	19
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	9	17

82. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2022-23 तक घटती रही और उसके बाद जांच अवधि में उसमें सुधार हुआ। 2022-23 में घरेलू उद्योग को हानि हुई। लाभप्रदता में गिरावट वानकाई द्वारा पाटनरोधी शुल्क के सम्मेलन के कारण हुई। सम्मेलन रोधी जांच के परिणामस्वरूप वानकाई से आयतों पर पाटनरोधी शुल्क की अधिक मात्रा लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है।
- समग्र रूप से देखा जाए तो क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय ने भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय 2022-23 तक घटे और उसके बाद बढ़े हैं। तथापि, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय दोनों ही 2020-21 के स्तर से कम स्तर पर बने हुए हैं।
- यद्यपि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है, फिर भी घरेलू उद्योग की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।

- 83. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभप्रदता में गिरावट ब्याज और मूल्यहास लागत के कारण नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए, जिसमें ब्याज और मूल्यहास का प्रभाव शामिल नहीं होता, कम हुआ है।**

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
ईबीआईडीटीए	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	63	14	21
ईबीआईडीटीए	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	19	30

ड) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

- 84. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जो नीचे दी गई है:**

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	102	95
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	98	102
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	96	108
मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	115	99

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या तथा मजदूरी दोनों में गिरावट आई है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

च) वृद्धि

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	-	15%	3%
उत्पादन	%	-	0%	-4%	6%
घरेलू बिक्रियाँ	%	-	23%	8%	6%
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	%	-	-44%	-101%	2,021%
नकद लाभ	%	-	-28%	-91%	185%
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	-24%	-28%	5%

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 2022-23 तथा जांच अवधि में अपनी स्थापित क्षमता में वृद्धि की है। यद्यपि 2022-23 में घरेलू उद्योग का उत्पादन घटा है, वहीं जांच अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है। वानकाई पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के कारण 2021-22 और 2022-23 में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मानकों में गिरावट देखी गई। तथापि, जांच अवधि में इनमें कुछ हद तक सुधार हुआ है।

छ) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. वर्तमान जांच अवधि के दौरान प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, तथापि शुल्क सहित कीमत घरेलू उद्योग की कीमत से अधिक है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार देखा गया है। घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में भी सुधार हुआ है। अतः जांच अवधि के दौरान आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है।

ज) पाटन की मात्रा

88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का भारत में पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 2022-23 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट आई और जांच अवधि में इसमें कुछ सुधार हुआ है। चूंकि घरेलू उद्योग की स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है, इसलिए शुल्क की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

झ. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

90. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटन और क्षति तथा वानकाई द्वारा आयात में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है।
- ख. वानकाई ने ऐसा कोई पाटन नहीं किया जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- ग. अन्य देशों द्वारा उपयोग किए गए व्यापार उपचार उपायों से चीन जन. गण. के लिए उन देशों के बाजार बंद नहीं होंगे, क्योंकि उन देशों को निर्यात नियमित रूप से जारी है।
- घ. यह मानने का कोई आधार नहीं है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कोई अतिरिक्त क्षमता भारत को निर्यात की जाएगी।
- ङ. भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक बाजार नहीं है, क्योंकि वानकाई को अन्य देशों में अधिक कीमतें प्राप्त हो रही हैं, जिसकी पुष्टि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से की जा सकती है।
- च. यदि वानकाई पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा, तो वह संबद्ध वस्तु का निर्यात केवल उसकी मांग के अनुसार करेगा।

झ.2. घरेलू उद्योग के विचार

91. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग को क्षति न होने की स्थिति में भी, शुल्क की समाप्ति के संभावित प्रभाव की जांच करना प्राधिकारी के लिए आवश्यक है, जैसा कि सेस्टेट द्वारा पी.टी. असाहीमास कैमिकल्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय दिया गया है।
- ख. शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।
- ग. चीन जन. गण. के उत्पादक और निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारतीय बाजार में पाटन करते रहे हैं। पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।
- घ. चीन के उत्पादक अनुचित व्यापार प्रथाओं के अभ्यस्त हैं और वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य बाजारों में भी पाटन कर रहे हैं।
- ङ. वानकाई पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कम मात्रा के कारण पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी भारत में आयात बढ़े हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयात कई गुना बढ़ने की संभावना है।
- च. जांच अवधि के बाद भी, अप्रैल-दिसम्बर 2025 के दौरान, चीन से भारत में आयात बढ़ना जारी रहा है।
- छ. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, वानकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार भारत को निर्यात बिक्री में 800% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत को निर्यात कीमत में गिरावट आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में आयात बढ़ने की संभावना है।
- ज. यह देखते हुए कि वानकाई ने शुल्कों का समामेलन किया, पाटन की संभावना के अभाव का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- झ. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है जबकि भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी घटी है।
- ञ. चीन के उत्पादकों ने घरेलू मांग से अधिक क्षमता स्थापित कर रखी है। भारत की मांग की तुलना में चीन में अतिरिक्त क्षमता छह गुना है। ऐसी अतिरिक्त क्षमताओं में भारतीय उद्योग को समाप्त करने की क्षमता है।
- ट. 2020 में शुल्क लगाए जाने के बाद से संबद्ध देश में क्षमताओं में वृद्धि हुई है।
- ठ. अन्य हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, भारतीय प्राधिकारी तथा वैश्विक स्तर पर जांच करने वाले प्राधिकारियों ने यह माना है कि संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताओं की उपस्थिति संबद्ध देश से आयात में वृद्धि की संभावना को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस के अनुसार संभावना निर्धारण के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की जांच आवश्यक है।
- ड. अतिरिक्त क्षमता की स्थिति में उत्पादक यदि वे सीमांत लागत को प्राप्त कर सकें तो उत्पाद को बेचने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि इससे उनकी स्थिर लागतों की भरपाई हो सकेगी।

- ड. वानकाई यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया जाएगा।
- ण. संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताओं के बावजूद, चीन के उत्पादक और अधिक क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर आयात होने की संभावना है।
- त. चीन के उत्पादकों के पास ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं जो भारत की मांग से भी अधिक हैं।
- थ. संबद्ध देश के उत्पादकों के विरुद्ध अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण अनेक न्यायक्षेत्रों में व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू हैं।
- द. यूरोपीय संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे न्यायक्षेत्रों जहाँ पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, का अनुभव यह दर्शाता है कि ऐसे उपायों का लागू किया जाना आयात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
- ध. चीन जन. गण. से आयात अन्य न्यायक्षेत्रों, जैसे अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ, में काफी बढ़ गए हैं, जहाँ शुल्क समाप्त होने दिया गया था। यूरोपीय संघ ने चीन जन. गण. से आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण मूल रूप से समाप्त हो चुके पाटनरोधी शुल्क को पुनः लागू किया।
- न. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व चीन के उत्पादकों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार था।
- प. हाल के समय में यूरोपीय संघ चीन के उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है। तथापि, पाटनरोधी जांच की शुरुआत होने के कारण चीन जन. गण. से यूरोपीय संघ को होने वाले निर्यात में गिरावट आई है और ऐसे निर्यात भारतीय बाजार की ओर भेज दिए गए हैं। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति चीन जन. गण. से आयात के भारी प्रवाह के लिए भारतीय बाजार को खोल देगी।
- फ. ऐसा कोई वैकल्पिक बाजार नहीं है जो चीन जन. गण. में स्थापित अतिरिक्त क्षमताओं को समाहित कर सके। उत्पाद के प्रमुख उपभोक्ताओं में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और वियतनाम शामिल हैं। यद्यपि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चीन जन. गण. से आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय और शुल्क लगाए हैं, वियतनाम के पास स्वयं अतिरिक्त घरेलू क्षमता है।
- ब. हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, जिन न्यायक्षेत्रों ने उपाय लागू किए हैं—जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, एसएसीयू और संयुक्त राज्य अमेरिका—उनमें चीन से होने वाले निर्यात में गिरावट आई है।
- भ. प्राधिकारी ने अनेक जांचों में यह निष्कर्ष निकाला है कि शुल्क लगाए जाने के कारण आयात में गिरावट आई। इस तथ्य को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि ऐसे देशों में शुल्क लगाए जाने के बाद तीसरे देशों को निर्यात में गिरावट नहीं आ सकती।
- म. चीन जन. गण. से तीसरे देशों को होने वाले 91% निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर हुए हैं।
- य. भारत कीमत की दृष्टि से एक आकर्षक बाजार है, क्योंकि चीन जन. गण. से तीसरे देशों को होने वाले 61% निर्यात भारत को होने वाले निर्यात की कीमत से कम कीमत पर होते हैं। ऐसे निर्यात भारत की मांग से कहीं अधिक हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में चीन के निर्यातक इन निर्यातों को भारतीय बाजार की ओर भेज सकते हैं।
- कक. जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयात कीमत में गिरावट आई है। ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम कीमत पर हैं। घरेलू उद्योग केवल लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण ही लाभप्रद बना हुआ है।
- खख. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत के अनुरूप अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। समामेलन रोधी जांच के परिणामस्वरूप शुल्क में वृद्धि से घरेलू उद्योग को कुछ राहत मिली है, तथापि उसकी स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।
- घघ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें आयात कीमत के स्तर तक घटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है।

- ड.ड. यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद घरेलू उद्योग अपनी कीमतें बनाए रखता है, तो प्रयोक्ता की उनसे खरीदारी करने की संभावना कम है, जिससे घरेलू उद्योग को उसकी पूरी स्थिर लागत का नुकसान उठाना पड़ेगा।
- च. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत में नए निवेश की व्यवहार्यता जोखिम में पड़ जाएगी। भारत में क्षमताएं स्थापित करने के लिए कई उत्पादकों ने निवेश किया है।
- छ. पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण पूरे देश के स्तर पर किया जाना आवश्यक है, न कि किसी एकल उत्पादक के आधार पर।

इ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

92. वर्तमान जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना उचित है। इसके लिए इस बात की जांच करना भी आवश्यक है कि क्या लगाए गए शुल्क ने अपने अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर ली है।
93. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक ने संभावना के संबंध में अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर अनुरोध किए हैं, तथापि पाटन तथा परिणामी क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन पूरे संबद्ध देश के लिए किया जाना चाहिए, न कि किसी एकल उत्पादक/निर्यातक के संदर्भ में। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि वर्तमान समीक्षा में संबंधित उत्पादक वानकाई को असहयोगी माना गया है।
94. प्राधिकारी ने पाटन तथा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में निम्नानुसार विस्तृत विश्लेषण किया है। संभावना से संबंधित मानकों की जांच निम्नानुसार है:
- क. **पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाटन का जारी रहना**
95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारतीय बाजार में पाटन जारी रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में प्रमुख निर्यातक वानकाई ने पूर्व में पाटनरोधी शुल्क का समामेलन किया था। इस तथ्य को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहने की संभावना है।
- ख. **पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आयात में वृद्धि**
96. आवेदक ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देश से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 763% की वृद्धि हुई है, जबकि मांग में केवल 57% की वृद्धि हुई है। अतः संबद्ध आयात लगातार बढ़ते रहे हैं और भारतीय बाजार में मांग में संभावित वृद्धि पर भी कब्जा कर रहे हैं।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
संबद्ध आयात	एमटी	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
मांग	एमटी	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748

97. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि आयात में मुख्य वृद्धि वानकाई से हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयात में वृद्धि मुख्यतः वानकाई से होने वाले आयात पर लगाए गए कम शुल्क के कारण हुई है। प्राधिकारी ने हाल ही में की गई एक समामेलन रोधी जांच में यह माना कि वानकाई ने उक्त उत्पादक से होने वाले आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का समामेलन किया था और तदनुसार वानकाई पर शुल्क की राशि बढ़ा दी गई। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान भी आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वानकाई पर लागू अलग शुल्क दर पर ही स्वीकृत किया जा रहा है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में, जहाँ किसी एक उत्पादक पर लागू कम पाटनरोधी शुल्क के कारण भारत में आयात में वृद्धि हुई, लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश से आयात में वृद्धि होने की संभावना है।

ग. संबद्ध देश के उत्पादकों के पास काफी अधिक क्षमताएँ

98. घरेलू उद्योग ने वुड मैकेन्जी रिपोर्ट के आधार पर संबद्ध देश तथा अन्य देशों में क्षमता, उत्पादन और मांग से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने चीन में उत्पादन और क्षमताओं के संबंध में कोई विपरीत साक्ष्य रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं किया है।
99. यह नोट किया जाता है कि जहाँ चीन जन. गण. में मांग लगभग 8,166 केटी है, वहीं चीन जन. गण. में क्षमता 19,069 केटी है। इस प्रकार चीन के उत्पादकों के पास प्रति वर्ष 10,903 केटी की अतिरिक्त क्षमता है। वैश्विक अतिरिक्त क्षमता 12,568 केटी में से 87% चीन के पास है। चीन में अतिरिक्त क्षमताओं की तुलना में भारत में मांग केवल 1,922 केटी है। अतः चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता भारत की मांग का लगभग 6 गुना है।

विवरण	यूनिट	वैश्विक	चीन जन.गण.
क्षमता	केटी	41,243	19,069
मांग	केटी	28,675	8,166
मांग की तुलना में अधिक क्षमता	केटी	12,568	10,903

स्रोत: वुड मैकेन्जी रिपोर्ट

100. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमताएँ मौजूद हैं, तथापि वहाँ के उत्पादक अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं और वे अल्प-प्रयुक्त क्षमताओं पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएँ भारत की कुल मांग से कहीं अधिक हैं। शुल्क के अभाव में इन अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किए जाने की संभावना है।

विवरण	यूनिट	चीन जन. गण.
क्षमता	केटी	19,069
उत्पादन	केटी	13,748
क्षमता उपयोग	%	72%
अप्रयुक्त क्षमता	केटी	5,321
भारत में मांग	केटी	1,922
मांग के संबंध में अप्रयुक्त क्षमताएँ	%	277%

स्रोत: वुड मैकेन्जी रिपोर्ट

101. हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रश्न उठाया कि केवल इस कारण कि चीन के उत्पादकों के पास अप्रयुक्त क्षमता है, यह आवश्यक नहीं है कि उन क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किया जाएगा। प्राधिकारी को इस तर्क में कोई आधार नहीं मिलता। वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तु के संयंत्र लगभग पूर्ण क्षमता उपयोग के साथ संचालित होने में सक्षम हैं। कोई भी व्यवसाय सदैव अपनी क्षमता उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यदि अधिशेष मात्रा को निपटाने के लिए कोई बाजार उपलब्ध हो, तो प्रत्येक विवेकपूर्ण व्यवसाय उत्पाद का विपणन करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अतिरिक्त बिक्री उसे स्थिर लागत के बोझ को वहन करने में सहायता करती है। यह मानने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है कि किसी व्यवसाय के पास यदि अप्रयुक्त उपयोग योग्य क्षमता हो, तो वह उसे अप्रयुक्त ही बनाए रखेगा, बजाय इसके कि वह उत्पाद को उपलब्ध सभी बाजारों में विपणन करे।

घ. चीन जन. गण. में क्षमता विस्तार

102. घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. के उत्पादक आगे और क्षमता विस्तार कर रहे हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के उत्पादकों के पास पहले से ही चीन जन. गण. की घरेलू मांग से कहीं अधिक अतिरिक्त क्षमताएँ मौजूद हैं। इसके बावजूद उत्पादक क्षमता विस्तार की योजना बना रहे हैं। क्षमताओं में

ऐसी वृद्धि निर्यात बाजारों के लिए की जा रही है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में इन क्षमताओं का उपयोग भारत को निर्यात करने के लिए किए जाने की संभावना है।

विवरण	यूनिट	2024	2025	2026	2027	2028
क्षमता	केटी	19,069	21,839	22,960	23,411	24,161

ड. तीसरे देशों में पाटन

103. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. से तीसरे देशों को होने वाले भारी निर्यात पाटित तथा क्षतिकारी कीमतों पर किए जा रहे हैं।

विवरण	यूनिट	मात्रा
क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात	एमटी	51,60,926
चीन जन. गण. से कुल निर्यात	एमटी	69,89,698
क्षतिकारी निर्यातों का हिस्सा	%	74%
पाटित कीमतों पर निर्यात	एमटी	68,75,962
पाटित आयातों का हिस्सा	%	98%
क्षति मार्जिन	%	0-10%
पाटन मार्जिन	%	15-25%

स्रोत: ट्रेड मैप इंडिया

104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चीन के निर्यातकों ने संबद्ध वस्तुओं के 74% निर्यात घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम तथा पाटित कीमतों पर किए हैं। इस प्रकार, चीन के उत्पादक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं, बल्कि तीसरे देशों में भी पाटन कर रहे हैं।

च. अन्य देशों द्वारा लगाए गए उपाय तथा उन देशों में आयात का व्यवहार

105. तीसरे देशों में पाटन की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि चीन के उत्पादकों को कई न्यायक्षेत्रों में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, तुर्किये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश के उत्पादक अनेक न्यायक्षेत्रों में पाटन में शामिल रहे हैं।

उपाय लगाने वाला देश	लागू उपाय का प्रकार	तारीख और अन्य अभ्युक्तियों	अभ्युक्तियों
अर्जेंटीना	पाटनरोधी शुल्क	24-10-2013	शुल्क लगाया गया
अमरीका	पाटनरोधी शुल्क	06-05-2016	मूल पाटनरोधी शुल्क
		13-04-2022	पाटनरोधी शुल्क जारी रहना
अमरीका	प्रतिसंतुलनकारी शुल्क	06-05-2016	मूल सीवीडी शुल्क
		11-04-2022	सीवीडी शुल्क जारी रहना
ब्राज़ील	पाटनरोधी शुल्क	29-11-2016	मूल पाटनरोधी शुल्क

		25-11-2022	पाटनरोधी शुल्क जारी रहना
जापान	पाटनरोधी शुल्क	28-12-2017	मूल पाटनरोधी शुल्क
		31-01-2023	पाटनरोधी शुल्क जारी रहना
दक्षिण कोरिया	पाटनरोधी शुल्क	30-07-2024	अनंतिम शुल्क
		30-11-2024	निश्चयात्मक शुल्क
दक्षिण अफ्रीकी सीमाशुल्क संघ (एसएसीयू)	पाटनरोधी शुल्क	19-05-2020	शुल्क लागू करना
कनाडा	पाटनरोधी शुल्क	17-06-2025	मूल पाटनरोधी शुल्क
	प्रतिसंतुलनकारी शुल्क	17-06-2025	मूल सीवीडी शुल्क
तुर्किए	रक्षोपाय	13-12-2020	मूल उपाय
		13-12-2023	दिसंबर 2026 तक उपायों का जारी रहना
मलेशिया	पाटनरोधी शुल्क	07-05-2025	शुल्क लगाया गया
ईयू	पाटनरोधी शुल्क	13-08-2004	नवंबर 2015 तक शुल्क लगाया गया
ईयू	पाटनरोधी शुल्क	28-11-2023	Provisional duty imposed

छ. चीन के उत्पादकों के लिए सबसे बड़े बाजारों का नुकसान तथा वैकल्पिक बाजारों का अभाव

- 106.** रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि मार्च 2021 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पूर्व भारत चीन के उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा बाजार था। तथापि, भारत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण निर्यात यूरोपीय संघ की ओर भेज दिए गए, जो सबसे बड़ा बाजार बन गया। यूरोपीय संघ ने भी वर्ष 2022-2023 में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय संघ में ऐसे शुल्क लगाए जाने के बाद वहाँ आयात में गिरावट आई। अतः विदेशी उत्पादकों को अपने सबसे बड़े बाजारों के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग ने यह भी रेखांकित किया है कि यूरोपीय संघ में उपाय लागू किए जाने के बाद भारत में आयात में पुनः वृद्धि हुई है।
- 107.** यह भी नोट किया जाता है कि यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम विचाराधीन उत्पाद के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने पहले ही चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिया है। ऐसे शुल्क लगाए जाने तथा अमेरिका में संभावित रूप से लगाए गए टैरिफ के परिणामस्वरूप इन देशों को होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया कि यद्यपि वियतनाम इस उत्पाद का एक अन्य बड़ा उपभोक्ता है, परंतु वहाँ पहले से ही देश की मांग से अधिक क्षमता उपलब्ध है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वियतनाम में कुल मांग केवल 580 केटी है, जबकि भारत में मांग 1,922 केटी है। चूँकि अमेरिका और यूरोपीय संघ में पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, इसलिए शुल्क के अभाव में भारत अधिक आकर्षक बाजार बन जाएगा।
- 108.** वानकाई ने यह अनुरोध किया है कि उसने भारत में विचाराधीन उत्पाद की पाटन नहीं किया है और उक्त निर्यातक से आयात में वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संभावना का विश्लेषण प्रत्येक उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग करने के बजाय पूरे देश के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, वानकाई द्वारा भारत को निर्यात के रूप में रिपोर्ट की गई सीमित मात्रा के अनुसार भी, भारत को वानकाई की निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि तीसरे देशों को निर्यात में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
भारत को निर्यात	एमटी	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,602	1,217	900
तीसरे देशों को निर्यात	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	80	93	88

ज. शुल्क लगाए जाने या समाप्त होने के बाद तीसरे देशों को निर्यात की प्रवृत्ति

109. घरेलू उद्योग ने यह रेखांकित किया है कि शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप चीन के उत्पादकों ने कई न्यायक्षेत्रों में अपना बाजार गंवा दिया है। ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, एसएसीयू और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में निर्यात में गिरावट आई है।

110. इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं कि वर्ष 2023 में अर्जेंटीना में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद अर्जेंटीना में आयात 1,419 मीट्रिक टन से बढ़कर 70,000 मीट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार, यूरोपीय संघ द्वारा चीन जन. गण. से आयात पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क वर्ष 2015 में समाप्त हो गया था। इसके बाद आयात 75,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2,00,000 मीट्रिक टन और धीरे-धीरे 5,00,000 मीट्रिक टन तक पहुँच गया। परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ को नवंबर 2023 में पुनः पाटनरोधी जांच प्रारंभ करनी पड़ी और ऐसे आयातों पर फिर से पाटनरोधी शुल्क लगाना पड़ा। ऐसी जांच प्रारंभ होने के बाद आयात में फिर से गिरावट आई। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ में आयात पर जांच प्रारंभ होने के प्रभाव के संबंध में अपने प्रारंभिक जाँच परिणाम में निम्नानुसार उल्लेख किया है—

“(68) आयोग ने पाया कि 2023 की दूसरी तिमाही के बाद बढ़ती हुई मात्रा की प्रवृत्ति रुक गई थी। तथापि, जब क्षति के खतरे के विश्लेषण की पुष्टि या खंडन के लिए इन आंकड़ों के महत्व और विश्वसनीयता का आकलन किया गया, तो आयोग ने यह भी देखा कि जुलाई से सितंबर 2023 के दौरान चीन के आयात की औसत मासिक मात्रा में जो कमी आई (2022 की तुलना में), वह संभवतः (i) 30 मार्च 2023 को वर्तमान कार्यवाही की शुरुआत के कारण उत्पन्न ‘चिलिंग इफेक्ट’ तथा अधिकतम 8 महीनों के भीतर अनंतिम उपाय अपनाए जाने की संभावना, और (ii) 31 मई 2023 को शिकायतकर्ता द्वारा आयात के पंजीकरण के लिए किए गए अनुरोध के कारण थी। दूसरे शब्दों में, जांच के बाद की अवधि के जून 2023 तक के आंकड़े—जो शिकायतकर्ता द्वारा आयात के पंजीकरण के अनुरोध के तुरंत बाद की अवधि है—विचारित अवधि के दौरान देखी गई पाटित आयात की महत्वपूर्ण वृद्धि की पुष्टि करते हैं। जून 2023 के बाद आयात की मात्रा में आई महत्वपूर्ण कमी इस निष्कर्ष को नकारती नहीं है, क्योंकि यह संभवतः आयात के पंजीकरण के अनुरोध का परिणाम है, जिसका उद्देश्य शुल्कों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना था। ऐसा अनुरोध विशेषकर जब उस समय संभावित शुल्कों के स्तर के बारे में कोई संकेत नहीं था, आयात की मात्रा पर एक अनिवार्य ‘चिलिंग इफेक्ट’ उत्पन्न करता है। अतः 2021 से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की दर, जो जांच के बाद की अवधि के आंकड़ों से भी पुष्ट होती है, मूल विनियम के अनुच्छेद 3(9)(क) के अर्थ में आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।”

111. अंततः, घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले निर्यात की प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है, जिसमें जांच प्रारंभ होने से पूर्व निर्यात की मात्रा 1,50,058 मीट्रिक टन थी, जो शुल्क लगाए जाने के बाद घटकर केवल 480 मीट्रिक टन रह गई। उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ यह दर्शाती हैं कि जब शुल्क लागू रहते हैं तो चीन के उत्पादक निर्यात कम कर देते हैं, किंतु जब शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है।

झ. बाजार के रूप में भारत की कीमत आकर्षकता

112. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारतीय बाजार संबद्ध देश के निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है, क्योंकि भारतीय बाजार में मिलने वाली कीमतें चीन जन. गण. से शेष विश्व को किए जाने वाले निर्यात कीमत से अधिक लाभकारी हैं। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से 61% निर्यात ऐसी कीमतों पर होते हैं जो भारत को किए जाने वाले निर्यात की कीमत से कम हैं। यह मात्रा भारत की मांग से कहीं अधिक है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में चीन के उत्पादक भारतीय बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे और संभवतः अपने निर्यात भारत की ओर भेज देंगे।

विवरण	यूनिट	मात्रा
-------	-------	--------

कम कीमत पर निर्यातित मात्रा	एमटी	42,45,613
चीन जन. गण. से कुल निर्यात	एमटी	69,89,698
कुल निर्यातों में कम कीमतों वाले निर्यातों का हिस्सा	%	61%

स्रोत: ट्रेड मैप इंडिया

113. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि तीसरे देशों को किए जा रहे ऐसे कम कीमत वाले निर्यात औसतन अम. डा. 846 प्रति मीट्रिक टन के एफओबी मूल्य पर किए जा रहे हैं, जो लगभग ₹ 81,540 प्रति मीट्रिक टन के पंहुच मूल्य में परिवर्तित होता है। यह देखते हुए कि विदेशी उत्पादक अन्य देशों को ऐसी कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि शुल्क के अभाव में अपनी अतिरिक्त क्षमता को खपाने के लिए वे भारत को संबद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए अनिच्छुक होंगे। यदि ऐसे कम कीमतों पर आयात बाजार में प्रवेश करते हैं, तो यह देश में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

ज. संभावित कीमत ह्रास या न्यूनीकरण

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। पाटनरोधी शुल्क के अभाव में, आयातों के वर्तमान कीमतों से भी कम कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है। ऐसी स्थिति में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में और अधिक ह्रास तथा न्यूनीकरण करने की संभावना रखते हैं।
115. इस संदर्भ में, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2023-24 के दौरान जब वानकाई द्वारा लगाए गए शुल्क का समामेलन किया जा रहा था तो घरेलू उद्योग को कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण का सामना करना पड़ा था। यह और भी स्पष्ट करता है कि शुल्क के अभाव में आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने की संभावना रखते हैं तथा ऐसी कीमत वृद्धि को रोक सकते हैं जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में बढ़ सकती थीं।

ट. घरेलू उद्योग की संवेदनशील स्थिति

116. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई और स्थिति हानि तक पहुँच गई। इसका कारण यह था कि भारतीय बाजार में कम कीमतों पर सस्ते आयात प्रवेश कर रहे थे। इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों के कारण बाजार हिस्सेदारी भी गंवा दी। घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तु की बिक्री घाटे में करनी पड़ी और उसके नकद लाभ तथा नियोजित पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि समामेलन रोधी जांच के परिणामस्वरूप समामेलन के मुद्दे को संबोधित किए जाने के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार किया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग अभी भी एक संवेदनशील स्थिति में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादन में आई गिरावट यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध वस्तुओं की पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग को संभावित क्षति

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। शुल्क के अभाव में, यदि यह मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश होना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को हानि होने की संभावना है।

विवरण	यूनिट	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***
पंहुच कीमत	₹/एमटी	***

पंहुच कीमत पर लाभ	₹/एमटी	(***)
पंहुच कीमत पर लाभ	₹ लाख	(***)

झ.4. पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

118. पूर्वोक्त के आधार पर, सारांशीकृत सूचना निम्नानुसार है—

- क. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पाटन जारी रहा है, जो पाटन के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।
- ख. लागू शुल्क के बावजूद संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से भी अधिक दर से हुई है।
- ग. आयात में वृद्धि मुख्यतः वानकाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भारी आयात के कारण हुई है। कम शुल्क दर के कारण आयात में वृद्धि यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में संबद्ध देश से आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।
- घ. संबद्ध देश के उत्पादकों के पास चीन जन. गण. की घरेलू मांग से अधिक क्षमता है तथा उनकी क्षमताएँ पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं हैं। ऐसी क्षमताओं का उपयोग पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत को निर्यात के लिए किए जाने की संभावना है। ऐसी अप्रयुक्त क्षमताएँ भारत की मांग से भी अधिक हैं।
- ङ. चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमताएँ होने के बावजूद संबद्ध देश के उत्पादक आगे और क्षमता विस्तार कर रहे हैं।
- च. संबद्ध देश के निर्यातक विचाराधीन उत्पाद को तीसरे देशों में भी पाटित कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं।
- छ. इसके परिणामस्वरूप कई न्यायक्षेत्रों ने चीन से होने वाले निर्यात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं।
- ज. भारत में शुल्क लगाए जाने के बाद यूरोपीय संघ चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया था, परंतु वहाँ पाटनरोधी जांच शुरू होने के बाद यूरोपीय संघ को निर्यात में गिरावट आई है।
- झ. प्रमुख उपभोक्ता बाजारों के संदर्भ में, चीन के उत्पादकों को अमेरिका और यूरोपीय संघ में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वियतनाम ने चीन से आयात पर कोई उपाय लागू नहीं किए हैं, तथापि वहाँ स्वयं अतिरिक्त क्षमताएँ उपलब्ध हैं।
- ञ. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों ने अन्य निर्यात बाजारों में भी शुल्क लगाए जाने के कारण बाजार गंवा दिए हैं।
- ट. चीन से यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना को होने वाले निर्यात की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जैसे ही शुल्क समाप्त होता है, चीन से निर्यात पुनः बढ़ जाता है।
- ठ. चीन जन. गण. से 61% निर्यात ऐसी कीमतों पर होते हैं जो भारत में प्रचलित कीमतों से कम हैं। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में ऐसे निर्यात भारतीय बाजार की ओर भेजे जाने की संभावना है।
- ड. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- ढ. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों में हास या न्यूनीकरण करने की संभावना रखते हैं।
- ण. वर्ष 2022-23 में वानकाई द्वारा शुल्क के समामेलन के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई। यद्यपि जांच अवधि के दौरान इसके निष्पादन में सुधार हुआ है, फिर भी उसकी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है।
- त. पाटनरोधी शुल्क के नहीं होने पर घरेलू उद्योग को आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे उसे हानि होने की संभावना है।

119. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने की संभावना है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

120. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निहित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच मूल्य की तुलना क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करते समय क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, सुविधाओं तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय शामिल न हो। नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियाँ जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर पूर्व 22% की दर से) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, ताकि क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।
121. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच मूल्य और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है—

क्षति मार्जिन तालिका

क्रसं	उत्पादक का नाम	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		अम.डा./एमटी	अम.डा./एमटी	अम.डा./एमटी	%	रेंज (%)
1	कोई	***	989	***	***	0-10%

ट. गैर-आरोपण विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध

122. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ज्ञात कारकों की भी जांच करनी होती है जो पाटित आयातों के अतिरिक्त घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संदर्भ में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे आयातों की मात्रा और कीमत जो पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए हैं, मांग में संकुचन या उपभोग की प्रवृत्ति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हो सकते हैं। यद्यपि वर्तमान जांच अवधि में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पाई है, फिर भी नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारक घरेलू उद्योग को संभावित क्षति में योगदान दे सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

123. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के अतिरिक्त संबद्ध वस्तुओं का महत्वपूर्ण आयात बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम से हो रहा है। तथापि, बांग्लादेश और वियतनाम से आयात की कीमत संबद्ध देश से आयात की कीमत से अधिक है। यद्यपि जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से आयात की कीमत चीन जन. गण. से आयात की कीमत से कम थी, फिर भी इस अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार हुआ है। अतः घरेलू उद्योग को संभावित क्षति का कारण तीसरे देशों से आयात को नहीं ठहराया जा सकता है।

ख. मांग में संकुचन

124. संबद्ध वस्तुओं की मांग क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ी है और जांच अवधि के दौरान यह सर्वाधिक रही है। अतः मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

ग. उपभोग की प्रवृत्ति

125. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग की प्रवृत्ति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने की संभावना रखता हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ तथा व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

126. ऐसी कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ या प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने की संभावना रखती हों।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

127. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो।

च. उत्पादकता

128. घरेलू उद्योग का कुल उत्पादन, जिसमें उत्पादन भी शामिल है, क्षति अवधि के दौरान बढ़ा है। अतः संभावित क्षति का कारण उत्पादकता में गिरावट नहीं हो सकता।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

129. यहाँ जांच की गई क्षति संबंधी जानकारी घरेलू उद्योग के केवल घरेलू बाजार में निष्पादन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन निर्धारित संभावित क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

130. संभावित क्षति का कारण कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु से संबंधित जानकारी को पृथक कर अनुरोध किया है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

ठ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई विशेष अनुरोध नहीं किए हैं, सिवाय इसके कि यदि इस जांच में शुल्क जारी रखा जाता है तो अंतिम उपभोक्ताओं की लागत बढ़ जाएगी।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

132. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं—

- i. सार्वजनिक हित का निर्धारण निम्नलिखित के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए(क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ता, (ग) उत्पादन तथा उपभोग दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योग, तथा (घ) सामान्य जनता।
- ii. यह तथ्य कि उत्पाद के प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
- iii. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव होने का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की मांग बढ़ी है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है।
- iv. भारतीय उद्योग की क्षमता भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- v. यद्यपि भारत में क्षमता पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तथापि सस्ते आयातों पर निर्भरता के कारण भारत से विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ है।
- vi. भारतीय उद्योग के पास काफी अधिक मात्रा में निर्यात करने की क्षमता है। पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारतीय उद्योग को भारतीय तथा विदेशी दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।
- vii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद नए उत्पादकों द्वारा भारत में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। ऐसे निवेशों की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए शुल्क को जारी रखना आवश्यक है।
- viii. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारत में उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि संबद्ध वस्तु का आयात अन्य कई स्रोतों से किया जा सकता है।

- ix. पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर प्रभाव नगण्य है।
- x. संबद्ध वस्तु की लागत अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है।
- xi. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में अपस्ट्रीम उद्योग—अर्थात् पीटीए और एमईजी का विनिर्माण करने वाला उद्योग—गंभीर रूप से प्रभावित होगा।
- xii. भारत एक अधिक आकर्षक बाजार है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में चीन जन. गण. के उत्पादक अपने निर्यात भारत की ओर भेज सकते हैं।
- xiii. चीन जन. गण. के उत्पादकों को वहाँ की सरकार से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे उत्पादकों को भारतीय उद्योग की तुलना में अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का मुख्य उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा का वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय भी है। पाटनरोधी उपायों को लागू करना या जारी रखना संबद्ध देश से आयात को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है। बल्कि यह समान प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करने का एक माध्यम है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की मूल भावना प्रभावित नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को जारी रखना पाटन के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को रोकता है। यह उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्पों तक पहुँच भी सुनिश्चित करता है। अतः पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं में बाधा नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने वाला उपाय है।
134. प्राधिकारी ने सभी हितवद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, प्रयोक्ता और उपभोक्ता शामिल हैं, से विचार आमंत्रित करते हुए जाँच शुरूआत अधिसूचना जारी की थी। एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी, ताकि विभिन्न हितधारक जिनमें घरेलू उद्योग, उत्पादक/निर्यातक और आयातक/प्रयोक्ता/उपभोक्ता शामिल हैं, वर्तमान जांच से संबंधित संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं।
135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का विरोध नहीं किया है। प्रयोक्ताओं की भागीदारी का अभाव यह दर्शाता है कि शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।
136. इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
137. इसके विपरीत, रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद नए उत्पादकों—जिनमें इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, सुमिलोन इंडस्ट्रीज़, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं, ने भारत में क्षमताएँ स्थापित की हैं। भारतीय उद्योग ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए 1,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। अतः शुल्क लगाया जाना भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य रहा है।
138. आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के प्रमुख कच्ची सामग्री—पीटीए और एमईजी—के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। भारत में ऐसी क्षमताएँ डाउनस्ट्रीम उद्योग, जिसमें पीईटी रेज़िन भी शामिल है, की अच्छी मांग के कारण व्यवहार्य हैं।
139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग के पास भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि चीन से आयात बंद हो जाते हैं, तब भी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से भारतीय बाजार में उत्पाद की कमी उत्पन्न नहीं होगी।

विवरण	पीओआई
भारत में मांग	19,19,456
भारत में कुल क्षमताएं	24,05,500
अंतर	(4,86,044)

140. इसके अतिरिक्त, आवेदकों ने रिकॉर्ड में यह जानकारी प्रस्तुत की है कि संबद्ध वस्तु का आयात विभिन्न देशों से किया जा सकता है, जिनमें ब्राज़ील, ताइवान, वियतनाम, ओमान, तुर्किये और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, जिनमें उनकी घरेलू मांग से अधिक उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

देश	क्षमता (केटी)	मांग (केटी)
ब्राज़ील	1,010	619
ताइवान	1,457	264
वियतनाम	1,230	580
ओमान	850	252
तुर्किये	1110	476
दक्षिण कोरिया	742	504

141. उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारत में बांग्लादेश, ताइवान और थाईलैंड से भी काफी मात्रा में आयात किया गया है। अतः, शुल्क को जारी रखने के बाद भी संबद्ध देश से आयात जारी रहें, संबद्ध वस्तु का आयात ऐसे अन्य स्रोतों से भी किया जा सकता है।
142. आवेदकों ने यह भी रेखांकित किया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता भारत की संपूर्ण मांग को पूरा करने के साथ-साथ विदेशों को निर्यात करने के लिए भी पर्याप्त है। चूँकि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर हैं, इसलिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में व्यवहार्य बनाए रखने में सहायक होगा और भारतीय उद्योग की निर्यात क्षमता में भी योगदान देगा।
143. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि अंतिम प्रयोक्ताओं की लागत बढ़ जाएगी, किन्तु इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी और साक्ष्यों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव अत्यंत न्यूनतम है। रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से यह भी स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का प्रभाव केवल 0.08 रुपये प्रति एक लीटर बोतल होगा। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की कीमत डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत निर्धारित करने वाला प्रमुख लागत कारक नहीं है, क्योंकि अंतिम उत्पाद की कीमत में इसका हिस्सा अत्यंत नगण्य है। प्रमुख लागत तत्व वह लिक्विड है जिसे डाउनस्ट्रीम उत्पाद में पैक किया जाता है।

विवरण	यूनिट	दर
1 लीटर पानी की बोतल की कीमत	रुपये	20-100
बोतल का भार	ग्रा.	22.5
खपत मानक	ग्रा./ ग्रा.	1.02
बोतल में पीईटी की खपत	ग्रा.	22.95
पाटनरोधी शुल्क	₹/ग्रा.	0.0035
बोतल की कीमत पर प्रभाव, यदि कोई हो	₹	0.08

ड. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

144. प्राधिकारी ने अंतिम निर्धारण पर पहुंचने से पहले सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले प्रकटन विवरण को 24 फरवरी 2026 को परिचालित किया। हितबद्ध पक्षकारों को 3 मार्च 2026 तक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। वांकाई ने टिप्पणियां दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। प्राधिकारी ने जांच पूरी करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वानकाई को टिप्पणी देने के लिए 9 मार्च, 2026 तक का समय दिया।
145. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद, वानकाई ने 27 फरवरी 2026 के ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त सूचना का प्रकटन मांगा। वांकाई ने निर्यात करने वाले व्यापारियों के नाम, आयात का विवरण, व्यापारियों के माध्यम से आयात लेनदेन, मात्रा और व्यापारियों के माध्यम से निर्यातित मात्रा और मूल्य, मूल प्रमाण पत्र, प्रकटन विवरण में संदर्भित बीजक और बीजक संख्या, डीजी सिस्टम आंकड़ों की प्रति, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति के बारे में सूचना मांगी।
146. चूंकि कुछ अनुरोध घरेलू उद्योग से संबंधित थे, इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वांकाई द्वारा अनुरोधों का उत्तर देने का निर्देश दिया। घरेलू उद्योग ने फोटोग्राफिक साक्ष्य और व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की मात्रा और कीमत, उनके सूचना के अनुसार प्रस्तुत किया। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया कि अगोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति को पहले ही संशोधित और प्रसारित किया जा चुका है, और इसके बाद वानकाई द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। जहां तक मूल प्रमाण पत्र, बीजक और बीजक संख्या का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि उन्हें गोपनीयता के अधिकतम आश्वासन पर खरीदा गया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि यदि ऐसी सूचना प्रदान की जाती है, तो इससे उन पक्षकारों के नाम का प्रकटन होगा जिन्होंने घरेलू उद्योग को सूचना प्रदान की थी और वानकाई, अन्य आपूर्तिकर्ताओं, आयातकों और उपभोक्ताओं के सामने ऐसे पक्षकार प्रकट होंगे। इसका ऐसे पक्षकार पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इससे ऐसे आयात करने वाले पक्षकारों के रणनीतिक खरीद विकल्पों को खतरा होगा। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, इससे वांकाई और उसके व्यापारियों द्वारा भविष्य में आपूर्ति से इनकार किया जा सकता है, यदि वांकाई इस बात से अवगत है कि ऐसे आयातकों ने मूल का प्रमाण पत्र प्रदान किया। यही बात वीडियोग्राफिक साक्ष्य पर भी लागू होती है, क्योंकि इससे किसी पक्षकार को सूचना के स्रोत का पता चल जाएगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्राधिकारी ने इस पर भरोसा नहीं किया है।
147. दिनांक 5 मार्च 2026 के पत्र के अनुसार, प्राधिकारी ने वानकाई को सूचित किया कि जिन व्यापारियों ने वानकाई द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों का निर्यात किया है, उनके नाम तीसरे पक्षकार की गोपनीय और व्यवसाय संवेदनशील सूचना हैं। निर्यातक को यह भी सूचित किया गया था कि प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और साक्ष्यों को परस्पर सत्यापित करने के लिए डीजी सिस्टम से सूचना प्राप्त करता है। प्राधिकारी को इस सूचना को किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसमें निर्यातकों और आयातकों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यापार-संवेदी सूचना होती है, जिसकी गोपनीयता देश में विभिन्न कानूनों के तहत संरक्षित है। तथापि, प्राधिकारी वानकाई द्वारा प्रत्यक्ष निर्यात के रूप में आयात आंकड़ों, वानकाई ग्रेड नाम का उल्लेख करते हुए व्यापारियों द्वारा निर्यात या उत्पादक के रूप में वानकाई की पहचान करते हुए और अन्य उत्पादकों द्वारा निर्यातों का अगोपनीय सार प्रदान किया। प्राधिकारी ने वानकाई को यह भी सूचित किया कि मूल प्रमाण पत्र, बीजक और बीजक संख्या को तीसरे पक्षकार की गोपनीय व्यापारिक सूचना के रूप में माना जाएगा, जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत संरक्षित है। घरेलू उद्योग की प्रतिक्रिया भी वानकाई को प्रदान की गई थी। इसके बाद प्राधिकारी ने वानकाई को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 9 मार्च, 2026 तक का समय दिया।
148. प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत मानी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति थी और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

149. अपने प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों में, हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों द्वारा पूरी क्षति अवधि के लिए आयात की जांच करने की आवश्यकता के संबंध में घोषणा के अभाव के बारे में अपनी टिप्पणियों को दोहराया है; ग्वांगडोंग आईवीएल पॉलीमर से आईवीएल और इंडोरामा का संबंध; सामान्य मूल्य के लिए चीनी उत्पादकों के रिकॉर्ड पर भरोसा करने का अनुरोध; व्यापारी के विभिन्न देश में स्थित होने के कारण कर्मियों की गलती के कारण वानकाई इंटरनेशनल के लिए प्रतिक्रिया में देरी; और शुल्क सार्वजनिक हित में नहीं है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं।
- क. वांकाई द्वारा भारत और तीसरे देशों को निर्यात के संबंध में सूचना प्रकटन विवरण में प्रकट नहीं की गई है, और इसे गोपनीय माना जाना चाहिए।
- ख. जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, सुमिलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूफ्लेक्स लिमिटेड के उत्पादन के संबंध में कोई सटीक सूचना नहीं है।
- ग. निर्यातक ने इस तर्क पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि आवेदकों को पूरी क्षति अवधि के लिए और सभी देशों के लिए आयात के संबंध में घोषणा देनी आवश्यक थी।
- घ. जबकि इंडोरामा और आरआईएल ने केवल संबद्ध देश के लिए आयात न करने की घोषणा प्रदान की है, आईवीएल ने हस्ताक्षरित घोषणा प्रदान नहीं की है।
- ड. रिलायंस इंडस्ट्रीज की अन्य देशों में कई संबद्ध कंपनियां भी हैं, जो संबद्ध सामानों में लगी हुई हैं, जैसे थाईलैंड में रिलायंस पॉलिएस्टर लिमिटेड और मलेशिया में रेक्रोन (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी और आरपी केमिकल्स (मलेशिया) एसडीएन बीडीएच।
- च. घरेलू उत्पादकों और उत्पादन के संबंध में गंभीर भ्रम है, और जांच में शामिल विभिन्न पक्षकारों के लिए एक अलग मापदंड नहीं अपनाया जा सकता है।
- छ. बिना किसी कारण के जिंदल पॉलीफिल्म्स के उत्पादन को कुल घरेलू उत्पादन में नहीं माना गया है।
- ज. कुल घरेलू उत्पादन का प्रकटन नहीं किया गया है। इस संबंध में दावा की गई गोपनीयता अनुचित है।
- झ. समुद्री माल भाड़े के अलावा, घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत में किसी भी समायोजन का प्रमाण नहीं दिया है।
- ञ. परामर्शदाताओं से शुद्धता और घोषणा के प्रमाण पत्र घरेलू उद्योग द्वारा जांच की शुरुआत होने के बाद 4 महीने की देरी के बाद प्रदान किए गए थे। तथापि, कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है, भले ही इस तथ्य पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है कि वानकाई ने वानकाई इंटरनेशनल के लिए एक नगण्य मात्रा के लिए प्रतिक्रिया दायर नहीं की।
- ट. प्रकटन विवरण यह नहीं दर्शाता है कि आवेदन-पत्र का गोपनीय रूपांतर और अगोपनीय रूपांतर किस प्रकार की प्रतिकृति है। अगोपनीय रूपांतर में कुछ बिना क्रमांक वाले पृष्ठ हैं। यदि गोपनीय रूपांतर में भी ऐसे पृष्ठों को क्रमांकित नहीं किया गया था, तो यह एक सवाल उठता है कि प्रदान की गई सूचना पर्याप्त और सटीक कैसे थी।
- ठ. घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र में उपयोग किए जाने वाले बाजार आसूचना आंकड़ों के स्रोत का प्रकटन नहीं किया है।
- ड. आयात/संबंध, बंद संयंत्र का विवरण, निर्यात कीमत में समायोजन के साक्ष्य, कर्मचारियों की संख्या, घरेलू उद्योग द्वारा प्रमाण पत्र और आवेदन-पत्र में सूचना की शुद्धता के लिए कानूनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा आदि, व्यवसाय संवेदनशील नहीं है, और इसका प्रकटन किया जाना चाहिए। वांकाई ने केवल बंदी के कारणों के प्रकटन का अनुरोध किया है।
- ढ. कर्मचारियों की कुल संख्या व्यापार सूचना के अनुसार का प्रकट की जानी अपेक्षित थी।
- ण. वांकाई इंटरनेशनल के लिए दायर प्रतिक्रिया स्पष्टीकरण के मामले में थी, न कि एक स्टैंडअलोन या नई प्रतिक्रिया।

- त. वांकाई के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाने के लिए भरोसा की गई सूचना, जैसे आयात का विवरण, मूल के प्रमाण पत्र आदि, वांकाई को प्रकट किया जाना चाहिए, विशेष रूप से चूंकि सूचना वांकाई से संबंधित है। सूचना के पर्याप्त प्रकटन के अभाव में, वानकाई खुद का बचाव करने में असमर्थ है।
- थ. घरेलू उद्योग द्वारा सूचना का प्रकटन करने में विफल रहने के लिए कोई पर्याप्त औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। नियम 6(7) के तहत, प्राधिकारी को एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रस्तुत किए गए साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। यदि एक अगोपनीय सार प्रदान नहीं किया गया है, तो प्राधिकारी को प्रदान की गई सूचना को नज़रअंदाज़ करने की आवश्यकता थी।
- द. सामानों की निकासी के लिए सही सूचना प्रदान करने का भार भारतीय आयातकों पर है। वांकाई को अलग व्यवहार से वंचित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।
- ध. नियम 7 तीसरे पक्षकार के लिए सूचना के संबंध में गोपनीयता की अनुमति नहीं देता है, जो प्राधिकारी के समक्ष भी नहीं हैं।
- न. यदि निर्यातकों के नामों के संबंध में सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, तो यह सवाल उठता है कि घरेलू उद्योग ऐसी सूचना का पता कैसे लगाने में सक्षम था। घरेलू उद्योग ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह तीसरे पक्षकार की ऐसी व्यवसाय संवेदनशील सूचना कैसे एकत्र करने में सक्षम था।
- प. प्राधिकारी ने यह जांच नहीं की है कि घरेलू उद्योग के पास लेनदेन-वार आयात आंकड़ों तक कैसे पहुंच है, जो कानून के तहत अनुमेय नहीं है।
- फ. डीजी सिस्टम आंकड़ों का प्रकटन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135एए के तहत अनुमत है।
- ब. जिस स्रोत से फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्य और मूल के प्रमाण प्राप्त किए गए थे, उनकी जांच नहीं की गई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदिग्ध साधनों का उपयोग करके उन्हें व्यवस्थित किया गया था।
- भ. चोंगकिंग वानकाई की प्रतिक्रिया का मुद्दा देर से उठाया गया है। किसी भी स्थिति में, किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चोंगकिंग वानकाई ने भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। सिरेमिक टाइल्स के मामले में, संबंधित निर्यातकों ने वास्तव में भारत को निर्यात किया था।
- म. निर्यातक ने मूल जांच में ही सहयोग किया है, और सभी पीसीएन से संबंधित मुद्दों की जांच प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में की गई थी।
- य. वांकाई ने प्राधिकारी से प्रत्यक्ष आंकड़ों के स्थल सत्यापन का अनुरोध किया। हालांकि, प्राधिकारी ने तीसरे पक्षकार के आंकड़ों पर भरोसा किया है, जिस पर वांकाई का कोई नियंत्रण नहीं है।
- कक. चीनी विनियम (उपाय) में "शर्त" शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि चीनी अधिकारी सत्यापन कर सकते हैं। यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं है कि सभी मूल प्रमाण पत्र केवल सीसीपीआईटी द्वारा जारी किए जाते हैं। उत्पत्ति के नमूना प्रमाण पत्र विस्तृत डीआरआई जांच का विकल्प नहीं हो सकते हैं, और डीआरआई जांच के बिना, यह निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है कि निर्यात वानकाई द्वारा निर्मित किए गए थे।
- खख. पिछले जांच परिणामों में भी, प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा नगण्य मात्रा के लिए असहयोग के कारण प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार नहीं किया है।
- गग. पाटन मार्जिन की गणना उचित अनुमान का अभ्यास है और अंकगणितीय सटीकता पर आधारित नहीं है।
- घघ. यदि व्यापारियों के माध्यम से निर्यात वानकाई की जानकारी में होता, तो वानकाई के लिए कम से कम 70% मात्रा तक विवरण या सूचना प्रदान करना मुश्किल नहीं होता।
- ड.ड. मैनुअल में खुद ही यह प्रावधान है कि 100% मूल्य श्रृंखला के लिए उत्तर उत्पादक के लिए सहयोगी माने जाने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- चच. वांकाई ने पहले ही सभी सूचना प्रदान कर दी है जो उचित रूप से उपलब्ध है और उसे अलग शुल्क की अनुमति दी जानी चाहिए।
- छछ. प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पहुंच कीमत वानकाई की पहुंच कीमत से तुलनीय है। इसलिए, वानकाई को अलग शुल्क की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि कथित व्यापारियों का विवरण प्रदान न करने में वानकाई को कोई अलग लाभ नहीं है।
- जज. जैसा कि मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस में उल्लेख किया गया है, वर्तमान समीक्षा में शुल्क की मात्रा अलग-अलग होनी चाहिए।
- झझ. वांकाई ने पाटनरोधी शुल्क नहीं लिया, और पाटनरोधी शुल्क न लेना गलत निर्धारित किया गया था।
- ञञ. प्रतिशत के रूप में आयात और मांग में वृद्धि की तुलना उचित नहीं है। इसके अलावा, शुल्क का उद्देश्य आयात को रोकना नहीं है।
- टट. एक बोतल की कीमत 20 रुपये ली जानी चाहिए, न कि 20-100 रुपये।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

150. घरेलू उद्योग ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि वानकाई को असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए, और कुछ उत्पादकों को सहयोगी के रूप में मानने का अनुरोध किया है। विशेष रूप से, घरेलू उद्योग ने अपनी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।
- क. निर्यातक वानकाई प्राधिकारी से सूचना और साक्ष्य का अनुरोध करके सूचना छिपाने को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है।
- ख. यह देखते हुए कि वानकाई ने चीन से भारत में 3,628 से अधिक लेनदेन का निर्यात किया है, जिसमें क्षति की अवधि के दौरान 4,34,948 एमटी की मात्रा शामिल है, और मूल प्रमाण पत्र जारी करवाने में शामिल था, निर्यातक इन लेनदेनों के बारे में अनजान होने का दावा नहीं कर सकता है।
- ग. तथ्यों के स्पष्ट और जानबूझकर छिपाना इस तथ्य से सिद्ध है कि वानकाई इंटरनेशनल के लिए प्रतिक्रिया भी घरेलू उद्योग द्वारा मुद्दा उजागर किए जाने के बाद और प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना देर से दायर की गई थी।
- घ. चोंगकिंग वानकाई न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, भले ही प्राधिकारी ने समूह कंपनियों की भागीदारी न होने के कारण सिरेमिक टाइल्स मामले में एक निर्यातक को अलग पाटन मार्जिन से इनकार कर दिया है।
- ड. वानकाई पहले से ही जांच के तथ्यों को प्राधिकारी से छिपा रहा है। मूल जांच में, वानकाई ने विशेष ग्रेड की आपूर्ति की थी, लेकिन प्राधिकारी को पीसीएन की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया था। अलग शुल्क प्राप्त करने के बाद, वानकाई ने कमोडिटी उत्पादों का निर्यात करना शुरू कर दिया।
- च. वांकाई द्वारा मांगी गई सूचना केवल वांकाई से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यापारी और आयातक से भी संबंधित है, जिनके व्यापारिक हित शुल्क न लगाए जाने से प्रभावित होने की संभावना है। आयातकों और निर्यातकों को वानकाई से सामग्री के अस्वीकार का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका अर्थ होगा सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप निर्यातक को व्यापार की हानि और आयातकों को स्रोत की हानि हुई।
- छ. निर्यातकों के नाम सार्वजनिक पटल पर नहीं हैं, और इस प्रकार, उनका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। आयात आंकड़े तृतीय पक्षकार की सूचना है, जिसे प्रकट करने के लिए आवेदक अधिकृत नहीं है। तथापि, वानकाई घरेलू उद्योग द्वारा इस तरह की गोपनीय सूचना के आधार पर उठाए गए तर्कों से पूरी तरह अवगत है और इसलिए, उसे गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना के सार तक पर्याप्त पहुंच दी गई है।
- ज. मूल के प्रमाण-पत्रों के प्रकटन से उन पक्षकारों के नामों का प्रकटन होगा जिन्होंने घरेलू उद्योग को सूचना प्रदान की है और ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को कालीसूची और आपूर्तिकर्ताओं के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

- झ मूल्य प्रमाण पत्र के प्रकटन के कारण वानकाई को कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ है, क्योंकि - (क) संलग्न दस्तावेज़ की प्रकृति, अर्थात्, मूल प्रमाण पत्र वानकाई को प्रकट किया गया था, (ख) दस्तावेज़ जो सूचना दिखाता है उसकी प्रकृति, अर्थात्, यह वानकाई को निर्माता के रूप में पहचानता है, वानकाई को प्रकट किया गया था, (ग) मूल प्रमाण पत्र जारी करने को नियंत्रित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रकटन किया गया था, और (घ) भारत में सीमा शुल्क में निर्माता को प्रदर्शित करने में मूल प्रमाण पत्र की भूमिका का प्रकटन किया गया था। यह वानकाई के मामले में अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति देता है।
- ञ. मूल का प्रमाणपत्र सीसीपीआईटी द्वारा जारी किया जाता है, जो दर्शाता है कि प्रश्न में माल चीन में उत्पादित किया गया था। प्राधिकारी चीन में सामानों का उत्पादन करने वाली कंपनी का सत्यापन करते हैं।
- ट. चीन में लागू कानूनी प्रावधान जारी करने वाले प्राधिकारी को निर्माता के रिकॉर्ड को सत्यापित करने की अनुमति देते हैं, जिसमें उनकी क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया, कच्चे माल का मूल, तैयार उत्पाद आदि शामिल हैं। इस प्रकार, वानकाई को प्रमाण-पत्र जारी करवाने में शामिल किया गया था।
- ठ. बीजक और उसमें दिए गए विवरण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए मूल प्रमाण पत्रों पर आधारित हैं, जो तीसरे पक्षकार की सूचना है, जिसे घरेलू उद्योग प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत वीडियोग्राफिक साक्ष्य में ऐसी सूचना शामिल है जो उस पक्षकार के नाम के प्रकटन का कारण बन सकती है जिससे यह साक्ष्य प्राप्त किया गया है। सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार ने यह स्पष्ट समझ के साथ सूचना प्रदान की कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
- ढ. फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक के प्रकटन का अनुरोध उचित नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी अपने निर्धारण पर पहुंचने में साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।
- ण. घरेलू उद्योग ने पहले ही अगोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति से संबंधित मुद्दे का उत्तर दे दिया है, और उत्तर में निर्यातक द्वारा कोई और मुद्दा नहीं उठाया गया था।
- त. प्राधिकारी की विगत परिपाटी के अनुसार, सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए असहयोगी शुल्कों की सिफारिश की जानी चाहिए, और मूल जांच के अनुसरण में लगाए गए अलग शुल्कों को जारी नहीं रखा जाना चाहिए।
- थ. चूंकि घरेलू उद्योग सहित किसी भी पक्षकार ने पाटनरोधी शुल्क में संशोधन की मांग नहीं की है, इसलिए उसी शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए। यह पूर्व में जांचों में अपनाए गए दृष्टिकोण के संगत भी है।
- द. चूंकि शुल्क को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए घरेलू उद्योग क्षतिरहित कीमत के संबंध में कोई अनुरोध दायर नहीं कर रहा है।
- ध. शुल्कों के गलत उपयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नीति के मामले के रूप में उत्पादक और निर्यातक दोनों को निर्धारित करते हुए संयोजन शुल्कों में परिवर्तित हाने पर विचार करें।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

151. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां उन अनुरोधों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से हल की गई है। प्रकटन पश्चात की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा समर्थित साक्ष्यों को प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया है, जिनकी जांच नीचे की गई है।
152. सभी देशों से और क्षति की अवधि के दौरान आवेदकों द्वारा आयात के संबंध में तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने विचारधीन उत्पाद को क्षति की अवधि के दौरान किसी भी देश से आयात नहीं किया है। इस संबंध में सूचना आवेदकों द्वारा प्रोफार्मा IV क में दी गई थी, जिसमें अगोपनीय रूपांतर भी शामिल था। हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं दिया है कि आवेदकों को हस्ताक्षरित घोषणा प्रदान करनी चाहिए थी और आवेदकों ने अन्य देशों से उत्पाद आयात किया है। आवेदन-पत्र में आयात के संबंध में सूचना की

आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में प्रदान की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रावधान जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के मामले में ही आवेदकों की पात्रता पर सवाल उठाते हैं। इसलिए, अन्य देशों से आयात और अन्य अवधि के मामले में घरेलू उद्योग के क्षेत्र के निर्धारण के मुद्दे के लिए संगत नहीं हैं। किसी भी दशा में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि आवेदकों ने सही ढंग से प्रकटन किया है कि उनके पास पूरे क्षति की अवधि के दौरान किसी भी देश से कोई आयात नहीं है।

153. हितबद्ध पक्षकार ने आरोप लगाया है कि घरेलू उत्पादकों की संख्या के संबंध में भ्रम है। तथापि, प्राधिकारी को वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा कोई भ्रम नहीं मिलता है। आवेदन-पत्र के स्तर पर, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों की पहचान की और घरेलू उत्पादन का विवरण प्रदान किया। आवेदकों ने निर्माता का नाम उल्लेख करने में एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि की और अनजाने गलती से ध में "मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में "मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड" लिखा। हालाँकि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत अधिसूचना में अन्य घरेलू उत्पादकों की सूची को नोट किया है और सही ढंग से मैडेलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ("एमईपीएल") को घरेलू उत्पादक के रूप में पहचाना है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर घरेलू उद्योग ने भी यही स्पष्ट किया। तदनुसार, घरेलू उत्पादकों के क्षेत्र या संख्या के संबंध में ऐसा कोई भ्रम नहीं है।
154. घरेलू उत्पादन के विवरण के संबंध में, आवेदकों ने उन्हें उचित रूप से उपलब्ध सूचना प्रदान की है। इसके बाद एमईपीएल द्वारा प्रदान की गई सूचना आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना से मेल खाती है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना गलत है, या वैकल्पिक रूप से उपलब्ध सूचना थी जो आवेदक प्रदान कर सकते थे। इसलिए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि आवेदकों ने करार और नियमावली के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन किया। इसके अतिरिक्त, चूंकि एमईपीएल ने अपने उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है, प्राधिकारी ने उसी पर भरोसा किया है। हालाँकि, किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक के बारे में किसी भी पक्षकार द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई किसी भी वैकल्पिक सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है।
155. गुआंगडोंग आईवीएल पॉलीमर के साथ आईवीएल धुनसेरी और इंडोरामा के बीच कथित संबंधों के संबंध में, वर्तमान जांच परिणामों के संगत हिस्से में पहले ही जांच की जा चुकी है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड थाईलैंड और मलेशिया में कुछ उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध हैं। हालाँकि, चूंकि ऐसे उत्पादक चीन से माल का निर्यात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे उत्पादकों के साथ संबंध नियम 2 (ख) के तहत प्रदान किए गए अपवाद के अंतर्गत अर्हता प्राप्त नहीं करता है। अतः, उक्त संबंध वर्तमान समीक्षा जांच के लिए असंगत है।
156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल पॉलीफिल्म्स के उत्पादन को सकल घरेलू उत्पादन में सही नहीं माना गया है। जिंदल पॉलीफिल्म्स ने अभी तक संबद्ध सामानों का उत्पादन शुरू नहीं किया है।
157. वानकाई ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और निर्यातक के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाए हैं। प्राधिकारी इस तरह के आरोप को अत्यंत गंभीरता से देखते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने परामर्शदाता से सटीकता और घोषणा के प्रमाण पत्रों का अगोपनीय रूपांतर प्रदान नहीं किया था। तथापि, आवेदन-पत्र में समय पर प्राधिकारी को वही प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अगोपनीय रूपांतर में कमियों को दर्शाने के बाद, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को अगोपनीय रूपांतर में भी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। यह नियम 7(2) के प्रावधानों के अनुसार है, जिसमें प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को एक उपयुक्त अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, ऐसी कोई वास्तविक त्रुटि नहीं है जिसे प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादन के मामले में माफ किया है। आवेदकों ने घरेलू उत्पादक के नाम में एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि की, जिसे जांच शुरू करने से पहले भी स्पष्ट किया गया था। तथापि, वानकाई निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध निर्यातक के लिए उत्तर देने में विफल रहा है। वानकाई प्राधिकारी के समक्ष सही तथ्य भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा। इसे आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने के साथ समान या तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी वानकाई को असहयोगी मानना उचित समझते हैं।
158. वानकाई का यह भी तर्क है कि वानकाई इंटरनेशनल की प्रतिक्रिया बाद में स्पष्टीकरण के मामले के रूप में दायर की गई थी। तथापि, स्पष्टीकरण केवल पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य से संबंधित हो सकता है। एक हितबद्ध पक्षकार स्पष्टीकरण की आड़ में पूरी तरह से नई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

159. प्राधिकारी का मानना है कि मूल प्रमाण पत्र, बीजक संख्या, बीजक आदि जैसे दस्तावेजों को वानकाई या विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा भी प्रकाश डाला गया है, ऐसे दस्तावेज वांकाई से संबंधित नहीं हैं। दस्तावेज एक व्यापारी और आयातक से संबंधित हैं जो लेनदेन के पक्षकार हैं। ऐसे दस्तावेजों का प्रकटन लेनदेन के पक्षकारों के प्रतिस्पर्धी हितों के लिए गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकता है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पक्षकारों के नामों सहित गोपनीयता के अधिकतम आश्वासन के संबंध में सूचना प्रदान की गई है। यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों के नामों का प्रकटन किया जाता है, तो इससे संबंधित पक्षकार के लिए महत्वपूर्ण खरीद चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, और पक्षकार को वानकाई, उसके व्यापारियों और अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति से इनकार का भी सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी सूचना को गोपनीय मानने के लिए अच्छा कारण दिखाया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक स्वयं (वर्तमान मामले में वांकाई सहित) अपने उत्तरों के अगोपनीय रूपांतर में ऐसे दस्तावेज प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि मांगी गई सूचना की गोपनीयता पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत स्पष्ट रूप से संरक्षित है।
160. वानकाई ने दावा किया है कि सूचना प्रकट न किरना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, और इसे अपने हितों की रक्षा करने से रोका गया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच न्यायनिर्णयन कार्यवाही से अलग है, जिसमें कुछ साक्ष्यों की गोपनीयता को स्पष्ट रूप से नियम 7 द्वारा संरक्षित किया जाता है, ताकि पक्षकारों के व्यापारिक हितों की रक्षा की जा सके। भारत संघ बनाम मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के मामले में, [2016 (340) ई.एल.टी. 449 (एस.सी.)] निर्यातक द्वारा खुद ही विश्वास किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि नियम 7 "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अपवाद की अनुमति देता है"।
161. वांकाई द्वारा जोर दिए गए नियम 6 (7) के प्रावधान भी पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत गोपनीयता आवश्यकताओं के अधीन हैं। यह नियम 7 (1) के प्रावधानों से स्पष्ट है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:
- "नियम 7. गोपनीय सूचना। - (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्षकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी ही मानी जाएगी और ऐसी कोई भी सूचना ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी"*
162. हालांकि, नियम 7 के तहत, हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय सूचना का एक उपयुक्त अगोपनीय सार प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, वानकाई को गोपनीय सूचना का उचित अगोपनीय सार प्रदान किया गया है। गोपनीय दावा किए गए दस्तावेजों या सूचना की प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, अर्थात् आयात आंकड़े, मूल के प्रमाण पत्र आदि। इसके अलावा, यह प्रकटन किया गया है कि आयात आंकड़ों से पता चलता है कि वानकाई को निर्माता के रूप में पहचानने वाले या वानकाई का ग्रेड नाम धारण करने वाले माल का निर्यात अन्य व्यापारियों द्वारा किया गया है। यह भी प्रकटन किया गया है कि इस तरह के आयात को वानकाई पर लागू शुल्क पर मंजूरी दी गई है। व्यापारियों के माध्यम से निर्यात की मात्रा और मूल्य अगोपनीय रूपांतर में प्रदान किया गया है। यह भी प्रकट किया गया है कि मूल प्रमाण पत्र वानकाई को निर्माता के रूप में उजागर करते हैं, और ऐसे प्रमाण-पत्र सीसीपीआईटी द्वारा जारी किए गए हैं। मूल के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया और इस तरह जारी किए जाने में वानकाई द्वारा निभाई गई भूमिका को स्पष्ट किया गया है। यह भी प्रकट किया गया है कि प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम आंकड़ों में मूल प्रमाण पत्र का पता लगाया है और पाया है कि उत्पादों को वास्तव में वानकाई पर लागू अलग शुल्क दर पर भारत में आयात किया गया है। अतः, वानकाई के पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक एक उपयुक्त अगोपनीय सार तक पहुंच थी। तथापि, यह औचित्यों के संबंध में कोई तर्क देने में विफल रहा है।
163. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारतीय न्यायालयों ने नोट किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक बचत करने वाली धारा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जहां शिकायतकर्ता स्वयं सही तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहता है। अधिकरण ने कुडटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, कि मामले में अंतिम आदेश सं. 50740-50743 / 2020 दिनांक 5 अगस्त 2020, को इस संबंध में निम्नानुसार नोट किया।

“43. यह उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में उत्पादक/निर्यातक के तर्कों की जांच की जानी है। अब यह अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक सीधे जैकेट में निहित नहीं हैं और एक वादी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत नहीं कर सकता है, यदि वादी स्वयं प्राधिकारी के ध्यान में सही तथ्यों को लाने का अवसर प्राप्त करने में विफल रहता है”

164. इसके अलावा, वानकाई के तर्क के विपरीत, गोपनीयता के प्रावधान उन पक्षकारों से संबंधित सूचना के संबंध में गोपनीयता को बाहर नहीं करते हैं, जो जांच के पक्षकार नहीं हैं। नियम 7 में किसी भी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्राधिकारी को दी गई किसी भी सूचना की गोपनीयता के लिए है। इस संबंध में प्राधिकारी की स्थिति को ईसी - फास्टनर्स (डब्ल्यूटी/डीएस397 / एबी/आर) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के जांच परिणामों में भी समर्थन मिलता है। इस संबंध में अपीलीय निकाय ने निम्नानुसार नोट किया है।

“540. अनुच्छेद 6.5 के दायरे की जांच करते हुए, हम देखते हैं कि यह "जांच में शामिल पक्षकारों" के विशेष रूप से परिभाषित समूह के बजाय "जांच में शामिल पक्षकारों" द्वारा प्रस्तुत सूचना के लिए गोपनीय उपचार का अनुरोध करने की आवश्यकता का विस्तार करता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 6.5 संवेदनशील सूचना को दिए गए संरक्षण को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.11 के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध "हितबद्ध पक्षकारों" तक सीमित नहीं करता है। हमारे विचार में, "जांच के पक्षकार" शब्द का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति से है जो जांच में भाग लेता है या उसमें शामिल होता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 6.11 में "हितबद्ध पक्षकारों" की स्पष्ट सूची नहीं है, बल्कि उसमें उल्लेख है कि उस अनुच्छेद में सूचीबद्ध व्यक्ति या समूह "हितबद्ध पक्षकारों में शामिल होंगे।" हमारे विचार में, अनुच्छेद 6.11 में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध व्यक्ति वे हैं जिन्हें हर मामले में "हितबद्ध पक्षकार माना जाता है", लेकिन वे एकमात्र व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें किसी विशेष जांच में "हितबद्ध पक्षकार माना जाए"। हम यह नहीं मानते कि किसी जांच प्राधिकारी को अनुच्छेद 6.5 के तहत अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया जाता है, केवल इसलिए कि जांच में एक प्रतिभागी अनुच्छेद 6.11 में "हितबद्ध पक्षकारों" की सूची में दिखाई नहीं देता है। बल्कि, एक बार जब "अच्छा कारण" दिखाया जाता है, तो संवेदनशील सूचना का गोपनीय व्यवहार किसी भी पक्षकार को दिया जाना चाहिए जो जांच में भाग लेता है या उसमें शामिल होता है या किसी प्राधिकारी को सूचना प्रदान करता है। अनुच्छेद 6.5 के अनुसार ऐसे पक्षकार सूचना की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति, गोपनीय सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति और जांच में शामिल पक्षकार हैं।”

चूँकि वर्तमान मामले में, चूँकि गोपनीय सूचना कुछ पक्षकारों से प्राप्त की गई है, अतः अनुच्छेद 6.5 और नियम 7 के प्रावधान ऐसी सूचना पर भी लागू होंगे।

165. वानकाई का यह भी दावा है कि इसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सही सूचना प्रदान करने का भार आयातकों पर होता है। तथापि, प्राधिकारी के जांच परिणाम कई कारकों और साक्ष्यों पर निर्भर करते हैं, जिसमें मूल प्रमाण पत्र जैसे साक्ष्य शामिल हैं, जो वानकाई को निर्माता के रूप में पहचानते हैं। अतः, प्रदान किया गया दस्तावेज़ केवल आयातकों से संबंधित नहीं है, बल्कि चीनी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज़ है कि माल वांकाई द्वारा निर्मित किया गया था।
166. मूल प्रमाण पत्र जारी करने को नियंत्रित करने वाले विनियमों में "सकते" शब्द के उपयोग पर भरोसा के संबंध में, प्राधिकारी पाते हैं कि केवल इसलिए कि सत्यापन कर "सकते" हैं, का अर्थ यह नहीं है कि निर्माता की पहचान करने या मूल प्रमाण पत्र जारी करने में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उद्योग का तर्क यह नहीं है कि निर्माता के परिसर को वास्तव में सत्यापित किया गया था। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि यह देखते हुए कि निर्माता को सत्यापित किया जा सकता है, यह इस प्रकार है कि प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्माता का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई औचित्य नहीं मिलता है कि मूल के नमूना प्रमाण पत्र यह नहीं दर्शाते हैं कि सामान वांकाई द्वारा निर्मित किए गए थे। नमूना प्रमाण पत्र निर्णायक रूप से दर्शाते हैं कि वांकाई द्वारा निर्मित सामान को तीसरे पक्षकार द्वारा भारत में निर्यात किया गया है, और आयातित उत्पाद को वांकाई पर लागू पाटनरोधी शुल्क दर पर मंजूरी दी गई थी। हालांकि, वानकाई द्वारा दायर उत्तर में यह लेन-देन सूचित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वानकाई द्वारा ऐसे किसी तीसरे पक्षकार की पहचान नहीं की गई है और पक्षकार ने जांच में सहयोग नहीं किया है। इस प्रकार, नमूना प्रमाण पत्र निर्यातक द्वारा तथ्यों को छिपाने और गलत दर्शाने को उजागर करते हैं।

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वानकाई वर्तमान जांच के उद्देश्य से सटीक और पर्याप्त सूचना प्रदान करने में विफल रहा है। वानकाई उचित और निर्धारित अवधि के भीतर वानकाई इंटरनेशनल के संबंध में सूचना प्रदान करने में भी विफल रहा। इसके अलावा, अपने कुल निर्यात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के संबंध में सूचना प्रदान करने में विफल रहकर, इसने जांच में काफी बाधा डाली है। इसे देखते हुए, निर्यातक को सहयोगी नहीं पाया जा सकता है। प्राधिकारी के जांच परिणाम इस संबंध में विगत परिपाटी के संगत भी हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में वानकाई के लिए निर्धारित पहुंच कीमत की तुलनात्मकता या उससे कम होने का तथ्य असंगत है।
168. घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए गए आयात आंकड़ों और अन्य साक्ष्यों, जैसे मूल प्रमाण पत्र, या फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्यों के संबंध में, वानकाई इस तथ्य पर सवाल उठाते हैं कि घरेलू उद्योग को स्वयं सूचना तक पहुंच नहीं होनी चाहिए थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि दस्तावेज़ किसी अन्य पक्षकार और घरेलू उद्योग से संबंधित हैं, उन्हें स्वयं सूचना तक पहुंच नहीं होगी, जो दस्तावेजों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा, जिस तरह से घरेलू उद्योग को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच मिली, वह प्राधिकारी के लिए महत्वहीन है। यह घरेलू उद्योग और ऐसे पक्षकार के बीच संबंधों से बाहर हो सकता है। किसी भी मामले में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात सूचना पर भरोसा नहीं किया है। जहां तक मूल प्रमाण पत्र का संबंध है, घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, और प्राधिकारी ने आवश्यक जांच और पुष्टि के बाद साक्ष्य पर भरोसा किया है। क्या घरेलू उद्योग को दस्तावेजों या आयात आंकड़ों तक पहुंच होनी चाहिए थी, और जिस तरह से उन्होंने इसे प्राप्त किया था, वह वर्तमान समीक्षा के दायरे में नहीं है।
169. घरेलू उद्योग, निर्यातकों और आयातकों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना, दावों और साक्ष्यों को परस्पर सत्यापित करने के लिए डीजीटीआर डीजी सिस्टम से सूचना मांगता है। प्राधिकारी इन दावों को परस्पर सत्यापित करने के लिए डीजी सिस्टम से सूचना मांगता है। यह सूचना डीजी सिस्टम द्वारा इस समझ के साथ प्रदान की जाती है कि यह प्राधिकारी के कब्जे में सूचना को परस्पर सत्यापित करने के उद्देश्य से ही प्राधिकारी को प्रदान की जा रही है। प्राधिकारी ऐसी सूचना किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें निर्यातकों और आयातकों के बारे में महत्वपूर्ण व्यापार संवेदनशील सूचना होती है, जिसकी गोपनीयता देश में विभिन्न कानूनों के तहत संरक्षित है।
170. वानकाई ने यह भी दावा किया है कि उसने पाटनरोधी शुल्क को नहीं खपाया और शुल्क न खपाने की जांच के जांच परिणाम गलत थे। यह नोट किया जाता है कि वानकाई द्वारा अपील की प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की गई थी। यदि वानकाई प्राधिकारी के निर्धारण से व्यथित था, तो वह उचित अपील की प्राधिकारी के समक्ष मामला उठा सकता था।
171. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि वानकाई ने विशेष पीसीएन के निर्यात के संबंध में मूल जांच से ही सूचना को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। वानकाई ने इस पर विवाद किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि वानकाई ने विशेष उत्पादों का निर्यात किया होता, तो घरेलू उद्योग को मूल जांच में यह मुद्दा उठाना चाहिए था। प्राधिकारी को वर्तमान समीक्षा जांच के दौरान पहले की जांच में संभावित गलत बयानी की जांच करने का कोई कारण नहीं मिलता है।
172. इस दावे के संबंध में कि पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित अनुमान का कार्य है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों, घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों पर प्राधिकारी के समक्ष विश्वसनीय सूचना प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसी विश्वसनीय सूचना के अभाव में प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
173. यह पाते हुए कि उत्पादक वानकाई अपने स्वयं के निर्मित उत्पादों के निर्यात के बारे में सटीक और पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने में विफलता के कारण असहयोगी है, प्राधिकारी को यह जांचने की आवश्यकता नहीं है कि क्या संबद्ध सामानों के संबद्ध उत्पादक चोंगकिंग वानकाई द्वारा उत्तर न होते हुए भी, उत्तर को स्वीकार की जा सकता है।
174. इस मुद्दे के संबंध में कि आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने 30 जनवरी 2026 के पत्र के माध्यम से गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति उपलब्ध कराई है।
175. वानकाई ने यह भी तर्क दिया है कि निर्यात कीमत का आधार बनाने वाले अन्य साक्ष्य प्रकट नहीं किए गए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने इस संबंध में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। उसने स्पष्ट किया गया है कि निर्यात कीमत को

छोड़कर अन्य समायोजन सतत परिपाटी के अनुसार किए गए हैं। समायोजन की मात्रा आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में प्रकट की गई थी। इसी क्रम में, सटीकता के प्रमाण पत्र और परामर्शदाताओं से प्रमाण पत्र अगोपनीय रूपांतर में प्रदान किए गए हैं जो दिनांक 30 जनवरी 2026 के पत्र द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अगोपनीय रूपांतर में भी स्पष्ट है कि आवेदकों ने पूरी क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। अतः, प्राधिकारी को इस संबंध में अत्यधिक गोपनीयता के आरोप के संबंध में कोई औचित्य नहीं मिलता है। जहां तक कर्मचारियों की संख्या, बंदी के विवरण आदि जैसे कारकों का संबंध है, प्राधिकारी ने उचित कारण दिखाए जाने पर गोपनीयता स्वीकार कर ली है।

176. इस तर्क के संबंध में कि कुल भारतीय उत्पादन को गोपनीय होने का दावा किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना प्रदान की थी। इस तरह की सूचना को एमईपीएल के वास्तविक उत्पादन के लिए समायोजित किया गया है, जो दावा किए गए उत्पादन से तुलनीय था। इसलिए, वास्तविक सूचना के प्रकटन न करने से किसी भी हितबद्ध पक्षकार के प्रति पूर्वाग्रह नहीं हुआ हुआ है। इसके अतिरिक्त, वानकाई ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जारी किए गए प्रकटन विवरण में कुछ गोपनीय सूचना गलती से प्रकट हो गई थी। सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजे गए ईमेल दिनांक 19 मार्च 2026 के माध्यम से गोपनीय सूचना वापस ले ली गई है। पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रकटन विवरण में निहित वास्तविक सूचना का कोई भी उपयोग करने से बचें और सभी पक्षकारों को उनके संभावित भविष्य के उपयोग के लिए वास्तविक संख्या के स्थान पर (***) डालने के बाद संशोधित प्रकटन जारी किया गया है। चूंकि हितबद्ध पक्षकारों ने पहले ही प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां पेश कर दी हैं, इसलिए संशोधित प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को कोई और अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि केवल कुछ सूचना संपादित की गई है। वर्तमान निष्कर्षों के संगत भाग में आवश्यक सुधार किया गया है।
177. आयात और मांग की प्रवृत्ति की तुलना के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में बढ़ा है। अतः, पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, आयात ने बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर ली है।
178. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि शुल्क उत्पादक और निर्यातक के संयोजन पर आधारित होना चाहिए; चूंकि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में किसी भी उत्पादक को सहयोगी नहीं माना है, इसलिए यह वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है।

ढ. निष्कर्ष

179. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद, और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- क. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में परिभाषित है, अर्थात् 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक की आंतरिक चिपचिपापन वाला वर्जिन बोटल-ग्रेड पॉलीइथाइलीन टैरेफ्थालेट रेज़िन।
- ख. वर्तमान जांच के उद्देश्य से कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई थी।
- ग. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- घ. आवेदकों ने भारत में संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वे इसके निर्यातक या आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
- ङ. सभी उत्पादकों के उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन में माना गया है, और मिनोचा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और एस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड समान वस्तु के घरेलू उत्पादक नहीं हैं।
- च. आवेदकों का संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है, और इस प्रकार नियम 2 (ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।
- छ. हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना का उपयुक्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों ने निर्देशों का पालन किया और अतिरिक्त सूचना प्रकट की। हितबद्ध पक्षकारों ने स्पष्ट किया कि कुछ सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए अच्छा कारण प्रदान किया। प्रदान किए गए औचित्य से संतुष्ट होने के बाद, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार कर लिया है।

- ज. वांकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निर्माता ने व्यापारियों के माध्यम से काफी मात्रा में निर्यात किया है, जिसका प्रकटन प्राधिकारी को नहीं किया गया है। अतः, दायर उत्तर में वास्तविक सूचना छिपाई गई थी और गलत दर्शाई गई थी, जैसा कि जांच परिणाम के संगत भाग में पाया गया। व्यापारियों के माध्यम से निर्यात को वानकाई पर लागू अलग शुल्क दर पर शुल्क का भुगतान करने के बाद भारतीय सीमा शुल्क में मंजूरी दे दी गई है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए और डीजी सिस्टम आंकड़ों के साथ सत्यापित मूल प्रमाण पत्र भी दिखाते हैं कि उत्पादों को वानकाई द्वारा उत्पादित होने के रूप में पहचाना गया था, लेकिन व्यापारियों द्वारा निर्यात किया गया था। वानकाई पर लागू शुल्क पर सामान को मंजूरी दे दी गई। इसके अतिरिक्त, वानकाई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का उत्तर बिना किसी औचित्य के या प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना देरी से दायर किया गया था।
- झ. संबद्ध देश के सभी उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी है।
- ञ. जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। तथापि, क्षति के बार बार होने की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित से सिद्ध है।
- i. संबद्ध सामानों का लगातार पाटन, और वानकाई द्वारा पहले लगाए गए शुल्कों को खपाना यह दर्शाता है कि शुल्कों के अभाव में पाटन जारी रहने की संभावना है।
 - ii. लागू शुल्कों के बावजूद आयात में काफी उच्च दर से वृद्धि हुई है। अतः, शुल्क के अभाव में, आयात में और वृद्धि होने की संभावना है।
 - iii. संबद्ध देश में काफी क्षमताएं हैं, और विदेशी उत्पादक क्षमताएं जोड़ना जारी रख रहे हैं। संबद्ध देश में बेकार क्षमताएं भारत में मांग से 2.5 गुना अधिक है।
 - iv. विदेशी उत्पादकों ने तीसरे देशों को पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात किया है।
 - v. संबद्ध देश से निर्यात भी अन्य न्याय-क्षेत्राधिकारों जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार उपचारात्मक उपायों के अधीन हैं।
 - vi. चीन जन.गण. से अतिरिक्त मात्रा को खपाने के लिए सीमित वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हैं। इस प्रकार, शुल्कों के अभाव में भारतीय बाजार एक आकर्षक निर्यात बाजार के रूप में काम करेगा। वांकाई द्वारा प्रदान की गई सूचना से यह भी पता चलता है कि जहां तीसरे देशों को निर्यात में गिरावट आई है, वहीं भारत को निर्यात में वृद्धि हुई है।
 - vii. अन्य न्याय-क्षेत्राधिकारों में निर्यातों की प्रवृत्ति से पता चलता है कि जब शुल्क लगाया जाता है तो विदेशी उत्पादक बाजार खो देते हैं। एक बार शुल्क समाप्त हो जाने पर, इन न्याय-क्षेत्राधिकारों में निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देती है। तथापि, भारत के मामले में, शुल्कों के बावजूद निर्यात में वृद्धि हुई है।
 - viii. भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है, क्योंकि तीसरे देशों को किए गए निर्यात का 61% कम कीमतों पर किया गया है।
 - ix. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। शुल्कों के अभाव में, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण या ह्रास होने की संभावना है।
 - x. घरेलू उद्योग एक नाजुक स्थिति में है और उसे वानकाई द्वारा शुल्क को खपाने के कारण 2023-24 के दौरान निष्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इसे ध्यान में रखते हुए, शुल्क के अभाव में, घरेलू उद्योग की स्थिति में गिरावट आने की संभावना है।
 - xi. घरेलू उद्योग को शुल्क के अभाव में हानियां, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आने की संभावना है।
- ट. घरेलू उद्योग को किसी अन्य कारक के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक जनहित में है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता है :

- i. किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने जांच में भाग नहीं लिया है, जो दर्शाता है कि शुल्क लगाने से प्रयोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।
- ii. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, और रिकॉर्ड में कोई सूचना नहीं है जो पूर्व में शुल्क लगाने के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हो।
- iii. शुल्क लगाने के बाद, इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, सुमिलोन इंडस्ट्रीज, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड और स्पर्श इंडस्ट्रीज ने भारत में कुल 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ क्षमताएं स्थापित की हैं। पीटीए और एमईजी के ऊपरीय स्तर के उत्पादों में भी काफी निवेश हुआ है, जिनकी अर्थक्षमता निचले स्तर के उत्पादों पर निर्भर करती है।
- iv. देश में संबद्ध सामानों की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, इस उत्पाद को बांग्लादेश, ब्राजील, ओमान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम जैसे अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।
- v. निचले स्तर के उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ण. सिफारिशें

180. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क तथा पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
181. यह निष्कर्ष निकालने पर कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन के जारी रहने और परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क आगे जारी रखे जाने की आवश्यकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है, पर विचार करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा जांच में भाग न लेने वाले विदेशी उत्पादकों या पर्याप्त एवं सही सूचना प्रदान करने में विफल होने के कारण असहयोगी पाए जाने वाले विदेशी उत्पादकों को छोड़कर, चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं। इस निर्णायक समीक्षा जांच में असहयोगी उत्पादकों को वर्तमान में लागू अवशिष्ट शुल्क प्रदान किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी पांच वर्षों की अगली अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार उल्लिखित राशि के बराबर, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉलम 3 में उल्लिखित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर यथा-संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखे जाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3907 6110, 3907 6190, 3907 6930, और 3907 6990	पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थैलेट रेजिन जिसकी आंतरिक चिपचिपाहट 0.72 डेसीलीटर प्रति ग्राम या उससे अधिक है	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई	200.66	एमटी	यूएसडॉ.
2	-वही-	-वही-	मूलता के देश को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	200.66	एमटी	यूएसडॉ.

* बोटल-ग्रेड पीईटी रेजिन, रिसाइक्लिड पीईटी रेजिन को छोड़कर

त. आगे की प्रक्रिया

182. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 20th March, 2026

Case No. AD (SSR)-08/2025

Subject: Sunset review of anti-dumping duty concerning imports of Polyethylene Terephthalate (PET) Resin from China PR

F. No. 07/15/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, Indorama Yarns Private Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Polyethylene Terephthalate (PET) Resin (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The original investigation concerning imports of subject goods from China PR was initiated by the Authority vide notification 6/24/2019-DGTR dated 1st October 2019. The Authority, vide its final findings No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020, recommended imposition of definitive anti-dumping duty for a period of five years, which was given effect vide Customs Notification No. 18/2021-Customs (ADD) dated 27th March 2021.
3. Pursuant to the imposition of duty, an anti-absorption investigation concerning the anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods originating from the subject country when exported by Wankai New Materials Co. Ltd. was initiated on 4th March 2024. The Authority issued final findings F. No. 7/27/2023 DGTR dated 28th August 2024, recommending the modification of the quantum of the anti-dumping duty imposed. The Ministry of Finance issued Notification 25/2024-Customs (ADD) dated 22nd November 2024 modifying the quantum of anti-dumping duty in force.
4. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide Notification No. 07/15/2025-DGTR dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Anti-Dumping Rules to determine the whether the expiry of existing anti-dumping duties against imports of the subject goods from China PR is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. After the initiation of the subject investigation, the Central Government issued its Notification No. 39/2025-Customs (ADD) dated 26th December 2025 extending the duties in force on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country up to and inclusive of 26th June 2026.

B. PROCEDURE

5. The scope of the present review covers all aspects of the final findings No. 6/24/2019-DGTR dated 28th December 2020, modified by finding F. No. 7/27/2023 DGTR dated 28th August 2024, by which the Authority had recommended imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country, and enhanced the quantum of duty respectively.
6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority issued a public notice dated 23rd September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review of the anti-dumping duty imposed on subject goods from the subject country.
 - ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers and exporters from the subject country, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known within the prescribed time limits.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/exporters from the subject country to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. Abclabatory Scientific Co Ltd
 2. AL Shsaze International Trade Link
 3. AN Thanh Bicsol Joint Stock Co.
 4. Anten Industries Joint Stock Company
 5. Anthanh Biscol Joint Stock Company
 6. Apeloa Hongkong Limited
 7. Areva Industries Pte Ltd
 8. Auspro International Limited
 9. Avanti Exim Pte Ltd
 10. Bridge Polymers the Netherlands BV
 11. CGR Trading Company Limited
 12. Jinshan Associated Trading Corporation
 13. China Resources Chemical Innovative Materials Co. Ltd.
 14. Commerce Harbor FZE
 15. Cosmoss VU Limited
 16. Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co Ltd.
 17. Grand Dignity Industrial Co. Ltd.
 18. Guangdong IVL Pet Polymer Co Ltd
 19. Hangzhoi Zhenrui Chemicals Co Ltd
 20. Henan Lihao Chem Plant Limited
 21. Hosco Pharmachem Limited
 22. Hubei Decon Polyester Co Ltd

23. Indus Business Ventures Pte Ltd
24. Jiangsu Company Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd.
25. Jiangsu GTIG Huatai Co Ltd
26. Jiangsu Kingfa Sci Tech Advanced
27. Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd
28. Jiangyin Xingyu New Material Co Ltd
29. Kates Enterprises Ltd
30. Kemo International Trade Co Limited
31. Kingfa Sci Tech Co Ltd
32. M G Polymers FZE
33. M S AN Thanh Bicsol JSC
34. M S Mimosa Asia S Pte Ltd
35. Matheson Energy Pte Ltd
36. Mimosa Asia S Pte Ltd
37. Nakshatra Trading DMCC
38. Nanjing Leading Chemical Co Ltd
39. Northeast Pharm Trading Company Ltd
40. OG Trading Hong Kong Company Limited
41. Petrochem Middle East FZE
42. SBR Group Ltd
43. Shanghai Chemspace Co Ltd
44. Sino Crown International Pte Ltd
45. Sino Hover Industry Co Limited
46. Sinochem Pharmaceutical Co Ltd
47. Skyline Exports Pte Ltd
48. SPK Consulting LLC
49. SPRL Trading FZE
50. Suzhou Cellpro Biotechnology Co Ltd
51. Suzhou Hengli Chemical Fibre New Materials Co Ltd
52. Taizhou Sanqulai Import Export Co Ltd
53. Tas Commodities Pte Ltd
54. Texpo International Ltd
55. TLD Vietnam Joint Stock Co Ltd
56. Tongkun Group Co Ltd
57. Toyoshima And Co Ltd
58. Tricon Dry Chemicals LLC
59. Uniglobus Trading FZE
60. United Raw Material Pte Limited

61. Vasun Enterprises Trading FZE
 62. Velar International Development Ltd
 63. Wankai International Pte Ltd
 64. Wankai New Materials Co Ltd
 65. Xiamen Technology Co Ltd
 66. Wuxi Ubest New Materials Technology Co Ltd
 67. Xiamen CD Chemical Co Ltd
 68. Xiamen ITG Baodarun Industrial Co. Ltd.
 69. Xiamen Zhonghongfa Trading Co Ltd
 70. Yangzhou Reliance Chemicals Co Ltd
 71. Yangzhou Tiamat Import Export Co.
 72. Yue Xiu Textiles Co Ltd
 73. Zhejiang Hailide New Material Co Ltd
 74. Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co Ltd
 75. Zhejiang Yousheng Industry Trade Co Ltd
 76. Zhejiang Zhongtuo Supply Chain Management Co., Ltd
- v. The Embassy of the subject country in India were requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- vi. In response to the initiation of the subject investigation, only Wankai New Materials Co., Ltd. responded by filing exporter questionnaire response. Post the oral hearing, a related trader of Wankai New Materials Co., Ltd., namely Wankai International Pte Ltd. submitted its exporter questionnaire response claiming that it has exported the product under consideration to India. It has submitted that such delay is due to an oversight and since the exports of Wankai through related trader are negligible, it will have no impact on the determination of margins.
- vii. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
1. A C A Polymers
 2. A K Traders
 3. A N I Enterprises
 4. A V Polymer
 5. Aaiji Polypack Private Limited
 6. Abhilasha Impex Private Limited
 7. Active International
 8. Aglo Exports Private Limited
 9. Aglo Packagings Limited
 10. Aglo Packagings Limited
 11. Aglo Polymers Private Limited
 12. Ahimsa Industries Limited
 13. Airking Industries
 14. Akansha Ship Breaking Private Limited

15. Ambica Corporation Limited
16. AMD Petro And Food Private Limited
17. Amrit Polychem Private Limited
18. Amulyam Poly Exim
19. Annapurna Pet Private Limited
20. Aqua Polymers
21. Aquafresh Polyplast
22. Aradhya Overseas
23. Aroma Organics Limited
24. Ascend International
25. Ashu Enterprises
26. Aspire Polytrade Private Limited
27. Ausean Global LLP
28. Avanti Exim India Private Limited
29. Avi Global Plast Private Limited
30. Aym Syntex Limited
31. Ayush Texlene Limited
32. Bafna Polymers India
33. Bafna Polymers India Private Limited
34. Bandaru Polymers
35. Bharat Monofilament Textiles Private Limited
36. Bhavya Polyfilms Private Limited
37. Bhilosa Industries Private Limited
38. Blue Star Pack Kraft
39. Bohra Associates
40. Bolton Petforms Private Limited
41. Cabisco Plast Private Limited
42. Cabisco Plastic LLP
43. Chem International
44. Cosmoplast
45. Creative Propack Limited
46. Creative Proplast Limited
47. D P Enterprises
48. Dhananjay Plast
49. Dhaulagiree Polyolefins Private Limited
50. Diamond Polycoats
51. Dosch Pharmaceuticals Private Limited
52. Durjaya Estates Private Limited

53. Divya Polytech Private Limited
54. Engineered Polymers India Private Limited
55. Epitome Petropack Limited
56. Flexilis Private Limited
57. Fortune Containers
58. G Plast Private Limited
59. G R Pet Preforms
60. Ganapati Fishing Lines Private Limited
61. GBC Packaging
62. Glory Industries
63. Goodway Chemicals Private Limited
64. Grace Trading
65. Green Pet Strap Private Limited
66. Greenstrap LLP
67. HP Pet
68. Happy Poly Koats
69. HB Polymers Private Limited
70. Hindustan Coca-Cola Beverages Private Limited
71. Impark
72. Interplex India Private Limited
73. Isha Plast Impex Private Limited
74. Ishaan Plastics Private Limited
75. Iyra Polymers Private Limited
76. J J Plastalloy Private Limited
77. J K Polymers Industries
78. Jagdamba Polymers Private Limited
79. Jai Gopal International Impex Private Limited
80. Jaimaruti Polychem LLP
81. Jainson Cables India Private Limited
82. Jairam Strap Private Limited
83. Jay Ambey Filament Private Limited
84. Jay Multti Tech
85. Jaycee Engineering Private Limited
86. JB Polypack Private Limited
87. Jebruna International Private Limited
88. Jebruna International Private Limited
89. Jell Pharmaceuticals Private Limited
90. John Polymers

91. K C Preforms
92. K S Plastics India Private Limited
93. Kanti Beverages Private Limited
94. KDS International Private Limited
95. Kingfa Science Technology Private Limited
96. Kiran Polyfab Private Limited
97. Komal Polymers
98. Kosmos Petrochem
99. Krupa Polymers India Private Limited
100. Kruti Chemplast LLP
101. Krystals Impex
102. Lakshay Propack LLP
103. Laxmi Trading Company
104. Light Walk Private Limited
105. Lila Polymers Private Limited
106. LPB Plastic Private Limited
107. MS Impex
108. MS Plast
109. Madhav International
110. Madhu Plastics Private Limited
111. Madhu Plastics Private Limited
112. Mahavir Engineering And Plastics Works
113. Marudhar Petrochem
114. Maruti Overseas
115. Marvel Polyexim LLP
116. Maskara Impex LLP
117. Mayur Straps Packaging Industries
118. Megha Fruit Processing Private Limited
119. Merit Straps And Packaging Industries
120. Mittal Lamination
121. Mix Media Signages LLP
122. MM9 Polytrade Private Limited
123. Murlidhar Overseas Private Limited
124. N R Industries
125. National Plasto Containers Private Limited
126. National Polyplast India Private Limited
127. Neelgiri Poly Plast Private Limited
128. Nescopet Private Limited

129. Nexus Petrochem Private Limited
130. Nirmal Poly Plast Private Limited
131. Nishant Mouldings Private Limited
132. Nitin Plastic
133. Noble Exim
134. Noble Packaging
135. Nova Polymers
136. NSV India Overseas LLP
137. Ocean Packaging Private Limited
138. Om Impex
139. Omkar Industries Limited
140. Oracle Polyplast
141. Organic Industries Private Limited
142. Oriilon India Private Limited
143. Oswal International
144. Pan Synthetic Private Limited
145. Parmeshwar Impex Private Limited
146. Parmeshwar Overseas Trade
147. Pawan Chemicals
148. Penta Pack Polymers Private Limited
149. Perfect Filaments Limited
150. Perlon Goa Private Limited
151. PET Equipment Resales Private Limited
152. PET India Industries
153. Petrotech Chemica Private Limited
154. Petrotech Products India Private Limited
155. Plastiblends India Limited
156. Plastscares Overseas Private Limited
157. Poddar Pigments Limited
158. Polstar
159. Polyset Plastics Private Limited
160. Polyset Plastics Private Limited
161. Prakrit Impex Private Limited
162. Praveen Polymers Private Limited
163. Puri Polymers
164. PVC Colouring Compounding Processing
165. Qber Petrochem
166. Raga Pet

167. Raj Polymers
168. Rajshree Polypack Limited
169. Ramcham Packaging Private Limited
170. Rapid Pet Industries
171. RCK Impex Private Limited
172. Ready Package
173. RGP Impex Private Limited
174. RGS Pet Strap LLP
175. Ridam Impex Private Limited
176. Rishabh Triexim LLP
177. Rivaansh Polymers
178. RKG Polyplast Private Limited
179. Rudra International
180. Rungta Mouldings Private Limited
181. Ruptex Mineral Water Private Limited
182. S G Polymers
183. S L V Pet Industries
184. S S Polymers Impex Private Limited
185. Saavi Trading Company
186. Sajo Polytek Private Limited
187. Sanjay Chemicals Private Limited
188. Sara Enterprises
189. Satish Agrawal
190. SE Textiles Private Limited
191. SG Exim
192. Sheth Pet And Polymers Private Limited
193. Shiv Enterprises
194. Shiv Pet
195. Shlok Chemicals
196. Shree Ganesh Enterprises
197. Shree Nakoda Polymers
198. Shrinath Rotopack MP Private Limited
199. Shrinath Rotopack Private Limited
200. Sibi Polymers
201. Siddhan Traders
202. Siddharth Plast
203. Sim Polymers LLP
204. Sim Trade Links

205. SJR Plast
206. Skydom Industries
207. Skyone International
208. SNJ Synthetics Limited
209. Spatlus Enterprise LLP
210. Sri Govind Polymers
211. Sri Venkateshwara Polymers
212. Starchem Polytrade Private Limited
213. Starlon Exim Private Limited
214. Steel Containers LLP
215. Sun Polytrade LLP
216. Sunlarge Filaments Private Limited
217. Sunlarge Industries Private Limited
218. Superfil Products Private Limited
219. Surya Impex
220. Svastyayana Chemistry
221. Swaashpet Polymers Private Limited
222. Tarajyot Enterprise Private Limited
223. Topsack Exports Private Limited
224. Tricon Energy India Private Limited
225. Tricon Energy India Private Limited
226. Triliance Global Trade LLP
227. Trust Polymer
228. Turakhia Polymers Private Limited
229. U D Caps Private Limited
230. Uflex Limited
231. Unify Texturisers Private Limited
232. Universal Corporation
233. Vacmet India Limited
234. Varun Beverages Limited
235. Varun Beverages Limited
236. Verpack Plastics Private Limited
237. Vigilant Specialities Private Limited
238. Vinay Plastics
239. Vinayak Beverages
240. Viney Aggarwal Industries Private Limited
241. Virat Impex
242. Vishal Beverages Private Limited

243. Voltson India
244. Vriddhi Petrochemicals
245. Vrion Global Private Limited
246. Vton Plastic Industries Private Limited
247. Waterproof Corporation Private Limited
248. Wisechoice Enterprises
249. Yashpet Container
- viii. No importer/user has responded by filing an importer or user questionnaire response.
- ix. The Authority sent a copy of the non-confidential version of the application to the following users' associations. No user association has filed responses or submissions.
1. All India Federation of Plastics Industries
 2. All India Plastic Industries Association
 3. All India Plastic Manufacturers' Association
 4. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)
 5. Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)
 6. Confederation of Indian Industry (CII)
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xi. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025. The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.
- xii. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- xiii. After the initiation of the subject investigation, the Central Government issued its Notification No. 39/2025-Customs (ADD) dated 26th December 2025 extending the duties in force on the import of the subject goods originating in or exported from the subject country up to and inclusive of 26th June 2026.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7th January 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in the present final findings.
- xvi. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present disclosure statement, to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on

confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xviii. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xx. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present final findings to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xxi. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 24th February 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.
- xxii. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 85.43

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

1. Views of other interested parties

- 7. No submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of the product under consideration and like article.

2. Views of the domestic industry

- 8. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product scope considered by the Authority in the original investigation may be considered for the scope of the present investigation.
 - ii. The domestic industry has sold different grades of the product having varied viscosities, colours and melting points. However, such change in grades do not cause any significant change in the cost of production and do not warrant a PCN methodology.
 - iii. No PCN methodology was adopted in the original investigation.

3. Examination by the Authority

- 9. At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

“The product under consideration is virgin bottle-grade polyethylene terephthalate (PET) Resin, defined as “polyethylene terephthalate resin having intrinsic viscosity of 0.72 deciliters per gram or higher”. The scope of product under consideration excludes recycled PET resin. PET Resin is used for the manufacturing of preforms, which are then converted into PET bottles and jars for the storage of mineral water, carbonated soft drinks, edible oils, pharmaceutical products etc”

- 10. It is also noted that the present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigations. In view of no

submissions regarding scope of product under consideration, the Authority has considered the product under consideration for the purpose of the review, same as the original investigation.

11. With regard to the submissions on PCN methodology, the Authority notes that no PCNs were adopted in the original investigation. The domestic industry has submitted that it has sold different grades of like article bearing different viscosities, colours and melting points. However, the difference in grades does not result in significant change in costs. The same has not been disputed by any interested party. Thus, the Authority has not adopted any PCN methodology in the present investigation.
12. The Authority notes that the product produced by the domestic industry is like article to the goods exported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The subject goods imported from the subject countries and produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable and used by the consumers interchangeably. In view of the same, it is concluded that the product manufactured by the domestic industry is considered as like article to the product imported into India.
13. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 3907. The subject goods are being imported under HS Codes 3907 61 10, 3907 61 90, 3907 69 30, and 3907 69 90. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

1. Views of other interested parties

14. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing.
 - i. The applicants have failed to provide details of imports of subject goods from all countries over the injury period, as required by the application proforma and the Manual of Operating Practices.
 - ii. IVL Dhunseri and Indorama have imported the subject goods from other countries and the same may be examined.
 - iii. The signed declaration regarding imports made by IVL Dhunseri from subject country has not been provided.
 - iv. The inclusion of Indorama and IVL Dhunseri as part of domestic industry is unjustified considering they are related to a producer in China.
 - v. While Minocha Enterprises Private Limited has been identified as a domestic producer, its production has not been considered for calculation of total Indian production.
 - vi. Ester Industries Limited, a domestic producer which has participated in the investigation concerning subject goods in the US, has not been considered as a domestic producer by the applicants.

2. Views of the domestic industry

15. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - i. The applicants have not imported the subject goods from subject country during the period of investigation.
 - ii. The applicants have given details of imports from all sources in Proforma IV A, which shows that there are no imports from any country. There is no requirement for a specific declaration in this regard.
 - iii. Rule 2(b) only calls into question the eligibility of an importer of alleged dumped article. Thus, imports from other countries are irrelevant to the investigation.
 - iv. IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited and Indorama Yarns Private Limited are related to, Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd, a producer/exporter of subject goods in the subject country. However, it has not exported the subject goods to India in the period of investigation.

- v. Due to no exports from Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd, it does not qualify as an exporter under Rules 2(b) of Anti-dumping Rules and IVL Dhunseri and Indorama cannot be considered ineligible.
- vi. Rule 5 of the Anti-Dumping Rules does not apply to sunset review under Rule 23 and there is no requirement of establishing standing in the present case. Without prejudice to this, the Indian production has been calculated appropriately.
- vii. Ester Industries is not a producer of subject goods in India. A declaration in this regard has been provided by the company.
- viii. Due to a typographical error, MEPL was incorrectly mentioned as Minocha Enterprises Private Limited in the application. It is clarified that MEPL is Madelin Enterprises Private Limited, which has supported the investigation, and its production has been considered in the total Indian production.

3. Examination by the Authority

16. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

17. The Authority notes that the application for initiation of the present sunset review investigation was filed by IVL Petrochem Industries Private Limited (“IVL Petrochem”), Indorama Yarns Private Limited (“Indorama”) and Reliance Industries Limited (“RIL”). The applicants have submitted, that, there are other domestic producers of the subject goods in India, namely, Chiripal Polyfilms Limited, Jindal Polyfilms Limited, Madelin Enterprises Private Limited (“MEPL”), Sumilon Industries Limited and Uflex Limited. The Authority notes that out of the above, MEPL has supported the present investigation. Further, the production information of MEPL and Chiripal Polyfilms Limited was provided in the application as per market estimates. However, MEPL provided its support letter after the initiation of the investigation. The Authority has considered the production of MEPL as per its actual production for determination of total Indian production.
18. The Authority notes that the applicants have not imported the subject goods from the subject country during the period of investigation. In this regard, it is noted that the interested parties have contended that IVL Petrochem and Indorama have imported the subject goods. However, no information regarding such imports have been provided by the interested parties. The applicants have disputed the contention of the interested parties. The Authority has examined the DG Systems data in this regard. It is noted that IVL Petrochem and Indorama have not imported the product under consideration from the subject country. Further, the applicants are not related to an importer or exporter of the alleged dumped article.
19. In this regard, the Authority notes that IVL Petrochem and Indorama are related to a producer of the product under consideration in China, namely Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd. The applicants have claimed that the related exporter has not exported the product under consideration to India during the period of investigation. Such fact has not been disputed by the interested parties, though they claim that IVL Petrochem and Indorama be treated as ineligible to constitute domestic industry. The Authority has also examined the DG Systems data and notes that there are no exports of the product under consideration by Guandong IVL PET Polymer Co. Ltd. Therefore, IVL Petrochem and Indorama cannot be considered related to an exporter of the dumped article. It is further noted that in the original investigation, the Authority considered IVL Petrochem as eligible to constitute domestic industry, even though the related exporter had exported insignificant quantities. In view of the foregoing, it is concluded that the applicants are eligible to constitute domestic industry.
20. The interested parties have claimed that the applicants have not considered the production of Ester Industries and Minocha Enterprises Private Limited. In this regard, the interested parties claimed that the applicants themselves identified Minocha Enterprises Private Limited as a domestic producer of the subject goods but did not consider its production in the total production. The applicants have clarified that due to an error, Madelin Enterprises Private Limited (MEPL) was written as Minocha Enterprises Private Limited (MEPL) in the list of domestic producers at Annexure 1.7. However, the production of MEPL was considered in the determination of

Indian production. Further, MEPL, that is, Madelin Enterprises Private Limited has also filed letter supporting the request for review.

21. As regards Ester Industries Limited, the interested parties have relied upon the investigation by US investigating authority, wherein the producer was given an individual rate of duty. However, the domestic industry has provided a certificate from Ester Industries Limited, confirming that they do not produce the subject goods falling within the present product scope, that is, bottle-grade PET Resin having intrinsic viscosity above 0.72 deciliters. The Authority further notes that the scope of investigation by the US authorities was much wider, as defined below.

“The merchandise covered by these orders is PET resin having an intrinsic viscosity of at least 0.70, but not more than 0.88, deciliters per gram. The scope includes blends of virgin PET resin and recycled PET resin containing 50 percent or more virgin PET resin content by weight, provided such blends meet the intrinsic viscosity requirements above. The scope includes all PET resin meeting the above specifications regardless of additives introduced in the manufacturing process.”

22. Thus, the scope of investigation by US authorities was not limited to bottle-grade PET Resin. Further, it included blends of virgin and recycled PET Resin as well, whereas the present review relates to only virgin PET Resin. Therefore, given the explicit clarification by Ester Industries Limited themselves, no inference can be drawn by the participation in the US investigation.
23. In view of the above, the Authority notes that, in addition to the applicants, the subject goods are being produced by Chiripal Polyfilms Limited, Madelin Enterprises Private Limited, Sumilon Industries, and Uflex Limited. The share of applicants in total production is noted as below.

Particulars	Unit	Production (POI)	Share in Total Production
Applicants	MT	***	80-90%
Other Producers	MT	***	10-20%
Chiripal Polyfilms Limited	MT	***	**%
Madelin Enterprises Private Limited	MT	***	**%
Sumilon Industries	MT	***	**%
Uflex Limited	MT	***	**%
Total Indian Production	MT	19,33,103	

24. The Authority notes that the production of the applicants constitute a major proportion, that is, 80-90% of the total Indian production. In view of the foregoing, the Authority concludes that the applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

1. Views of other interested parties

25. No submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
- The domestic industry has claimed excessive confidentiality with regards to source of import information used.
 - The details and production of other domestic producers have not been provided. Further, the source of its information for production has not been disclosed.
 - The evidence for adjustments claimed for export price have not been disclosed by the domestic industry.

- iv. The details of normal value and dumping margin have been claimed confidential.
- v. The number of employees; profit / loss, return on capital employed and range of net selling price, costing information such as elements of cost and names of raw materials and annual reports have not been disclosed by the domestic industry.
- vi. The non-confidential version is not a replica of the confidential version, as required under Trade Notice 1/2013, particularly with regard to having the same number of pages.
- vii. The correctness certificate and declaration by legal representative have not been provided as part of application.
- viii. The investigation is ongoing and parties are entitled to make submissions on all aspects, including confidentiality, during the course of the investigation. The domestic industry cannot absolve itself of its obligation to provide meaningful disclosure on the pretext of exhaustion of time.
- ix. The domestic industry has not provided complete non-confidential versions of several documents and has withheld material information, thereby preventing Wankai from making effective comments.
- x. No adverse inference may be drawn against Wankai on the basis of information that has not been disclosed in a meaningful manner.

2. Views of the domestic industry

26. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- i. Wankai has not provided indexed figures for details of capacity, production, and domestic sales, exports and inventories from 2018 to 2024 in Part II of the exporter questionnaire response.
 - ii. The claims of excessive confidentiality have been made only at the time of oral hearing. Such claims are extremely belated, considering the 7 days deadline provided in the Initiation Notification.
 - iii. The source of market intelligence information considered is not required to be disclosed under Trade Notice 10/2018. The domestic industry has disclosed the summary of imports.
 - iv. The details of other domestic producers have been provided in Annexure 1.7.
 - v. The production details of other producers and evidence of ocean freight considered are third party information, which the domestic industry is not authorized to disclose. However, the domestic industry has disclosed the actual aggregate Indian production and share of domestic industry in range.
 - vi. The ocean freight considered has been disclosed. There is no allegation that the ocean freight claimed is excessive.
 - vii. Other adjustments to export price have been claimed as per consistent practice of the Authority.
 - viii. The normal value and dumping margin have been disclosed in range, as per the requirements of the Trade Notice. Since the normal value is based on the cost of production of the domestic industry, actual figures cannot be disclosed. The claim of confidentiality has been duly justified in the application.
 - ix. The number of employees were disclosed in trend, and the reasons for confidentiality were duly justified. There is no prejudice to the interested parties as none of their arguments rest on the number of employees.
 - x. The profit and loss, return on capital employed and selling price have been provided in indexed form, as required as per the Trade Notice 10/2018. The same are not required to be provided as trends.
 - xi. The claims of confidentiality over costing information have been justified and is consistent with the practice of the Authority. Wankai itself has claimed its appendices confidential.
 - xii. The names of raw materials have been provided in the application.
 - xiii. The annual reports for Indorama Yarns Private Limited and Reliance Industries Limited have been provided as links. The annual report of IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited contain business sensitive information of the producers which is not available in public. The confidentiality claimed in this regard has been justified in the application.

- xiv. Wankai has failed to make timely submissions that the non-confidential version does not have the same number of pages as the confidential version. In case the submissions were made timely, the domestic industry would have appropriately modified the non-confidential version. The comments raised at this stage are to delay the investigation only and Wankai has failed to show prejudice caused by different page numbers of the confidential and non-confidential version.
- xv. The domestic industry has inadvertently missed enclosed the Format-X and Format-Y in the non-confidential version of the application. Wankai has not shown prejudice caused to it by such omission and has raised such a claim at a belated stage. Had the argument been raised timely, the domestic industry would have resolved the same.
- xvi. It is confirmed that the non-confidential version is a replica of the confidential version, except for the certifications and page numbering.

3. Examination by the Authority

27. With regard to the confidentiality of the information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provides as follows:

“Rule 7. Confidential Information - (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

28. In view of the submissions made by the interested parties, vide communicated dated 27th January 2026, parties were directed to make appropriate disclosures or justify their confidentiality claims. Both the interested parties in the investigation have made further disclosure in response to the directions. Wankai has provided indexed figures for details of capacity, production, and domestic sales, exports and inventories from 2018 to 2024 in Part II of the exporter questionnaire response. The domestic industry has, in response to the directions, disclosed the evidence relied upon for adjustment to ocean freight. Further, the discrepancy with regard to the non-confidential version of the application not being a replica of the confidential version, with regard to the number of pages, the certificate of accuracy and the certificate from legal representative was resolved. The domestic industry has also confirmed that the names of Indian producers and the names of raw materials have already been disclosed. The domestic industry has provided further justification with regard to the confidentiality claimed, with regard to the remaining allegations of the opposing parties.
29. The interested parties have claimed that the source of import data used must be disclosed. The Authority notes that the applicants have identified the source as market intelligence. However, the Authority has not relied upon the information provided by the interested parties, at the stage of initiation, or in its determination. The Authority has relied upon DG Systems data for its determinations in the present review.
30. The interested parties have claimed that the production of individual producers considered for total Indian production have not been disclosed. In this regard, it is noted that the applicants have shown good cause justifying confidentiality. The applicants have explained that the disclosure of production of other domestic producers would result in disclosure of the production of the domestic industry. Instead, the production of the Indian industry as a whole has been disclosed. Further, the range of share in production by applicants and other domestic producers has been provided. The Authority notes that for part of the period, the domestic industry constituted only two producers. Further, even for the latter two years, two out of three producers constituting the domestic industry are related producers. Thus, if the actual figures are disclosed, it would essentially lead to

inter-se disclosure of confidential information within the constituents of the domestic industry. The interested parties have not shown why the information provided is insufficient to allow them to defend their interests, or would not result in disclosure of business sensitive information. In view of the same, the confidentiality claimed in this regard is accepted.

31. The Authority allows confidentiality claims of domestic industry on information such as selling price, number of employees, profit/losses, cash profit, return on investment, costing information with elements of costs, details of shut down and financial statements of one of the applicants, IVL Dhunseri Petrochemicals Industries Private Limited, which are not publicly available. Similarly, the normal value based on elements of cost of production of the domestic industry, and the dumping margin derived thereupon cannot be disclosed on actual basis. However, the Authority notes that the domestic industry has disclosed the information with regard to selling price, number of employees, profit/losses, cash profit, return on investment on indexed basis; and the normal value and dumping margin has been disclosed in range. The Authority considers that this information is confidential by nature and disclosure of such information and document on actual basis can have significant adverse effect on the party concerned and can give undue competitive advantage to competitors and parties with opposing interests. Further, the domestic industry and the other interested parties have not shown any prejudice caused to their interests, due to non-disclosure by the other parties.
32. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority accepts the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential and the same is considered appropriate.

F. MISCELLANEOUS

1. Views of other interested parties

33. The other interested party has submitted that the petition is deficient and lacks evidence required in the non-confidential version.

2. Views of the domestic industry

34. The domestic industry has responded that Wankai has failed to highlight any deficiency in the application. In any case, the review was initiated by the Authority after satisfying itself of the adequacy and accuracy of the information submitted.

3. Examination of the Authority

35. With regard to the contention that the present investigation has been initiated without sufficient evidence on record, the Authority notes that the applicant has provided a duly substantiated application claiming likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the absence of duties. At the time of initiation of investigation, the Authority prima facie satisfied itself of the need for initiation of sunset review investigation concerning present anti-dumping duties based on the evidence furnished by the domestic industry establishing likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the present duties are allowed to expire. Further, no evidence has been placed on record by the interested parties to displace the prima facie observations arrived at by the Authority at the stage of initiation.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

1. Views of other interested parties

36. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. China must not be considered as a non-market economy as the provisions of Article 15(a)(ii) of the Accession Protocol for China have expired. Normal value must be considered based on domestic prices and costs prevailing in China.

- ii. Even if China is treated as a non-market economy, no efforts have been made by the domestic industry to determine normal value based on alternative methods provided for under Para 7 of Annexure I of the Rules.
- iii. The domestic industry is required to give identify an appropriate market economy third country, and the other interested parties should be put to notice regarding the same.
- iv. Normal value cannot be determined based on price payable in India, in view of the decision in Shenyang Matsushita 2005 (181) ELT 320 (SC)
- v. Wankai has filed the response timely, as per deadline allowed by the Authority.
- vi. Wankai has made almost all its export sales to India directly and only a negligible quantity has been exported through the related trader/exporter, namely Wankai International. Wankai has not exported the subject goods through any unrelated trader/exporter as alleged.
- vii. Certain negligible quantities exported by Wankai International to India were earlier considered as exports to other countries, instead of export to India, due to an oversight at the end of Wankai personnel. This was on account of the recent incorporation of Wankai International in March 2023 and since the trader is located in Singapore.
- viii. The response of the related trader/exporter, Wankai International, was not filed in a manner warranting rejection.
- ix. The findings relied upon by the domestic industry of Pentaerythritol and Axle for Trailers are on different facts, and pertain to a situation where the primary exporter did not participate in time.
- x. Since Authority accepted the anti-absorption investigation after a delay of 7 months, the present delay of only 2 months in filing the response should be condoned.
- xi. The delay in filing response was neither intentional nor deliberate and that inclusion or exclusion of such negligible quantity has no material effect on the export prices.
- xii. Since the investigation is in progress and relevant facts emerge, no inference can be drawn from the response by Wankai International having been filed after hearing.
- xiii. The exports to India are negligible as compared to total exports by Wankai and non-disclosure is not intentional or deliberate. The unreported export transactions are negligible and do not vitiate determination, as held in past findings of Authority, such as in case of Caprolactam, Black Toner, Phenol, Polypropylene, and Vitrified Tiles.
- xiv. The duty applicable to Wankai shall be determined as per its dumping margin, and not whether the duty is low.
- xv. Determination of dumping margin is an exercise of reasonable approximation and not based on mathematical precision.
- xvi. The submissions of domestic industry show an attempt to block exports by Wankai by all means. By contrast, the object of anti-dumping investigation is to restore fair competition.
- xvii. Similar allegations regarding exports through unrelated traders were raised in the earlier anti-absorption investigation, and examined and rejected by the Authority. There is no justification for raising the same issues again in the present review.
- xviii. The Authority may conduct on-site verification of the data submitted by Wankai.
- xix. The domestic industry has not disclosed the source or complete details of the indirect imports. Thus, Wankai is prevented from making meaningful comments, and no adverse inference be drawn should be drawn unless the information is disclosed in accordance with principles of natural justice.
- xx. The domestic industry has provided only selective information regarding alleged exports through unrelated traders, without disclosing the source of such data or the corresponding prices. Since dumping determination is based on prices and not merely on volumes. In absence of disclosure of price information, the allegations of the domestic industry are unsubstantiated.

- xxi. The fact that the domestic industry has not disclosed prices implies that the prices of the alleged indirect exports are at par with or higher than the export price of Wankai.
- xxii. Wankai submits that it would not be in its interest to conceal exports through traders, as such conduct may result in denial of individual treatment and imposition of a higher or residual duty.
- xxiii. Since the issue was already identified in the anti-absorption investigation, it is illogical to suggest that Wankai would again engage in the alleged exports through traders, during the pendency of the current sunset review.
- xxiv. An investigation has already been initiated by the Directorate of Revenue Intelligence into the alleged imports through unrelated traders, which would reveal the factual position in due course.
- xxv. Wankai denies the allegation that an analysis of import volumes and duty applied would reveal that the predominant share of imports has been cleared based on the duty applicable to Wankai.
- xxvi. With regard to the reliance placed by the domestic industry on grade descriptions and sample data, Wankai submits that grade information is in the public domain and mere description of grades does not conclusively establish the identity of the manufacturer.
- xxvii. Wankai has no control over the information provided by third-party importers to Indian Customs, including in respect of certificates of origin or packaging details.
- xxviii. The photographic and videographic evidence, and the Certificates of Origin provided has not been shared with Wankai.
- xxix. Since the Certificate of Origin is not issued by Wankai, it cannot be held accountable for the information provided in it.
- xxx. Since responses covering 100% of exports to India have been provided, the requirement of Manual of Operating Practices has been complied with, and the cases relied upon by the domestic industry are not applicable.

2. Views of the domestic industry

37. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
- i. China PR should be considered a non-market economy. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) expired, and the provisions of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which permit China PR to be considered a non-market economy.
 - ii. The Authority has consistently considered China to be a non-market economy in all recent findings, post 2016.
 - iii. In view of the failure of foreign producers to demonstrate that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined as per Para 7.
 - iv. The interested parties have failed to show that domestic industry is required to propose an appropriate market economy third country. The other interested parties are equally free to propose.
 - v. The domestic industry has determined normal value based on information reasonably available to it. Information with regard to prices and costs in third countries was not available to it. Further, the product does not have a dedicated tariff code.
 - vi. The interested parties have failed to show that there was alternative information available, which the domestic industry could have provided.
 - vii. Reliance on the decision of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. V. Exide Industries is not appropriate, since it relates to determination of market economy status under Para 8 of the Anti-Dumping Rules.
 - viii. The individual duty quantum given to Wankai must be withdrawn. It has deliberately misrepresented facts leading to incomplete value chain not being available.

- ix. Response filed by Wankai is belated considering the 30-day deadline prescribed under the initiation notification.
- x. The response filed by Wankai International PTE Ltd. has been filed 68 days after the deadline. The information is delayed and must be disregarded, as done in the investigations into Pentaerythritol and Axle for Trailers.
- xi. The response filed by Wankai International PTE Ltd was not filed voluntarily and was filed only after the submissions made by the domestic industry during the oral hearing. Even after the response filed by Wankai International, the traders accounting for majority of exports have not filed a response. Thus, the information required for determination of dumping margin and injury margin is not available before the Authority.
- xii. Merely because Wankai International is a new entity, it does not imply that the exports by the entity can go unnoticed.
- xiii. Contrary to claim of the interested parties, determination of dumping margin is not an exercise of reasonable approximation. Such a statement is an attempt by the party to understate the gravity of its own omission. Further, such a statement implies that any producer can claim an individual duty rate by abiding to an extremely low standard of accuracy unsupported by verifiable evidence. This undermines the efforts made by the domestic producers and other interested parties to provide accurate and verifiable information to the Authority.
- xiv. Even though the domestic industry highlighted the fact of exports by Wankai International vide submissions dated 4th December 2025, the exporter did not furnish a response. Instead, Wankai continued to claim that it had only exported directly.
- xv. Since a related exporter did not file response timely, an individual duty rate cannot be conferred on Wankai. This is in line with position stated in the Manual of Operating Practices and the view taken in the recent preliminary findings in the case of Met Coke.
- xvi. Contrary to claims of Wankai, the response cannot be accepted even if a small volume is exported through the related exporter. As regards the findings relied upon by Wankai, the same relate to a situation of non-cooperation by unrelated exporters, and not related exporters.
- xvii. Only 36% of exports of Wankai products are direct exports. Remaining 66% of exports have been made by unrelated traders, which have not participated. Thus, response by Wankai must be rejected.
- xviii. The product descriptions of the imports not only mention the grade name of Wankai, but clearly identify Wankai as the manufacturer of the products.
- xix. The Customs authorities have recognised such imported products as having produced by Wankai and thereafter, accepted a lower anti-dumping duty.
- xx. The Customs Manual require the details of the manufacturer to be mandatorily provided on importation of goods, if the product attracts anti-dumping duty.
- xxi. The subject goods bear the name of the manufacturer on the packaging material.
- xxii. Such products have been imported at lower anti-dumping duty, after verification by Customs authorities that they have been produced by Wankai.
- xxiii. The Certificate of Origin for exports identifies the manufacturer, as seen from the sample Certificate of Origin provided as evidence on record. Thus, the Authority must call for Certificates of Origin for transactions exported by non-cooperative exporters, which have been cleared at lower duties applicable to Wankai.
- xxiv. The process of issuance of Certificate of Origin in China includes verification by Chinese Authorities, of records of manufacturer, including their capacity, production process, origin of raw material, finished products, etc. for place of origin. Further, the recent Measures for Certificate of Origin in China also mandate exporters and manufacturers to retain supporting materials proving the origin of export goods for three years from issuance of certificate.

- xxv. The established procedures and regulations in both countries mandate the details of manufacturers to be verified, demonstrating that the goods were produced by Wankai.
- xxvi. Wankai was well aware that the goods produced by it were being exported to India.
- xxvii. Even in the normal course of business, products are stuffed into containers on factory premises and moved to the port from the plant of the producer. Thus, it is not possible for Wankai to not know its exports to India.
- xxviii. Since Wankai is required to report all its exports to India, and it was aware that subject goods produced by it have been exported under certificate of origin, it should have made efforts to identify the country of import and adequately report the information to the Authority.
- xxix. Wankai had exported the subject goods through a related exporter as well, but failed to provide information in this regard till 2 months after the deadline.
- xxx. Since exports through unrelated exporters which have not been reported, form a significant share of total exports from Wankai, Wankai must not be considered as cooperative. This is consistent with settled practice of the Authority, as per the Manual of Operating Practices, and as seen in various findings, including Uncoated Copier Paper from Indonesia and Singapore, and New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps.

3. Examination by the Authority

38. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

39. The Authority notes that only Wankai New Materials Co. Ltd. (Wankai) has filed exporter's questionnaire response. The domestic industry contended that the response was filed after the deadline. However, the Authority notes that the response has been filed, within the extended time allowed, on 10th November 2025. Further, on 13th January 2026, which is beyond the deadline for filing responses, Wankai has furnished a response for its related trader, Wankai International Pte Ltd.

4. Determination of Normal value and Export Price

G.4.1. Normal value

40. Article 15 of the China's Accession Protocol to the WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

41. The domestic industry has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules. The applicants have claimed that the normal value should be determined on the basis of price payable in India.
42. The interested parties have claimed that normal value cannot be determined as per Para 7 for China, as the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired. It is noted that while such provisions have expired, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. Further, Wankai, the only participating producer, has not claimed market economy treatment. Based on the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I, its unfulfillment and the failure of the exporter to furnish a market economy questionnaire response, the Authority concludes that market economy treatment cannot not be granted in the present case.
43. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexure I of the Rules which state as follows.

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis,

including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

44. The other interested parties have stated that the normal value must be determined in accordance with the alternatives provided under Para 7. In this regard it has been claimed that the domestic industry has not made efforts to calculate normal value using alternative methods and that it is required to identify and notify other parties of an appropriate market economy third country for calculation of normal value.
45. It is noted that Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The domestic industry has claimed that it did not have access to alternative basis for determination of normal value, since information regarding prices and costs in other countries is confidential. It is noted that while the interested parties have claimed that the domestic industry should have provided alternative information, they have themselves not suggested any alternative means for determination of normal value. Further, the interested parties have not shown that alternative information was available that the domestic industry could have provided. Since all interested parties, including domestic industry, have not provided any information on record which would allow determination of normal value based on price or constructed value in a market economy third country, or price of exports from a third country to other countries, including India. Accordingly, the Authority has determined normal value based on the price payable in India, having regard to the cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

G.4.2. Export price

Export price for Wankai New Materials Co. Ltd.

46. In the response filed, Wankai New Materials Co. Ltd. (Wankai) claimed that it had only exported the product under consideration to India directly. The Authority issued it a supplemental questionnaire, asking for, inter alia, information regarding its channel of distribution. In response to the supplemental questionnaire dated 29th December 2025, Wankai maintained that it had only exported the product under consideration to India directly. However, thereafter, after oral hearing, and the was pointed out by the domestic industry, vide letter dated 13th January 2026, Wankai has furnished a response in respect of Wankai International Pte Ltd (Wankai International). Wankai has claimed that the personnel of Wankai, due to some confusion and by oversight, did not notice the negligible volume of export sales to Wankai International, especially since the trader is located in Singapore and was incorporated in March 2023 only.
47. The domestic industry vide letter dated 4th December 2025 highlighted that Wankai had failed to furnish a response in respect of its subsidiary, Wankai International Pte Ltd., which is engaged in exporting the subject goods produced by Wankai to India. Therefore, the domestic industry sought rejection of response filed by Wankai. Thereafter, in its written submissions, the domestic industry emphasized that the response filed by Wankai cannot be accepted, since traders accounting for almost 66% of the exports to India have not cooperated with the Authority. In support of their contention, the domestic industry has, inter alia, provided the following evidence, which has been considered by the Authority.
 - a. Import data showing descriptions of transactions specifically identifying Wankai as the manufacturer of the product under consideration. As emphasized by the domestic industry, the import descriptions do not merely bear the grade name, as claimed by Wankai, but specifically identify that Wankai was the manufacturer.

- b. Sample Certificates of Origin issued by China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), which falls under the Ministry of Commerce of China. The Authority notes that these Certificates show that Wankai was the manufacturer of the goods exported to India. However, the goods have been exported by exporters, not cooperating in the present investigation.
 - c. Indian Customs Manual, which shows that the Indian Customs verifies the manufacturer of the imported goods, where anti-dumping duty is applicable on such imports.
 - d. The Regulations (Measures) applicable in China governing the procedure for issuance of Certificates of Origin. These Measures provide that authorities may verify origin by “conducting on-site inspections of production equipment, processes, materials, packaging, marks, and other origin-related information”.
48. The Authority has also examined the anti-dumping duty paid on the imports into India from various exporting parties. It is noted that the subject goods imported into India are being cleared at the individual duty rate applicable to Wankai. The Authority has sought appropriate confirmation in this regard from the Indian Customs authorities. The Authority has also examined the DG Systems data. It has been noted that there are multiple transactions bearing the name of Wankai or grade name of Wankai during the period of investigation. In fact, out of 1,447 transactions during the period of investigation, 1,229 transactions bear the grade name of Wankai or specifically refer to Wankai or identify Wankai as the manufacture. It is noted that the volume of imports bearing the name or grade name of Wankai, but having been exported through non-cooperating exporters, constitute 65-75% of exports by Wankai.
49. Wankai has denied these allegations and insisted that it has only exported the subject goods directly, and through Wankai International. Further, Wankai claimed since the domestic industry did not disclose the source of import data used, and the Certificates of Origin, it was precluded from commenting on it. Wankai continues to insist that it does not have control over the use of its grade names by traders, or by parties seeking issuance of Certificates of Origin in its name. Wankai has heavily relied upon the previous anti-absorption investigation and the fact that a DRI investigation has been initiated into the imports. However, Wankai has not submitted any evidence to support its claim that it was unaware of these transactions. For instance, Wankai has not refuted the procedural requirements under the Indian Customs law, and under the Chinese Measures, both of which require that the manufacturer of the import transactions be identified. Wankai has also not shown that it made efforts to ascertain facts regarding the said transactions, in order to bring the correct facts before the Authority.
50. The Authority notes that Wankai has claimed that the transactions through unrelated parties did not pertain to its manufactured products in the present review. However, before the Customs authorities, the transactions have been presented as having been manufactured by Wankai. The Authority finds that Wankai and the traders cannot be allowed to take diametrically opposite position before two different authorities in India. Since at the stage of import, the goods were claimed to have been produced by Wankai, and the Indian Customs have cleared the goods after due verification, relying on Certificate of Origin or other documents, no reason has been shown for a different view to be taken in the present matter. If Wankai was allowed to take an opposite view in the present case, it would result in a situation where parties are able to take different views before different Indian authorities, based on the maximum benefit to itself.
51. The Authority particularly notes that issuance of Certificate of Origin requires identification of the source of the product, or manufacturer. Further, the records of the manufacturer may be verified to ensure that the goods being certified as originating in the exporting country have indeed been manufactured, and are not merely traded or transshipped. The regulations placed on record by the domestic industry shows that the issuing authorities in China may conduct on-site verification of the premises of the manufacturer. In any case, the Certificates of Origin have been issued by China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), which is under the Ministry of Commerce of China. Since the issuing Authority CCPIT has issued Certificate confirming that Wankai was the manufacturer of the exported product, the Authority does not find the contention of Wankai that it did not manufacture the goods persuasive. The Authority notes that it shall rely on the Certificates issued by the regulatory authorities in China in this regard, to confirm that Wankai manufactured goods have indeed been exported to India by other parties.
52. The Authority further traced the Certificates of Origin supplied by the domestic industry to the DG Systems. It is noted that Certificate No. *** was issued in respect of Invoice No. *** dated ***. The Authority notes that such invoice has been cleared under HS Code 39076190, vide Bill of Entry No. *** dated ***. The description

for the imported product reads as “****”. The Authority also examined the anti-dumping duty paid on such imported transaction and found that the anti-dumping duty applicable on Wankai has been paid at the stage of import. Likewise, the Certificate No. *** was issued in respect of Invoice No. *** dated ***. Such invoice was cleared under HS Code 39076990, vide Bill of Entry *** dated *** at the anti-dumping duty applicable on Wankai. the description of the imported product reads “*****”. This demonstrates that the goods imported under the Certificates of Origin issued in the name of Wankai have actually been imported into India, and have been cleared under the lower duty rate applicable to Wankai.

53. The Authority also notes that Wankai had initially denied exporting through any trader at all. However, once the fact of exports was highlighted in oral hearing, it furnished a response for the related trader, Wankai International. Wankai dismisses the delay claiming that it is an ongoing investigation, and relevant facts emerge as the investigation proceeds. However, the domestic industry had already highlighted the fact of exports through Wankai International vide letter dated 4th December 2025. The submissions filed by Wankai do not explain the reason it did not seek permission from Authority to furnish a response for Wankai International on perusing the submissions of the domestic industry. On the contrary, even in its reply to supplemental dated 29th December 2025, Wankai maintained that it had not exported to any third party. The additional delay of more than 2 months has not been justified by Wankai at any place. Further, even now, Wankai has not requested to be allowed to furnish a response at such belated stage, but has simply filed the response.
54. Wankai also claims that it does not have any incentive to conceal the exports through traders. It also claims that had it engaged in such exports through traders, it would have refrained from engaging in such exports subsequent to the issue being highlighted in the anti-absorption investigation. However, the Authority notes that the non-disclosure of the exports through traders allows Wankai to claim an individual duty rate, without ensuring that all exporters forming part of the channel of distribution cooperate to furnish the required information. Further, in the anti-absorption investigation, the Authority accepted the contention of Wankai that products imported under its grade name were not produced by Wankai. However, Wankai has not shown that it took any steps to ensure that the goods were no longer being exported to India through traders, under its name. Further, no inference can be drawn from the fact that exports through traders continue, since Wankai may have assumed that the Authority shall continue to take the same position as taken in the anti-absorption investigation.
55. The arguments of Wankai also heavily emphasize the fact that the domestic industry has not disclosed the prices of the alleged indirect exports, implying that the prices must be higher. However, the argument cannot be accepted, since the issue is not whether the margin should be higher or lower, but whether the value chain is complete.
56. As regards the DRI investigation, the Authority believes that the same is only at an investigation stage, and there is no reason to conclude that the DRI shall find that the goods imported were not produced by Wankai.
57. Therefore, in view of the foregoing, the Authority notes that Wankai has failed to provide adequate and accurate information before the Authority. The information furnished is incomplete in material respects, since specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporter, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. The consistent practice of the Authority requires that unrelated traders must cooperate in the investigation, failing which an individual duty shall not be allowed. In the present case, traders accounting for a significant share of the exports to India have not cooperated with the Authority. In view of the same, the Authority concludes that Wankai shall be treated as non-cooperative in the present investigation.

Export price for all producers/exporters in China PR

58. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Dumping margin

59. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject country is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Name of Producer	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
1	Any	***	809	***	***	20-30%

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**1. Views of other interested parties**

60. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:

- a. The imports from Wankai have increased due to the demand for its products.
- b. The domestic industry has not faced any injury due to the subject imports as the prices of the subject goods have remained unchanged, even though the prices of PTA and MEG have declined.
- c. The price undercutting is same as price underselling, implying selling price is equal or more than non-injurious price, showing no injury.
- d. The production, capacity and sales of the domestic industry have increased. The capacity utilization has declined, due to increase in capacity.
- e. The profitability of the domestic industry has declined due to increase in depreciation and interest.
- f. The detailed reasons for plant shut down have not been provided. It is understood that shutdowns by the domestic industry are unplanned and abnormal, thereby causing losses.

2. Views of the domestic industry

61. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

- a. The low duty applicable on Wankai has allowed it to continue to export significant volumes in India, equivalent to the volumes imposed in the period of investigation of the original investigation.
- b. Imposition of anti-dumping duty has been successful in preventing dumped imports from the subject country from causing injury to the domestic industry. However, there is a need to examine the likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry.
- c. Contrary to the submissions filed by the other interested parties, the domestic industry has not claimed injury in the present investigation. The domestic industry has provided information with regard to shut down faced and the same may be examined.
- d. As opposed to the submissions by the other interested parties, the prices of PTA and MEG have increased over the injury period, however, the selling price of the domestic industry has declined.
- e. Price underselling is much higher than the price undercutting in the present case. Thus, despite anti-dumping duty in force, the domestic industry has not been able to sell its product at the level of non-injurious price.
- f. The profitability of the domestic industry has not declined due to increase in depreciation and interest cost as the EBIDTA of the domestic industry has also declined.

3. Examination by the Authority

62. The Authority has examined the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury, causal link and likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in case of expiry of anti-dumping duty. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

63. The other interested parties have submitted that the losses to the domestic industry is due to unplanned shutdowns. The Authority notes that the domestic industry has not suffered losses in the period of

investigation. In any case, the Authority has examined the information regarding shut downs faced by the domestic industry, and does not find that there have been any abnormal shutdowns requiring adjustment to cost of production.

64. The Authority notes that in the present investigation the domestic industry has not claimed injury during the period of investigation due to imports of subject goods from the subject country. The domestic industry has submitted that there is a need for continuation of anti-dumping duty as there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of expiry of the present anti-dumping duty in force.

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

65. The Authority, for the purpose of the present investigation, has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	133	141
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	57	55
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	103	158
Imports from subject country	MT	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
Imports from other countries	MT	69,309	59,958	80,692	95,701
Demand including captive	MT	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748
Demand excluding captive	MT	12,23,372	14,75,654	17,47,017	19,21,578

66. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased year on year over the injury period. There has been an increase by 57% in the demand for the subject goods across the injury period.

b) Import Volumes from the subject country

67. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The import volumes from subject country during the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from subject country	MT	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
Imports from other countries	MT	69,309	59,958	80,692	95,701
Total Imports	MT	92,451	1,10,171	2,94,476	2,95,405
Indian production	MT	17,97,465	18,25,971	17,50,498	19,32,656
Indian consumption	MT	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748
Subject imports in relation to					

Indian Production	%	1.29%	2.75%	12.21%	10.33%
Consumption/Demand	%	1.89%	3.40%	12.24%	10.39%
Total imports	%	25.03%	45.58%	72.60%	67.60%

68. The Authority notes that:

- i. The volume of imports from the subject country has increased substantially over the injury period.
- ii. While the volume of imports has declined in the period of investigation as compared to the previous year, it is still 9 times the volume in 2020-21. It is also noted that the present period of investigation saw an increase in the quantum of duty applicable to the producer, Wankai, which may have resulted in the slight decline in imports. However, imports volumes continue to remain significant.
- iii. The domestic industry has also highlighted that the present import volumes are not materially lower than the import volumes in the original investigation period, which were at 2,42,638 MT.
- iv. Imports in relation to production and consumption in India have also increased significantly over the injury period, registering a slight decline in the period of investigation compared to the previous year.
- v. In a situation where the Indian industry already has sufficient capacity to cater to the Indian demand, the subject imports continue to account for more than 10% of the consumption.
- vi. While the subject imports accounted for 24% of the total imports into India in 2020-21, the share of subject imports has increased, and they account for majority of the share in total imports.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

69. With regard to the price effect of the imports from the subject country, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price undercutting

70. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from subject country. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	84,473
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	0-10%

71. The Authority notes that the subject imports are priced below the selling price of the domestic industry. Since the anti-dumping duty is in force at present, it is unlikely that such price difference created a strain on the prices of the domestic industry, since the duty-inclusive price was higher than the price of the domestic industry. However, the imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the market in the event of cessation of anti-dumping duty.

b) Price suppression/depression

72. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	107	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	93	93
Landed price	₹/MT	84,830	88,189	85,247	84,473
Trend	Indexed	100	104	100	100

73. The Authority notes that while the cost of sales of the domestic industry has increased, the selling price has declined over the injury period. The domestic industry has not been able to price its product based on its cost. This is a result of the increase in imports at lower prices over the injury period. Therefore, the imports have depressed the prices of the domestic industry, and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

H.3.3. Economic parameters of the domestic industry

74. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

75. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	115	118
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	96	102
Capacity utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	84	86
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	133	141

Export sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	45	45
Captive consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	57	55

76. The Authority notes that the installed capacity, production and domestic sales of the domestic industry have increased over the injury period. Further, while the capacity utilization has declined over the injury period, the domestic industry is operating at a relatively high capacity utilization.

b) Market share

77. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	93	90
Other Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	72	100
Subject imports	%	2%	3%	12%	10%
Other imports	%	6%	4%	5%	5%

78. The Authority notes that the market share of the domestic industry has declined over the injury period. By contrast, the subject imports have gained market share over the injury period. During the period of investigation, the market share of subject imports has declined, while that of Indian industry has increased. However, on an overall basis, the Indian industry has lost market share to the subject imports over the injury period.

c) Inventories

79. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	97	105

80. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased slightly over the injury period, but they have remained more or less stable throughout the injury period.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

81. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	107	105
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	93	93
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	56	-0	9
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	70	-1	13
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	72	7	19
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	58	9	17

82. The Authority notes that:

- i. The profitability of the domestic industry declined till 2022-23 and improved thereafter in the period of investigation. The domestic industry incurred losses in 2022-23. The decline in profitability was due to absorption of anti-dumping duty by Wankai. The profitability of the domestic industry has improved post imposition of higher quantum of anti-dumping duty on imports from Wankai as a result of anti-absorption investigation.
- ii. On an overall basis, the profitability of the domestic industry has declined over the injury period.
- iii. The cash profits and return on capital employed of the domestic industry has followed the same trend. The cash profit and return on capital employed declined till 2022-23 and increased thereafter. However, both cash profit and return on capital employed have remained lower than that in 2020-21.
- iv. While the profitability of the domestic industry has increased as compared to the previous year, the situation of the domestic industry is fragile.

83. The other interested parties have submitted that the profitability of the domestic industry has declined due to increase in interest and depreciation cost. The Authority notes that the decline in profitability is not on account of interest and depreciation cost as the EBIDTA, which does not include the impact of interest and depreciation, of the domestic industry has declined.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
EBIDTA	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	63	14	21
EBIDTA	₹ lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	19	30

e) Employment, productivity and wages

84. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	102	95
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	98	102
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	98	96	108
Wages	₹ Lakhs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	115	99

85. The Authority notes that the number of employees as well as wages of the domestic industry have declined over the injury period. The productivity of the domestic industry has, however, increased with the increase in production.

f) Growth

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	%	-	-	15%	3%
Production	%	-	0%	-4%	6%
Domestic sales	%	-	23%	8%	6%
Profit / (loss) per unit	%	-	-44%	-101%	2,021%
Cash profits	%	-	-28%	-91%	185%
Return on capital employed	%	-	-24%	-28%	5%

86. The Authority notes the domestic industry has increased its installed capacity in 2022-23 and the period of investigation. While the production of the domestic industry decline in 2022-23, it has increased in the period of investigation. The sales of the domestic industry have increased year on year in the injury period. The profitability parameters of the domestic industry witnessed a decline in 2021-22 and 2022-23 due to absorption of anti-dumping duty on Wankai. However, the same have recovered slightly in the period of investigation.

g) Factors affecting prices

87. During the present period of investigation, the Authority notes that while the landed price is below the selling price of the domestic industry; the duty-inclusive price is above the price of the domestic industry. Further, the domestic industry has witnessed an improvement in its profitability. The sales volumes of the domestic industry have also improved. Therefore, the imports have not impacted the prices of the domestic industry during the period of investigation.

h) The magnitude of dumping

88. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject country even after imposition of anti-dumping duty. The dumping margin is positive and significant.

i) Ability to raise capital investments

89. The Authority notes that the profitability of the domestic industry declined significantly in 2022-23 and has recovered slightly in the period of investigation. Since the domestic industry remains in a fragile position, the ability of the domestic industry to raise capital investment may be impacted in absence of duty.

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

1. Views of other interested parties

90. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

a. There is no likelihood of dumping and injury and that of increased imports by Wankai.

b. Wankai has not engaged in dumping that caused injury to the domestic industry.

- c. Trade remedial measures used by other countries, will not close those countries for China PR as exports to such countries are regular.
- d. There is no basis to assume that any excess capacity will be exported to India in case of cessation of duties.
- e. India is not a price attractive market, as Wankai is getting higher prices in other countries, which may be verified by the information provided on record.
- f. If no duty is applicable to Wankai, it would export the subject goods, as per demand thereof.

2. Views of the domestic industry

91. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- a. In the absence of injury to the domestic industry, the Authority is required to examine the likely effect of expiry of duty, as held by CESTAT in P.T. Asahimas Chemicals Vs. Designated Authority.
 - b. Despite the duties in force, the situation of the domestic industry remains fragile.
 - c. The producers and exporters from China PR have continued dumping in the Indian market even after imposition of anti-dumping duty. The dumping margin is positive and significant.
 - d. The Chinese producers are habitual of unfair trade practices and are not just dumping in India but also other markets.
 - e. The imports into India increased, even after imposition of anti-dumping duty, due to low quantum of anti-dumping duty imposed on Wankai. The imports are likely to increase multi-fold in event of cessation of anti-dumping duty.
 - f. The imports from China have continued to increase even subsequent to the period of investigation, in April-December 2025.
 - g. As opposed to the submissions of the interested parties, as per the response filed by Wankai, the export sales to India have increased by 800%, while the export price to India has declined. This shows that in the absence of anti-dumping duty, the imports are likely to increase.
 - h. Considering that Wankai engaged in absorption of duties, the claim of absence of likelihood of dumping cannot be accepted.
 - i. The market share of subject imports has increased while that of the Indian industry has declined over the injury period.
 - j. The Chinese producers have set up capacities in excess of domestic demands. The excess capacities in India are 6 times the demand in India. Such overcapacities have the potential to wipe out the Indian industry.
 - k. Since the imposition of duties in 2020, the capacities in the subject country have increased.
 - l. Contrary to the submissions of the other interested parties, the Indian Authority as well as investigating authorities globally have held that presence of excess capacities in the subject country indicates likelihood of increased imports from the subject country. Further, the Manual of Operating Practices requires examination of excess capacities for determination of likelihood.
 - m. In case of excess capacities, the producers will be willing to sell the product in case, it is able to recover marginal costs as the same will offset the fixed costs.
 - n. Wankai has failed to explain why the idle capacities would not be used to increase exports to India.
 - o. Despite overcapacities in the subject country, the Chinese producers are expanding further capacities. Cessation of anti-dumping duty is likely to lead to imports of huge volume of subject goods.
 - p. Chinese producers have idle capacities which are more than the demand in India.
 - q. The producers from the subject country trade remedial measures in a number of jurisdictions due to unfair trade practices.

- r. The experience of jurisdictions such as European Union and USA, where in anti-dumping duty has been imposed has shown that the imposition of measures has been critical to curb the flow of imports.
- s. The imports from China PR have increased substantially in the other jurisdictions, such as Argentina and European Union, wherein the duties have been allowed to lapse. The European Union re-imposed anti-dumping duty after the anti-dumping duty were originally expired due to significant increase in imports from China PR.
- t. India was the largest market for the Chinese producers prior to imposition of anti-dumping duty.
- u. European Union was the largest market for the Chinese producers in the recent period. However, due to initiation of anti-dumping investigation, the exports from China PR to European Union have declined and such exports have been diverted to the Indian market. Expiry of anti-dumping duty will open floodgates for imports from China PR.
- v. There is no alternate market that can absorb excess capacities set up in China PR. The largest consumers of the product include USA, EU and Vietnam. While US and EU have imposed trade remedial measures and tariffs on imports from China PR, Vietnam has surplus domestic capacities.
- w. Contrary to claim of the interested parties, the exports from China to other jurisdictions that imposed measures, such as Argentina, Brazil, Canada, European Union, Japan, Malaysia, SACU and USA have declined.
- x. The Authority has concluded in multiple investigations that imports declined due to imposition of duty. Considering the same, it cannot be considered that exports to third countries cannot decline, pursuant to imposition of duties in such countries.
- y. 91% of exports from China PR to third countries are at dumped and injurious prices.
- z. India is a price attractive market as 61% of exports from China PR to third countries are priced lower than the price of exports to India. Such exports are much more than the demand in India. The Chinese exporters are likely to divert these exports to the Indian market in case of cessation of anti-dumping duty.
- aa. The import price from China PR has declined over the period of investigation. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and are priced below the cost of sales of the domestic industry. The domestic industry has remained profitable only due to anti-dumping duty in force.
- bb. The domestic industry has not been able to increase its price commensurate with its costs as the subject imports have entered India at prices below the cost of sales of the domestic industry. The increase in duties pursuant to anti-absorption investigation has allowed slight respite to the domestic industry, however, it remains in a fragile state.
- cc. In case of expiry of anti-dumping duty, the domestic industry will be forced to reduce prices to the level of import price. In such a case, the domestic industry is likely to suffer losses.
- dd. In case, post cessation of anti-dumping duty, the domestic industry maintains its prices, the users are not likely to purchase from them which will lead to loss of complete fixed cost by the domestic industry.
- ee. The viability of new investment in India is at risk, in case of cessation of anti-dumping duty. A number of producers have made investments to set up capacities in India.
- ff. The determination of likelihood of dumping and injury is required to be made for the country as a whole, and not individual producer.

3. Examination by the Authority

92. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods from the subject country. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires an examination of whether the duty imposed has served the intended purpose.
93. The Authority notes that the foreign producer has made submissions with regard to likelihood based on its own data, however, the likelihood for continuation or recurrence of dumping and consequent injury is to be

evaluated for the subject country as a whole and not with respect of individual producer / exporter. This is particularly since the producer in question, Wankai, has been treated as non-cooperative in the present review.

94. The Authority has undertaken a detailed analysis regarding the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry as given below. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

a. Continued dumping despite existence of anti-dumping duty

95. The Authority notes that the dumping margin quantified in the present investigation is positive and significant. Hence, the dumping has continued in the Indian market, even after imposition of anti-dumping duty. The Authority also notes that the major exporter in the present case, Wankai, had previously absorbed anti-dumping duty. In view of the same, the Authority finds that dumping is likely to continue in the event of expiry of duty.

b. Increase in imports despite anti-dumping duty in force

96. The applicant has claimed that the volume of imports from the subject country has increased even after imposition of anti-dumping duty. The Authority notes that the subject imports have increased by 763% over the injury period, while the demand has increased only by 57%. Thus, the subject imports continue to increase and capture the potential increase in demand in the Indian market.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Subject imports	MT	23,142	50,213	2,13,784	1,99,704
Demand	MT	12,23,681	14,75,878	17,47,192	19,21,748

97. The Authority further notes that the primary increase in imports is from Wankai. The domestic industry has submitted that the imports have increased primarily because of lower duties imposed on imports from Wankai. The Authority, in a recent anti-absorption investigation, held that Wankai has absorbed the anti-dumping duty imposed on imports from the said producer and has accordingly, increased the quantum of duty on Wankai. The Authority notes that even during the period of investigation, a significant share of imports are being cleared at the individual duty rate applicable on applicable to Wankai. Thus, the Authority notes that in a situation where lower anti-dumping duty applicable to one producer led to increase in imports into India, there is likelihood of increase in imports from the subject country in case of expiry of the anti-dumping duty in force.

c. Significant capacities held by producers in the subject country

98. The domestic industry has provided information regarding capacities, production and demand in subject country and other countries based on Wood Mackenzie Report. The other interested parties have not placed any contrary evidence on record, regarding the production and capacities in China.

99. It is noted that while the demand in China PR is to the tune of 8,166 KT, the capacity in China PR is 19,069 KT. Thus, the Chinese producers hold an excess capacity of 10,903 KT per annum. Out of the global excess capacity of 12,568 KT, China accounts for 87%. As compared to the excess capacities in China, the demand in India is only 1,922 KT. Thus, the excess capacity in China PR is almost 6 times the demand in India

Particulars	Unit	Global	China PR
Capacity	KT	41,243	19,069
Demand	KT	28,675	8,166
Capacity in excess of demand	KT	12,568	10,903

Source: Wood Mackenzie Report

100. The Authority further notes that while there are excess capacities in the subject country, the producers in the subject country are operating at underutilized capacities. Such idle capacities are much more than the complete demand in India. Such idle capacities are likely to be used for exports to India, in the absence of duty.

Particulars	Unit	China PR
Capacity	KT	19,069
Production	KT	13,748
Capacity utilization	%	72%
Idle capacity	KT	5,321
Demand in India	KT	1,922
Idle capacities in relation to demand	%	277%

Source: Wood Mackenzie Report

101. The interested parties questioned that merely because Chinese producers have idle capacity, it does not mean that the capacities would be utilized for exports to India. The Authority does not find merit in such argument. Data submitted by all interested parties in the present case show that the plants for the subject goods are capable of operating at almost full capacity utilization. Any business would always strive to maximize its capacity utilization. In case there is a market available to dispose of a surplus volume, every prudent business would endeavour to market the product, since the additional sales would allow it to absorb the burden of the fixed cost. There is no reasonable basis to assume that a business having idle disposable capacity would continue to hold it idle, instead of marketing the product to all available markets.

d. Capacity expansion in China PR

102. The domestic industry has provided evidence that the producers in China PR are undertaking further capacity expansion. The Authority notes that the Chinese producers already have excess capacities which are much more than the domestic demand in China PR. Even then, the producers are planning capacity expansion. Such increase in capacities is meant for the export markets. These are likely to be used for exports to India, in the event the present anti-dumping duty are allowed to expire.

Particulars	Unit	2024	2025	2026	2027	2028
Capacity	KT	19,069	21,839	22,960	23,411	24,161

Source: Wood Mackenzie Report

e. Third country dumping

103. The domestic industry has claimed that significant exports to third countries from China PR is at dumped and injurious prices.

Particulars	Unit	Volume
Exports at injurious prices	MT	51,60,926
Total exports from China PR	MT	69,89,698
Share of injurious exports	%	74%
Exports at dumped prices	MT	68,75,962
Share of dumped exports	%	98%
Injury margin	%	0-10%
Dumping margin	%	15-25%

Source: Trade map data

104. The Authority notes that as per the information on record, the Chinese exporters have exported 74% of the subject goods at prices below the non-injurious price of the domestic industry, and at dumped price. Thus, the producers in China are not only dumping in India, but are also dumping in third countries.

f. Measures imposed by other countries and import behaviour in such countries

105. The third country dumping is further corroborated by the fact that the Chinese producers face trade remedial measures in a number of jurisdictions including Argentina, Brazil, Canada, the European Union, Japan, Malaysia, South Korea, South African Customs Union, Türkiye and the United States of America. This shows that the producers in the subject country have engaged in dumping in multiple jurisdictions.

Country Imposing Measure	Type of Measure Imposed	Date and other remarks	Remarks
Argentina	Anti-dumping Duty	24-10-2013	Duty imposed
United States	Anti-dumping Duty	06-05-2016	Original anti-dumping duty
		13-04-2022	Continuation of anti-dumping duty
United States	Countervailing Duty	06-05-2016	Original CVD duty
		11-04-2022	Continuation of CVD duty
Brazil	Anti-dumping duty	29-11-2016	Original anti-dumping duty
		25-11-2022	Continuation of anti-dumping duty
Japan	Anti-dumping Duty	28-12-2017	Original anti-dumping duty
		31-01-2023	Continuation of anti-dumping duty
South Korea	Anti-dumping Duty	30-07-2024	Provisional duty
		30-11-2024	Definitive duty
South African Customs Union (SACU)	Anti-dumping duty	19-05-2020	Imposition of duties
Canada	Anti-dumping duty	17-06-2025	Original anti-dumping duty
	Countervailing duty	17-06-2025	Original CVD duty
Turkey	Safeguard measures	13-12-2020	Original measures
		13-12-2023	Continuation of measures till December 2026
Malaysia	Anti-dumping Duty	07-05-2025	Duties imposed
EU	Anti-dumping Duty	13-08-2004	Duties imposed till November 2015
EU	Anti-dumping Duty	28-11-2023	Provisional duty imposed

g. Loss of largest markets for the Chinese producers, and absence of alternative markets

106. The information placed on record shows that India was the biggest market for the Chinese producers prior to imposition of anti-dumping duty in March 2021. However, due to imposition of anti-dumping duty in India, the exports were diverted to European Union which became the largest market. The European Union has also imposed anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country in 2022-2023. Post such imposition of duties in the European Union, the imports into European Union declined. Therefore, the foreign

producers are faced with the loss of their largest markets. The domestic industry has highlighted that pursuant to imposition of measures in European Union, there has been an increase in imports into India again.

107. It is further noted that European Union, India, United States of America and Vietnam are the largest consumers of the product under consideration. The European Union and the USA have already imposed anti-dumping duty on imports of subject goods from China PR. Pursuant to such duties, and potentially the tariffs imposed in USA, the exports to these countries have significantly declined. The domestic industry claimed that while Vietnam is another large consumer of the product, Vietnam already has capacity more than the demand in the country. The Authority notes that the total demand in Vietnam is only 580 KT, compared to the demand of 1,922 KT in India. Since anti-dumping duty is imposed in USA and European Union, India shall become a more lucrative market, in the absence of duty.
108. Wankai has submitted that it has not engaged in dumping of the product under consideration in India and there is no likelihood of increase in imports from the said exporter. The Authority notes that the likelihood analysis has to be conducted for country as a whole and not separately for each producer / exporter. In any case, even as per the limited extent of volume reported as exports to India by Wankai, the export sales by Wankai have increased to India while the exports to third countries have declined.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Exports to India	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	1,602	1,217	900
Exports to third countries	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	80	93	88

h. Trend of exports to third countries, subsequent to imposition or expiry of duty.

109. The domestic industry has highlighted that as a result of the imposition of duties, the Chinese producers have lost market in several jurisdictions such as Brazil, Canada, European Union, Japan, Malaysia, SACU and USA have declined.
110. Further, the trends highlighted by the domestic industry reveal that post expiry of anti-dumping duty on imports of the subject goods from China PR into Argentina in 2023, the imports into Argentina increased from 1,419 MT to 70,000 MT. Similarly, the anti-dumping duty imposed by European Union on imports from China PR lapsed in 2015. The imports increased from a level of 75,000 MT to 2,00,000 MT and gradually to 5,00,000 MT. The European Union was forced to initiate anti-dumping investigation and impose anti-dumping duty on such imports once again in November 2023. Pursuant to such initiation of investigation, the imports have declined again. The European Commission has noted as follows in its preliminary findings, with regard to the impact of initiation of investigation on the imports into the European Union.

*“(68) The Commission thus found that the trend of increasing volumes had stopped following the second quarter of 2023. However, when assessing the significance and the reliability of these figures for confirming or invalidating the threat of injury analysis, the **Commission also observed that the decrease in the average monthly Chinese import volumes from July to September 2023 (compared to 2022) could be attributed to the chilling effect of (i) the initiation of the current proceeding on 30 March 2023 with a distinct possibility of adoption of provisional measures within the period of at most 8 months and (ii) the request for registration by the complainant filed on 31 May 2023.** In other words, the post-investigation period data up until June 2023, right after the request for registration of imports was filed by the complainant, confirms the significant rate of increase of dumped imports observed during the period considered. The significant decrease in volume of imports from June 2023 does not negate this conclusion as it is a likely effect of the request for registration of imports with the view of retroactive application of the duties. Such request, especially considering that at that point there was no indication as to the level of potential duties that may be imposed, had an inevitable chilling effect on the volume of imports. It follows that the significant rate of increase of imports from 2021 onwards, as*

confirmed by the post-investigation period data, indicates the likelihood of substantially increased imports within the meaning of Article 3(9)(a) of the basic Regulation.”

111. Lastly, the domestic industry has relied on the trend of exports into USA shows that the volume of exports declined from 1,50,058 MT prior to initiation of investigation, to 480 MT post imposition of duty. The aforesaid trends reveal that the Chinese producers tend to reduce exports when duties are in force, but the exports substantially increase when the duties have lapsed.

i. Price attractiveness of India as a market

112. The domestic industry has submitted that the Indian market is an attractive market for exporters from the subject country as the prices in the Indian market are more lucrative than price of exports from China PR to rest of the world. It is noted that 61% of the exports from China PR are at prices lower than the price of exports to India. Such volume is much more than the demand in India. In case of expiry of anti-dumping duty, the Chinese producers will be able to fetch better prices from the Indian market and are likely to divert exports to India.

Particulars	Unit	Volume
Volumes exported at lower prices	MT	42,45,613
Total exports from China PR	MT	69,89,698
Share of lower priced exports in total exports	%	61%

Source: Trade map data

113. The Authority further notes that such lower priced exports to third countries are being made at an average FOB price of USD 846 per MT, which translates into a landed price of approximately ₹ 81,540 per MT. Considering that the foreign producers are willing to supply the subject goods at such prices to other countries, there is no reason that they are likely to be unwilling to supply the subject goods to India to dispose of their excess capacity, in the absence of duty. If imports enter the market at such lower prices, it would wreak havoc on the conditions of competition in the country.

j. Likely price suppression or depression

114. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and entering the Indian market below the cost of sales of the domestic industry even when the anti-dumping duty is in force. In the absence of anti-dumping duty, the imports are likely to enter the Indian market at prices even lower than the current prices. In the absence of anti-dumping duty, the subject imports are likely to suppress and depress the prices of the domestic industry even further.
115. In this regard, the Authority also notes that the domestic industry faced price suppression and depression during 2023-24, when the duty imposed was being absorbed by Wankai. This further demonstrates that, in the absence of duty, the imports are likely to depress the prices of the domestic industry, and prevent price increases, which otherwise would have occurred.

k. Fragile situation of the domestic industry

116. It is noted that the domestic industry faced a steep deterioration in profitability, into a situation of losses during 2023-24. The same was a result of cheaper imports entering the Indian market, at lower prices. The domestic industry lost market share to the subject imports during this period. The domestic industry was forced to sell the subject goods at losses, and its cash profits and return on capital employed had also declined significantly. The Authority further notes that the domestic industry has been able to recover in the period of investigation as compared to performance in the previous year due to the absorption being addressed pursuant to anti-absorption investigation. It is also noted that the prices of the domestic industry have declined, disproportionate to the while the cost of raw material has increased. However, the domestic industry remains in a fragile state. Further, the decline in performance experienced during 2023-24 shows that the domestic industry is likely to suffer injury due to dumping of the subject goods in the absence of anti-dumping duty.

l. The domestic industry is likely to suffer injury in the absence of anti-dumping duty

117. The Authority notes that since the landed price of the subject imports is below the cost of sales of the domestic industry. In the absence of duty, assuming the domestic industry is forced to compete with the import prices, the domestic industry is likely to suffer losses.

Particulars	Units	POI
Cost of sales	₹/MT	***
Selling price	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	***
Profits at landed price	₹/MT	(***)
Profits at landed price	₹ Lakhs	(***)

4. Conclusion on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry

118. Based on the foregoing, it is summarized as below.

- a. Dumping has continued in India despite anti-dumping duty in force, demonstrating likelihood of continuation of dumping.
- b. The subject imports have increased despite the duties in force, and at a rate more than the increase in demand.
- c. The increase in imports is on account of a significant imports of Wankai produced goods. The increase in imports due to low duty rate shows likelihood of increase in imports from the subject country in the absence of anti-dumping duty.
- d. The producers in the subject country hold capacities more than the domestic demand in China PR, and have under utilized capacities. Such capacities are likely to be used for exports to India in the event of cessation of anti-dumping duty. Such idle capacities are more than the demand in India.
- e. While there are excess capacities in China PR, the producers in the subject country are undertaking further capacity expansion.
- f. The exporters from the subject country are dumping the product under consideration even in third countries.
- g. As a result, several jurisdictions have imposed trade remedial measures on the exports from China.
- h. While European Union became the largest market for China post imposition of duty on India, the exports to European Union have declined once it initiated anti-dumping investigation.
- i. In terms of major consuming markets, the Chinese producers face trade remedial measures in USA and European Union. While Vietnam does not have measures against imports from China, it has surplus capacities itself.
- j. The producers / exporters in the subject country have lost market in other export markets as well due to the imposition of duties.
- k. The trend of exports from China to European Union and Argentina shows that, once duty expires, the exports from China increase again.
- l. 61% exports from China PR are at prices below the Indian prices. In case of expiry of anti-dumping duty, such exports are likely to be diverted to the Indian market.
- m. The subject imports have entered the Indian market at prices below the cost of sales of the domestic industry, even though anti-dumping duty is in force.
- n. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and are likely to suppress or depress its prices in the event of expiry of duty.

- o. The domestic industry suffered deterioration in performance in 2022-23, due to absorption of duty by Wankai. Though its performance improved during the period of investigation, its situation remains fragile.
- p. In the absence of anti-dumping duty, the domestic industry is likely to be forced to match import price and incur losses.

119. In view of the above, the Authority concludes that there is likelihood of continuation of dumping and consequent injury, in the event of expiry of duty.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

120. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
121. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

Injury Margin Table

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
1	Any	***	989	***	***	0-10%

K. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CASUAL LINK

122. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors that may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. Though the Authority has not found injury to the domestic industry in the present period of investigation, it has been examined below whether factors other than dumped imports are likely to contribute to the injury to the domestic industry:

a. Volume and value of imports from third countries

123. It is noted that apart from the subject country, significant imports of the subject goods are from Bangladesh, Thailand and Vietnam. However, the price of imports from Bangladesh and Vietnam is above the price of imports from the subject country. While the price of imports from Thailand was lower than price of imports from China PR in the period of investigation, the profitability of the domestic industry has improved in this period. Therefore, the likely injury to the domestic industry cannot be attributed to imports from third countries.

b. Contraction in demand

124. The demand for the subject goods has steadily increased over the injury period and was the highest during the period of investigation. The domestic industry is not likely to suffer injury due to possible contraction in demand.

c. Pattern of consumption

125. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which is likely to cause injury to the domestic industry.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

126. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which are likely to cause of injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

127. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry is likely to suffer injury.

f. Productivity

128. The total production of the domestic industry including production has increased over the injury period. Thus, the likelihood of injury cannot be due to decline in productivity.

g. Export performance of the domestic industry

129. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, export performance of the domestic industry cannot be a cause for the likely injury determined.

h. Performance of other products

130. The likely injury cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**1. Submissions by other interested parties**

131. The other interested parties have not made any submissions with regard to the Indian industry's interest, barring that the cost of end user would increase, in case the duties are continued in this investigation.

2. Submissions by the domestic industry

132. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
- ii. The fact that the users and consumers of the product have not participated in the present investigation shows that there is no adverse impact of continuation of anti-dumping duty.
- iii. There is no evidence of adverse impact of anti-dumping duty on the downstream industry as the demand for the product under consideration has increased and the price of downstream product has not increased due to imposition of anti-dumping duty.
- iv. The capacity of the Indian industry is enough to cater to the entirety of demand in India.
- v. While the capacity in India is enough to cater to the entire demand, the reliance on cheap imports has led to foreign exchange outflow from India.
- vi. The Indian industry has the capacity to export significant quantities. Continuation of anti-dumping duty will help Indian industry to remain competitive in the Indian as well as foreign markets.
- vii. The Indian industry has made significant investments for new producers to set up manufacturing facilities post imposition of anti-dumping duty. Continuation of duties is essential to maintain viability of such investments.
- viii. Continuation of anti-dumping duty will not impact the availability of the product in India as subject goods can be imported from various other sources.

- ix. The impact of continuation of anti-dumping duty is negligible on the downstream users.
- x. The cost of the subject goods is not a major price driver of the ultimate downstream product.
- xi. In case of expiry of anti-dumping duty, the viability of the upstream industry, that is industry manufacturing PTA and MEG will be substantially impacted.
- xii. India is a more lucrative market and the producers from China PR are likely to divert exports to India in case of expiry of the anti-dumping duty.
- xiii. Producers in China PR receive a number of benefits from the Governments of the subject country. Such producers have unfair advantage over the Indian industry.

3. Examination by the Authority

133. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition or continuation of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject country arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the continuation of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
134. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
135. The Authority notes that none of the users or importers of the product under consideration have participated in the present investigation and opposed continuation of anti-dumping duty. The non-participation of users demonstrates that the users are not adversely affected by the imposition of the duties.
136. Further, the present investigation is a sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of subject goods from the subject country. There is no information on record which shows adverse impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry.
137. On the contrary, the information brought on record shows that post imposition of anti-dumping duty, new producers including Indorama Yarns Private Limited, Sumilon Industries, Jindal Polyfilms Limited, Uflex Limited and Sparsh Industries have set up capacities in India. The Indian industry has invested more than ₹ 1,500 crores for production of the subject goods. Thus, the imposition of duty has been imperative in encouraging investment in India.
138. The applicants have submitted that there have been material investments for PTA and MEG, which are major raw material for the product under consideration, by Indian Oil Corporation Limited, MCPI Private Limited and Reliance Industries Limited. Such capacities are viable in India due to healthy demand of the downstream industry, including PET Resins.
139. The Authority notes that the Indian industry has capacity to cater to entirety of demand in India. Even if assuming that the imports from China cease, the continuation of anti-dumping duty will not lead to shortage of the product in the Indian market.

Particulars	POI
Demand in India	19,19,456
Total Capacities in India	24,05,500
Gap	(4,86,044)

140. Further, the applicants have placed information on record to show that the subject goods can be imported from various countries including Brazil, Taiwan, Vietnam, Oman, Türkiye and South Korea which have capacities more than their domestic demand.

Country	Capacity (KT)	Demand (KT)
Brazil	1,010	619
Taiwan	1,457	264
Vietnam	1,230	580
Oman	850	252
Türkiye	1110	476
South Korea	742	504

141. In addition to the aforesaid countries, the Authority notes that the subject goods have also been imported into India in significant quantities from Bangladesh, Taiwan, and Thailand during the injury period. Therefore, even though the imports from subject country may continue even after the continuation of duties, the subject goods can also be imported from such sources.
142. The applicants have also highlighted that the capacity of the domestic industry is enough to cater to the entirety of Indian demand as well as export to foreign countries. Since the subject imports are priced below the cost of sales of the domestic industry, continuation of anti-dumping duty will help remain the domestic industry viable in the Indian market and contribute to export potential of the Indian industry.
143. It is further noted that while the interested parties have claimed that the cost of end users would increase, no information in this regard has been provided. As per information and evidence placed on record, the impact of continuation of anti-dumping duty is minimal. The information on record shows that the impact of continuation of anti-dumping duty will only be ₹0.08 per 1 litre bottle. It is further noted that the price of subject goods is not the cost driver of the price of the downstream product as it entails a negligible share of the price of the final product. The major cost element is the liquid which is being packed in the downstream product.

Particulars	Unit	Rate
Price of 1 litre water bottle	₹	20-100
Weight of bottle	Gm	22.5
Consumption Norm	Gm/Gm	1.02
Consumption of PET in bottle	Gm	22.95
Anti-dumping duty	₹/gm	0.0035
Impact on price of bottle, if any	₹	0.08

M. POST-DISCLOSURE COMMENTS

144. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration to all interested parties on 24th February 2026 before arriving at the final determination. The interested parties were given the opportunity to offer comments latest by 3rd March 2026. Wankai sought additional time for filing comments. The Authority granted time until 9th March, 2026 to Wankai to offer comments, considering the time limits for completion of investigations.

145. Subsequent to the issuance of disclosure statement, Wankai sought disclosure of additional information, vide email dated 27th February 2026. Wankai sought disclosure of (a) names of traders alleged to be exporting, (b) details of imports, (c) import transactions through traders, (d) volume and value exported through traders, (e) certificates of origin, (f) invoice and invoice numbers referred in the disclosure statement, (g) copy of DG Systems data, (h) photographic and videographic evidence submitted by domestic industry, (i) replica non-confidential version of application.
146. Since some of the submissions pertained to the domestic industry, the Authority directed the domestic industry to respond to the submissions by Wankai. The domestic industry submitted the photographic evidence, and volume and value of exports through traders as per their information. The domestic industry emphasized that the replica of non-confidential version had already been revised and circulated, and no comments were made by Wankai thereafter. As regards certificate of origin, invoices and invoice numbers, the domestic industry submitted that the same have been procured on utmost assurances of confidentiality. The domestic industry submitted that if such information is provided, it would lead to disclosure of names of parties which provided the information to the domestic industry and expose such party before Wankai, other suppliers, importers and consumers. This could have very serious impact on such party. This will jeopardise the strategic procurement options of such importing parties. Further, inter alia, it may lead to refusal of supply by Wankai and its traders in future, if Wankai is aware that such importers provided the Certificate of Origin. The same applies to videographic evidence as well, as this would allow a party to know the source of information. Further, the domestic industry highlighted that the Authority has not relied upon the same.
147. Vide communication dated 5th March 2026, the Authority informed Wankai that the names of traders who have exported the subject goods manufactured by Wankai constitutes confidential and business sensitive information of third parties. The exporter was also informed that the Authority obtains information from DG Systems in order to cross-verify the information and evidence submitted by various interested parties. The Authority is not permitted to share this information with any interested party, as it contains significant business-sensitive information relating to exporters and importers, the confidentiality of which is protected under various laws in the country. However, the Authority provided a non-confidential summary of the import data in the form of direct exports by Wankai, exports by traders mentioning the grade name of Wankai or identifying Wankai as the producer, and exports by other producers. The Authority also informed Wankai that certificates of origin, invoices and invoice numbers shall be treated as confidential business information of third parties, which is protected under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules. The response of the domestic industry was also provided to Wankai. The Authority thereafter provided time till 9th March 2026 to Wankai to furnish its comments.
148. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

1. Views of other interested parties

149. In their post-disclose comments, the interested parties have reiterated their comments regarding absence of declaration with regard to need to check imports for entire injury period by the applicants; relationship of IVL and Indorama to Guangdong IVL Polymer; request for reliance on records of Chinese producers for normal value; delay in response for Wankai International due to mistake of the personnel on account of the trader being located in different country; and the imposition of duty is not in public interest. Further, the following arguments have been made by interested parties.
- a. The information with regard to exports by Wankai to India and third countries have been disclosed in the disclosure statement, and should be treated as confidential.
 - b. There is no accurate information with regard to production of Jindal Polyfilms Limited, Sumilon Industries Limited and Uflex Limited.
 - c. There is no finding given on the contention of the exporter that the applicants were required to give declaration with regard to imports for the entire injury period, and for all countries.
 - d. While Indorama and RIL have provided a declaration for no imports only for subject country, IVL has not provided a signed declaration.

- e. Reliance Industries also has several related companies in other countries engaged in subject goods such as Reliance Polyester Ltd. in Thailand and Recron (Malaysia) Sdn. Bhd & RP Chemicals (Malaysia) Sdn. Bhd in Malaysia.
- f. There is serious confusion with regard to domestic producers and production, and a different yardstick cannot be adopted for different parties to the investigation.
- g. The production of Jindal Polyfilms has not been considered in total domestic production, without any reason.
- h. The total domestic production considered has not been disclosed. The confidentiality claimed in this regard is unjustified.
- i. Apart from ocean freight, the domestic industry has not disclosed evidence of any adjustments to export price.
- j. The certificates of correctness and declaration from consultants were provided by the domestic industry after a delay of 4 months from initiation. However, no adverse view has been taken, even though an adverse view has been taken of the fact that Wankai did not file a response for Wankai International, for a negligible volume.
- k. The disclosure statement does not indicate the manner in which the confidential version of the application and the non-confidential version are a replica. The non-confidential version has certain un-numbered pages. If such pages were un-numbered in the confidential version as well, it raises a question as to how the information provided was adequate and accurate.
- l. The domestic industry has not disclosed the source of market intelligence data relied upon in application.
- m. Declarations for imports/relation, details of plant shut down, evidence for adjustments to export price, number of employees, certificates by domestic industry and declaration by legal representative for correctness of information in the application etc., is not business sensitive, and should be disclosed. Wankai has only requested for disclosure of reasons for shutdown.
- n. Aggregate number of employees were required to be disclosed as per Trade Notice.
- o. The response filed for Wankai International was as a matter of clarification, and not a standalone or new response.
- p. Information relied upon to draw adverse inference against Wankai, such as details of imports, certificates of origin, etc. should be disclosed to Wankai, particularly since the information concerns Wankai. In the absence of adequate disclosure of information, Wankai is unable to defend itself.
- q. No sufficient justification has been provided by the domestic industry for failing to disclose the information. Under Rule 6(7), the Authority was required to make the available the evidence presented by one interested party to other interested parties. In case a non-confidential summary has not been provided, the Authority was required to disregard the information provided.
- r. The burden of proof for supplying correct information for the clearance of goods rests on the Indian importers. Wankai cannot be punished by denying individual treatment to it.
- s. Rule 7 does not allow confidentiality in respect of information for third parties, which are not even before the Authority.
- t. In case the information with regard to names of exporters was not publicly available, it raises the question as to how the domestic industry was able to ascertain such information. The domestic industry has not offered any explanation as to how it was able to collect such business sensitive information of third parties.
- u. The Authority has not examined how the domestic industry has access to transaction-wise import data, which is not permissible under the law.
- v. The disclosure of DG Systems data is permitted under Section 135AA of the Customs Act, 1962.

- w. The source from which the photographic and videographic evidence, and certificates of origin were procured have not been examined, and it appears that the same were arranged by the domestic industry using questionable means.
- x. The issue of response by Chongqing Wankai has been raised belatedly. In any case, no response is required, since Chongqing Wankai has not exported the product to India. In the case of Ceramic Tiles, the exporters concerned had actually exported to India.
- y. The exporter has cooperated in the original investigation itself, and all PCN-related issues were examined by the Authority in the original investigation.
- z. Wankai requested the Authority for on-site verification of first-hand data. However, the Authority has relied on third party data, on which Wankai has no control.
- aa. The Chinese Regulations (Measures) use the word “may”, meaning that Chinese authorities may carry out verifications. It is not conclusively established that all Certificates of Origin are issued by CCPIT only. Sample Certificates of Origin cannot substitute detailed DRI investigation, and without the DRI investigation, it cannot be conclusively proven that the exports were manufactured by Wankai.
- bb. In past findings as well, the Authority has not rejected the responses, due to non-cooperation by exporter accounting for a negligible volume.
- cc. Calculation of dumping margin is an exercise of reasonable approximation and not based on arithmetical precision.
- dd. Had exports through traders been in the knowledge of Wankai, it would not have been difficult for Wankai to provide details or information to the extent of at least 70% of the volume.
- ee. The Manual itself provides that response for 100% of the value chain is not required for the producer to be treated as cooperative.
- ff. Wankai has already provided all information as is reasonably available to it and should be allowed an individual duty.
- gg. The landed price determined by Authority in the disclosure statement is comparable to the landed price of Wankai. Therefore, an individual duty should be allowed to Wankai as there is no separate advantage to Wankai in not providing details of alleged traders.
- hh. The quantum of duty should be varied in the present review, as noted in the Manual of Operating Practices.
- ii. Wankai did not absorb the anti-dumping duty, and the anti-absorption duty was incorrectly determined.
- jj. Comparison of increase in imports and demand in percentage terms is not appropriate. Further, the purpose of duty is not to block imports.
- kk. The price of a bottle should be taken as ₹ 20, and not ₹ 20-100.

2. Views of the domestic industry

150. The domestic industry has re-emphasized that Wankai should be treated as non-cooperative, and requested for certain producers to be treated as cooperative. In particular, the domestic industry has submitted as under in its post-disclosure comments.
- a. The exporter Wankai is attempting to justify their suppression of information by requesting information and evidence from the Authority.
 - b. Considering that Wankai has exported more than 3,628 transactions from China to India, with a volume of 4,34,948 MT during the injury period, and was involved in getting Certificate of Origin issued, the exporter cannot claim to be unaware about these transactions.
 - c. The clear and deliberate suppression of facts is evident from the fact that the response for Wankai International was also filed belatedly, after the issue was highlighted by the domestic industry, and without seeking permission of Authority.

- d. No response has been furnished for Chongqing Wankai New Materials Technology Co., Ltd., even though the Authority has denied an individual dumping margin to an exporter in Ceramic Tiles case due to non-participation of group companies.
- e. Wankai has been suppressing facts from the Authority from the first investigation. In the original investigation, Wankai had supplied speciality grades, but did not inform the Authority regarding the need for PCN. After receiving individual duty, Wankai began exporting commodity products.
- f. The information sought by Wankai does not relate to Wankai alone, but also relates to the trader and importer, whose business interests are likely to be affected by the non-imposition of duty. The importers and exporters can even face refusal of material from Wankai, which shall imply loss of business to the exporter and loss of source to the importers, as a result of disclosure of information.
- g. The names of exporters are not in public domain, and thus, cannot be disclosed. The import data is third party information, which the applicant is not authorized to disclose. However, Wankai is fully aware of the contentions raised by the domestic industry on the basis of such confidential information and therefore, has been given sufficient access to the substance of information provided on confidential basis.
- h. Disclosure of Certificates of Origin would lead to disclosure of names of parties which have provided information to the domestic industry and expose such parties to blacklisting and loss of suppliers.
- i. No prejudice has been caused to Wankai due to non-disclosure of Certificates of Origin, as – (a) the nature of document enclosed, i.e., Certificate of Origin was disclosed to Wankai, (b) the nature of information that the document shows, i.e., it identifies Wankai as manufacturer, was disclosed to Wankai, (c) the administrative procedures governing the issuance of Certificate of Origin were disclosed, and (d) the role of Certificate of Origin in demonstrating the manufacturer at Customs in India was disclosed. This allows Wankai to defend its interests in the matter.
- j. The Certificate of Origin is issued by CCPIT demonstrate that the goods in question were produced in China. The authorities verify the entity which produced the goods in China.
- k. The legal provisions applicable in China allow the issuing authority to verify the records of manufacturer, including their capacity, production process, origin of raw material, finished products, etc. for place of origin. Thus, Wankai was involved in getting the certificates issued.
- l. The invoices and details therein are based on the certificates of origin provided by the domestic industry, which are third party information, which the domestic industry is not authorised to disclose.
- m. The videographic evidence submitted by the domestic industry includes such information which can lead to disclosure of the name of the party from whom this evidence has been procured. The party providing the information provided the information with clear understanding that their name shall not be placed publicly.
- n. The request for disclosure of photographic and videographic is not tenable, since the Authority has not relied upon the evidence in arriving on its determination.
- o. The domestic industry has already replied to the issue concerning replica non-confidential version, and no further issues were raised by the exporter in response.
- p. In accordance with the past practice of Authority, non-cooperative duties should be recommended for all producers and exporters, and the individual duties imposed pursuant to the original investigation should not be continued.
- q. Since no party, including the domestic industry, has sought modification of anti-dumping duty, the same duty should be extended. This is also consistent with the approach adopted in previous investigations.
- r. Since the duty is not required to be modified, the domestic industry is not filing any submissions on non-injurious price.
- s. Considering the mis-utilization of duties, the Authority is requested to consider reverting to combination duties, prescribing both the producer and exporter, as a matter of policy.

3. Examination by the Authority

151. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations of submissions which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.
152. With regard to arguments regarding imports by applicants from all countries and across the injury period, the Authority notes that the applicants have not imported the product under consideration from any country during the injury period. The information in this regard was provided by the applicants in Proforma IV A, including in the non-confidential version. The interested parties have not provided any basis for alleging that the applicants should have provided a signed declaration and the applicants have imported the product from other countries. The application requires information with regard to imports, which have been provided in the present case. The Authority notes that the provisions of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules bring the eligibility of applicants into question only in case of imports of the subject goods from the subject country during the period of investigation. Therefore, imports from other countries and other periods are not relevant to the issue of determination of scope of domestic industry in the present case. In any case, the Authority has examined the DG Systems data and found that the applicants have correctly disclosed that they do not have any imports from any country throughout the injury period.
153. The interested party has alleged that there is confusion with regard to number of domestic producers. However, the Authority does not find any such confusion in the facts of the present case. At the stage of application, the domestic industry identified the domestic producers of the subject goods, and provided details of domestic production. The applicants made a typographical error in mentioning the name of the producer and inadvertently wrote “Madelin Enterprises Private Limited” as “Minocha Enterprises Private Limited” in one annexure. However, the Authority has noted the list of other domestic producers in the initiation notification itself and correctly identified Madelin Enterprises Private Limited (“MEPL”) as the domestic producer. On the issue having been raised by the interested parties, the domestic industry also clarified the same. Accordingly, there is no such confusion with regard to scope or number of domestic producers.
154. With regard to details of domestic production, the applicants have provided the information reasonably available to them. The information subsequently provided by MEPL closely corresponds with the information provided by the applicants. The interested parties have not provided any evidence to demonstrate that the information provided by the applicants is incorrect, or there was alternatively available information which the applicants could have provided. The Authority, therefore, finds that the applicants discharged their obligations under the Agreement and the Rules. Further, since MEPL has furnished information with regard to its production and sales, the Authority has relied on the same. However, in the absence of any alternative information placed on record by any party regarding the other domestic producers, the Authority has proceeded based on facts available.
155. Regarding the alleged relationship between IVL Dhunseri and Indorama to Guangdong IVL Polymer, the same has already been examined in the relevant portion of the present findings. The interested parties have also contended that Reliance Industries Limited is related to certain producers / exporters in Thailand and Malaysia. However, since such producers are not exporting goods from China, the relationship to such producers does not qualify under the exception provided under Rule 2(b). Therefore, the said relationship is irrelevant to the present review investigation.
156. The Authority notes that production of Jindal Polyfilms has correctly not been considered in gross domestic production. Jindal Polyfilms has not yet commenced production of the subject goods.
157. Wankai has alleged that the Authority has adopted a different yardstick for the domestic industry and for the exporter. The Authority views such an allegation with utmost seriousness. The Authority notes that the domestic industry had not provided a non-confidential version of the certificates of accuracy and declaration from consultant. The same were, however, provided to the Authority on a timely basis, in the application. After the interested parties pointed out the deficiencies in the non-confidential version, the Authority directed the domestic industry to resolve the deficiencies in the non-confidential version as well. This is in accordance with the provisions of Rule 7(2), wherein the Authority may require parties providing information on confidential basis, to furnish an appropriate non-confidential version. Further, there is no material error that the Authority

has condoned in case of domestic production. The applicants made a typographical error in the name of a domestic producer, which was also clarified prior to initiation of the investigation. However, Wankai has failed to furnish a response for the related exporter to the Authority, within the prescribed timelines. Wankai failed to even bring the correct facts on record before the Authority. The same cannot be equated or compared with a non-furnishing of a document in non-confidential version of the application. Therefore, having regard to the provisions of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, the Authority is justified in treating Wankai as non-cooperative.

158. Wankai also contends that the response of Wankai International was filed later as a matter of clarification. However, a clarification can only relate to a fact already on record. An interested party cannot furnish an entirely new response, under the garb of clarification.
159. The Authority holds that documents such as Certificates of Origin, invoice numbers, invoices, etc. cannot be disclosed to Wankai or opposing interested parties. As highlighted by the domestic industry as well, such documents do not pertain to Wankai. The documents pertain to a trader and importer which are parties to the transaction. The disclosure of such documents can be severely prejudicial to the competitive interests of the parties to the transaction. The domestic industry has highlighted that the information has been provided on utmost assurance of secrecy, including with regard to names of parties. If the names of parties providing such information were to be disclosed, it may create significant procurement challenges for the party concerned, and the party may even face refusal of supply by Wankai, its traders and other suppliers. The Authority notes that good cause has been shown for such information to be treated as confidential. The Authority further notes that the exporters themselves (including Wankai in the present case) do not provide such documents in the non-confidential version of their responses. Therefore, the Authority finds that the confidentiality of information sought is protected expressly under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules.
160. Wankai has claimed that the non-disclosure of information is in violation of principles of natural justice, and it has been precluded from defending its interests. In this regard, the Authority notes that anti-dumping investigations are different from adjudication proceedings, in that, confidentiality of certain evidence is expressly protected by Rule 7, in order to safeguard the business interests of parties. In the case of *Union of India vs. Meghmani Organics Limited*, [2016 (340) E.L.T. 449 (S.C.)], relied upon by the exporter itself, the Supreme Court observed that Rule 7 “*permits an exception to the principles of natural justice*”.
161. The provisions of Rule 6(7) emphasized by Wankai are also subject to confidentiality requirements under Rule 7 of the Anti-Dumping Rules. This is evident from the provisions of Rule 7(1) which provides as follows.

*“RULE 7. Confidential information. - (1) **Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under subrule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.**”*

162. However, under Rule 7, the interested parties are required to provide an appropriate non-confidential summary of the confidential information. In the present case, Wankai has been provided an appropriate non-confidential summary of the confidential information. The nature of documents or information claimed confidential has been disclosed expressly, that is, import data, Certificates of origin, etc. Further, it has been disclosed that the import data shows that goods identifying Wankai as the manufacturer or bearing grade name of Wankai have been exported by other traders. It has also been disclosed that such imports have been cleared at the duties applicable to Wankai. The volume and value of exports through traders have been provided in the non-confidential version. It has further been disclosed that the Certificates of Origin highlight Wankai as the manufacturer, and that such Certificates have been issued by CCPIT. The procedure for issuance of Certificates of Origin and the role played by Wankai in such issuance has been explained. It has further been disclosed that the Authority has traced the Certificates of Origin to the DG Systems data and found that the products have actually been imported into India, at the individual duty rate applicable to Wankai. Therefore, Wankai had access to an appropriate non-confidential summary required for defending its interests. However, it has failed to make any arguments on merits.
163. The Authority further notes that the Indian Courts have noted that the principles of natural justice cannot be used as a saving clause, where the complainant itself fails to bring the correct facts on record. The Tribunal, in

the case of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. v. Union of India, Final Order No. 50740-50743/2020 dated 5th August 2020, noted as follows in this regard.

“43. It is in the light of the aforesaid facts that the contentions of the producer / exporter regarding violation of the principles of natural justice has to be examined. It is by now well established that the principles of natural justice are not contained in a straight jacket and a litigant cannot complain of the violation of the principles of natural justice if the litigant himself fails to avail opportunity to bring the correct facts to the notice of the authority.”

164. Further, contrary to the contention of Wankai, the provisions of confidentiality do not exclude confidentiality in relation to information concerning parties, which are not parties to the investigation. Rule 7 provides for confidentiality of any information provided to Authority on confidential basis by any party. The position of the Authority in this regard also finds support in the findings of the WTO Appellate Body in EC – Fasteners (WT/DS397/AB/R). The Appellate Body has noted as follows in this regard.

“540. In examining the scope of Article 6.5, we note that it extends the need to request confidential treatment to information submitted by "parties to an investigation" rather than those in the specifically defined group of "interested parties". As such, Article 6.5 does not limit the protection afforded to sensitive information to the "interested parties" expressly listed under Article 6.11 of the Anti-Dumping Agreement. In our view, the term "parties to an investigation" refers to any person who takes part or is implicated in the investigation. Moreover, Article 6.11 does not contain an exhaustive list of "interested parties", but states that "'interested parties' shall include" the persons or groups listed in that Article. In our view, the persons expressly listed in Article 6.11 are those who are in every case considered to be "interested parties", but are not the only persons who may be considered "interested parties" in a particular investigation. We do not believe that an investigating authority is relieved of its obligations under Article 6.5 merely because a participant in the investigation does not appear on the list of "interested parties" in Article 6.11. Rather, once "good cause" is shown, confidential treatment of sensitive information must be afforded to any party who takes part or is implicated in the investigation or in the provision of information to an authority. Pursuant to Article 6.5 such parties include persons supplying information, persons from whom confidential information is acquired, and parties to an investigation.”

Since in the present case, since the confidential information has been acquired from certain parties, the provisions of Article 6.5 and Rule 7 shall apply to such information as well.

165. Wankai also claims that adverse inference cannot be drawn against it, since burden of proof for supplying correct information rests on importers. However, the findings of the Authority rely on several factors and evidences, including evidences such as Certificate of Origin, which identify Wankai as the manufacturer. Therefore, the documentation provided does not relate to importers alone, but is a document issued by Chinese authorities that the goods were manufactured by Wankai.
166. As regards reliance on the use of the word “may” in the Regulations governing issuance of Certificate of Origin, the Authority finds that merely because the Authority “may” verify does not imply that the manufacturer is not required to be identified or is not involved in getting a Certificate of Origin issued. The argument of the domestic industry is not that the premises of the manufacturer were actually verified. The domestic industry has explained that considering that the manufacturer may be verified, it follows that the intervention of the manufacturer is necessary for getting the Certificates issued. Further, the Authority does not find merit in the contention that sample Certificates of Origin does not demonstrate that the goods were manufactured by Wankai. The sample Certificates conclusively demonstrate that goods manufactured by Wankai have been exported by third parties to India, and the imported product was cleared at anti-dumping duty rate applicable to Wankai. However, these transactions have not been reported in the response filed by Wankai. Further, such third party has not been identified by Wankai and the party has not cooperated with the investigation. Thus, the sample Certificates highlight the suppression and misrepresentation of facts by the exporter.
167. The Authority notes that Wankai has failed to provide accurate and adequate information for the purpose of present investigation. Wankai also failed to provide information with regard to Wankai International within a reasonable and stipulated prescribed period. Moreover, by failing to provide information with regard to exports through traders accounting for a significant share of its total exports, it has significantly impeded the

investigation. In view of the same, the exporter cannot be found cooperative. The finding of the Authority is also consistent with the past practice in this regard. The fact of whether the landed price determined is comparable or lower than the landed price for Wankai is irrelevant in arriving at this conclusion.

168. With regard to the import data relied upon by the domestic industry and the other evidences, such as Certificates of Origin, or photographic and videographic evidences, Wankai questions the fact that the domestic industry should not have had access to the information itself. The Authority notes that the very fact that the documents pertain to some other party and domestic industry would not have had access to the information itself shows the sensitivities of the documents. Further, the manner in which the domestic industry got access to such documents is immaterial to the Authority. It might simply be out of relationship between the domestic industry and such party. In any case, the Authority has not relied upon the import information submitted by the domestic industry. As regards the certificate of origin submitted, the domestic industry has submitted the evidence, and the Authority has relied upon the evidence after necessary examination and corroboration. The question of whether the domestic industry should have had access to the documentation or the import data, and the manner in which they procured the same, is not within the scope of the present review.
169. The DGTR calls information from DG Systems in order to cross verify the information, claims and evidence provided by various interested parties, including the domestic industry, the exporters and the importers. The Authority calls information from DG Systems in order to cross verify these claims. The information is provided by DG Systems with the understanding that the same is being provided to the Authority only for the purpose of cross verifying the information in possession of the Authority. The Authority cannot share such information with any interested party, as it contains significant business sensitive information about the exporters and importers, confidentiality of which is protected under various laws in the country.
170. Wankai has also claimed that it did not absorb the anti-dumping duty and the findings of the anti-absorption investigation were incorrect. It is noted that no appeal was filed by Wankai before the appellate authority. In case Wankai was aggrieved with the determination of the Authority, it could have raised the matter before the appropriate appellate authority.
171. The domestic industry has contended that Wankai has misrepresented information from the original investigation itself, including with regard to export of specialized PCN. Wankai has disputed the same. The Authority notes that in case Wankai had exported specialized products, the domestic industry should have raised the issue in the original investigation. The Authority does not find cause to examine possible misrepresentation in an earlier investigation during the present review investigation.
172. Regarding the claim that the determination of dumping margin is an exercise of reasonable approximation, the Authority notes that it is incumbent upon the exporters, domestic industry and interested parties to furnish reliable information before the Authority. In the absence of such reliable information, the Authority cannot accept the information provided.
173. Having found that the producer Wankai is non-cooperative due to failure to furnish accurate and complete information regarding exports of its own manufactured products, the Authority does not find it necessary to examine whether the response can be accepted, notwithstanding absence of response by related producer of the subject goods, Chongqing Wankai.
174. With regard to the issue that the non-confidential version of the application should be a replica of the confidential version, the Authority notes that the domestic industry has provided a replica of the confidential version vide letter dated 30th January 2026.
175. Wankai has also contended that other evidence forming basis of export price have not been disclosed. However, the domestic industry has already provided clarification in this regard. It has clarified that the adjustments, other than export price, have been made as per consistent practice. The quantum of adjustment was disclosed in the non-confidential version of the application. In the same vein, the certificates of accuracy and certificates from consultants have been provided in the non-confidential version provided vide letter dated 30th January 2026. The Authority further notes that the non-confidential version also makes it clear that the applicants have not imported the subject goods throughout the injury period. Therefore, the Authority does not find merit regarding the allegation of excessive confidentiality in this regard. As regards factors such as number of employees, details of shutdowns, etc., the Authority has accepted the confidentiality, on good cause having been shown.

176. With regard to the contention that the total Indian production has been claimed confidential, the Authority notes that the domestic industry had provided information with regard to Indian production in its application. Such information has been adjusted to account for actual production of MEPL, which was comparable to the production claimed. Therefore, no prejudice has been caused to any interested party by non-disclosure of the actual information. Further, Wankai has highlighted that certain confidential information was inadvertently disclosed in the disclosure statement issued. The confidential information has been withdrawn vide email dated 19th March 2026 sent to all interested parties. The parties have been directed to refrain from making any use of the actual information contained in the disclosure statement and revised disclosure has been issued to all the parties after inserting (***) in place of actual number for their possible future use. Since interested parties have already offered comments on the disclosure statement, it was not considered necessary to provide any further opportunity to interested parties to offer comments on the revised disclosure statement, as only certain information has been redacted. Necessary correction has been made in the relevant portion of the present findings.
177. As regards comparison of trend of imports and demand, the Authority notes that the market share of subject imports has increased over the injury period. Therefore, despite the anti-dumping duty, the imports have gained share in the market.
178. With regard to the argument of the domestic industry that the duty should be based on combination of producer and exporter; since the Authority has not treated any producer as cooperative in the present investigation, the same is not relevant to the present investigation.

N. CONCLUSIONS

179. Having examined the submissions made by all interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes the following:
- a. The scope of product under consideration is the same as that defined in the original investigation, that is, virgin bottle-grade polyethylene terephthalate resin having intrinsic viscosity of 0.72 deciliters per gram or higher.
 - b. No PCN methodology was adopted for the purpose of the present investigation.
 - c. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
 - d. The applicants have not imported the subject goods into India and are not related to exporter or importer thereof.
 - e. The production of all producers has been considered in total Indian production, and Minocha Enterprises Private Limited and Ester Industries Limited are not domestic producers of the like article.
 - f. The applicants constitute a major proportion of the domestic production of the subject goods, and thereby constitute domestic industry under Rule 2(b).
 - g. The interested parties were directed to provide appropriate non-confidential version of the information provided by them. The interested parties complied with the directions, and disclosed additional information. The interested parties explained that certain information could not be disclosed, and provided good cause for the same. Having satisfied itself with the justification provided, the Authority has accepted the confidentiality claimed by various interested parties.
 - h. The response filed by Wankai New Materials Co. Ltd. cannot be accepted since the producer has exported significant volumes through traders, which have not been disclosed to the Authority. Therefore, material information was suppressed and misrepresented in the response filed, as observed in the relevant portion of the findings. The exports through traders have been cleared in the Indian Customs after payment of duty at the individual duty rate applicable to Wankai. The Certificates of Origin provided by the domestic industry and corroborated with the DG Systems data also show that the products were identified as having been produced by Wankai, but were exported by traders. The goods were cleared at the duty applicable to Wankai. Moreover, the response of Wankai International Pte Ltd. was filed belatedly, without due justification or seeking permission from the Authority.
 - i. The dumping margin and injury margin for all producers from the subject country is positive and significant.

- j. The domestic industry has not suffered injury during the present period of investigation. However, there is likelihood of recurrence of injury, as evident from the following.
- i. The continued dumping of the subject goods, and the absorption of duties previously by Wankai shows that the dumping is likely to continue in the absence of duties.
 - ii. The imports have increased at a significantly high rate, notwithstanding the duties in force. Therefore, in the absence of duty, the imports are likely to increase further.
 - iii. There are significant capacities in the subject country, and the foreign producers are continuing to add capacities. The idle capacities in the subject country are more than 2.5 times the demand in India.
 - iv. The foreign producers have exported to third countries at dumped and injurious prices.
 - v. The exports from the subject country are also subject to trade remedial measures in other jurisdictions such as Argentina, Brazil, Canada, the European Union, Japan, Malaysia, South Korea, South African Customs Union, Türkiye and the United States of America.
 - vi. There are limited alternative markets available to absorb the additional volume from China PR. Thus, the Indian market shall serve as a lucrative export market, in the absence of duties. The information provided by Wankai also shows that while exports to third countries have declined, the exports to India have increased.
 - vii. The trends of exports to other jurisdictions reveal that the foreign producers lose markets when duties are imposed. Once duties lapse, the exports to these jurisdictions show a significant increase. However, in case of India, the exports have increased, notwithstanding the duties.
 - viii. India is a price attractive market, as 61% of exports to third countries have been made at lower prices.
 - ix. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. In the absence of duties, the imports are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry.
 - x. The domestic industry is in a fragile situation and faced deterioration in performance during 2023-24 due to absorption of duties by Wankai. Considering the same, in absence of duties, the situation of the domestic industry is likely to decline.
 - xi. The domestic industry is likely to suffer losses, decline in cash profits and return on investments in the absence of duties.
- k. The domestic industry has not suffered injury due to any other factor.
- l. Imposition of anti-dumping duty are in the larger public interest as can be seen from the following
- i. None of the users or importers have participated in the investigation, which demonstrates that the users are not adversely affected by the imposition of the duties.
 - ii. The present investigation is a sunset review, and there is no information on record showing adverse impact of past imposition of duty.
 - iii. Post imposition of duty, Indorama Yarns Private Limited, Sumilon Industries, Jindal Polyfilms Limited, Uflex Limited and Sparsh Industries have set up capacities in India with a total investment of ₹ 1,500 crores. There have been significant investments in upstream products of PTA and MEG as well, the viability of which depend on downstream products.
 - iv. There is no demand-supply gap in the country, for the subject goods. Further, the product can be imported from other countries such as Bangladesh, Brazil, Oman, South Korea, Taiwan, Thailand, Türkiye, and Vietnam.
 - v. The impact of duty on the downstream product is negligible.

O. RECOMMENDATIONS

180. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
181. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of continuation of dumping and consequent injury if the existing anti-dumping duty are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of antidumping duty on imports of subject goods from China PR, except in respect of the foreign producers which have not participated in the current sunset review investigation, or have been found to be non-cooperative, due to failure to provide adequate and accurate information. The non-cooperating producers in this sunset review investigation have been accorded residual duty as applicable at present. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, on all imports of the subject goods, mentioned in column 3, originating in or exported from China PR, equivalent to the amount mentioned as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	39076110, 39076190, 39076930, and 3907 6990	Polyethylene Terephthalate resin having an intrinsic viscosity of 0.72 decilitres per gram or higher*	China PR	Any country including China PR	Any	200.66	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	200.66	MT	USD

* *Bottle-grade PET resin, excluding recycled PET resin*

P. FURTHER PROCEDURE

182. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

AMITABH KUMAR, Designated Authority